खण्ड-302, अंक-10
बुधवार, 7 चैत्र, शक संवत् 1895
(28 मार्च, 1973 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 302 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1974

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

ग्राम जैतपुर टिकरी, जिला फैजाबाद के हरिजनों द्वारा 8 मार्च, 1973 से स्थानीय विधायक के अत्याचार के विरुद्ध विधान सभा के सामने की जा रही भूख हड़ताल के संबंध में वक्तव्य 1183–1189

दिनांक 14–3–73 को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक छात्र को गोली लगने की घटना के बारे में वक्तव्य 1189–1191

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं 1191–1196

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 6—स्टाम्प, अनुदान संख्या 7–निबन्धन, अनुदान संख्या 8—राज्य विधान मंडल, अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें, अनुदान संख्या 51—पेंशनों का राशिमूल्य, अनुदान संख्या 4—बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या 53—ब्याज वाले ऋण और अग्रिम (जारी) ..1196–1134

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं 1234–1236

पायरिला कीट के आक्रमण से जिला देवरिया की गेहूं की फसल की बरबादी के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा 1236–1243

राशन कार्ड प गेहूं मिलना बिल्कुल बन्द हो जाने के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा 1244–1250

नत्थियां .. ..125 –1254

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार 28 मार्च, 1973

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में, अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 364

अजब सिंह, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनीसुर्रहमान शेरवानी, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ दुबे, श्री
अवधेश कुमार, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आबिद अली खां, श्री
आशाराम, श्री
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणि, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नारायण शर्मा, श्री
उपेन्द्रनाथ दीक्षित, श्री
उमाकान्त बाजपयी, श्री (उर्फ भैया जी)
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राइस, श्री

कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल बाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करन सिंह, श्री
कलारानी मिश्र, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा दयाल, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्ण सिंह, श्री
कृष्णस्वरूप वैश्य, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ अग्रवाल, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशवराम, श्री (जिला बरेली)
कशोराम, श्री (जिला बदायूं)
के0 एस0 मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर तिवारी, श्री
गिरधारीलाल, चौधरी
गुलाब सिंह, श्री

गोपालदत्त ओझा, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोस्वामी राधाकृष्ण, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रनारायण सिंह, श्री
चन्द्रभान शर्मा, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह 'जूदेव', श्री
चन्द्र मोहन सिंह नेगी, श्री
चरण सिंह, श्री
चिरंजी लाल, श्री
छदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर यादव, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश गांधी, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ डा० मन्ना)
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ खन्ना, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहन वर्मा, डाक्टर
जगरनाथ, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जयराम यादव, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० एन० सिन्हा, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
जी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह बिष्ट, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नारायण त्रिवदी, श्री
तेजपाल सिंह 'कृष्ण', श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द्र, श्री
त्रिवणी राय, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री
दर्शनसिंगार यादव, श्री
दीप नारायण बन, श्री
दीपनारायण मणि त्रिपाठी, श्री
दुर्जन, श्री
दुलार लाल, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री

देवेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीमुद्दीन सिद्दीकी, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भयनारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नपाल सिंह, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल गुप्त, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरन चन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारलाल, श्री
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री
प्रभाकर त्रिपाठी, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रमचन्द्र शर्मा, श्री
प्रम नारायण अहरवार, श्री
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री
बंशगोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह यादव, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी राम, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांकलाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिहारी लाल, श्री

बेनी सिंह, श्री
बैजनाथ , श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवत दयाल सिलोइया, डाक्टर
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगवती सिंह, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भानु प्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी यादव, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मदन मोहन मिश्र, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्साराम, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसाली देवी, श्रीमती
महमूद अली खां, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महराम सिंह, श्री
महतम प्रसाद तिवारी, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महावीर सिंह चौहान, श्री (जिला अलीगढ़)
महीलाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मानवती देवी, श्रीमती
मुंशीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवई, श्री
मुहम्मद नबी खां, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मैनेजर सिंह, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल कपूर, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला आगरा)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह, चौधरी
रघुवीर सिंह यादव, श्री
रणंजय सिंह, राजा
रमापति त्रिपाठी, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
राम करन यादव, श्री
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर सिंह, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
राम कृष्ण द्विवेदी, श्री
रामगोपाल सण्ड, श्री
रामचरण त्रिपाठी, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामजियावन, श्री
रामजीलाल सहायक, डाक्टर
राम दुलारे, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी शास्त्री, श्री
रामनगीना मिश्र, श्री
रामनिहोर, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामवचन, श्री (जिला आजमगढ़ रानी की सराय)

रामवचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़ फूलपुर)
राम बिलास पाण्डय, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन पांडेय, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन सिंह, श्री
रामलगन दूबे, श्री
रामलाल चतुर्वेदी, श्री
राम लाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
रामशिरोमणि दुबे, श्री
रामसागर, श्री
राम सिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
राम सेवक, श्री
राम हर्ष मिश्र, श्री
रितुराज सिंह, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूपराम, श्री
लक्ष्मण स्वरूप, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लाल बहादुर सिंह, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू राम, श्री
लीला धर, श्री
लोकपति, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह वैद्य, श्री
विक्रम सिंह, श्री
विजय कुमार त्रिपाठी, राजा
विजयपाल सिंह, श्री (जिला गोंडा)
विजयपाल सिंह, श्री (जिला बुलन्दशहर)
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्रनाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार पांडेय, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिवदयाल, श्री
शिववक्ष सिंह राठौर, श्री
शिवशंकर, श्री
शिवशंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री
शुकरू लाल, श्री
शेर अली खां, श्री
शेर सिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह चौधरी, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल कनौजिया, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री
श्री कृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सन्तोष कुमारी, श्रीमती
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवनलाल, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू राम, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सवसुख सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती

सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुखपाल पांडेय, श्री
सुखवीर, श्री
सुखलाल कोरी, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूरज लाल गुप्त, श्री
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री
सेवाराम, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल धुसिया,
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसराज, श्री (उर्फ हंसा)
हबीबुर्रहमान, श्री
हरनारायण, श्री
हरबंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरिप्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश सहाय, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह विष्ट, श्री
हलीमुद्दीन राहत मौलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हीरा सिंह बोरा, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हुकुम सिंह परिहार, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री

नोट:—पंचायती राज मंत्री श्री बलदेव सिंह आर्य एवं राज्य सूचना मंत्री श्री पी0 डी0 टन्डन भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार 28 मार्च, 1973

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जैतीपुर (शाहजहांपुर) में नव निर्वाचित प्रधानों को चार्ज न मिलना

**1—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में अनेक नवनिर्वाचित प्रधानों का पुराने प्रधानों द्वारा चार्ज नहीं दिलवाया गया और क्या यह भी सही है कि इस विषय में प्रश्नकर्ता ने पिछले एक महीने में जिलाधिकारी शाहजहांपुर को पत्र भी लिखे किन्तु फिर भी जिलाधिकारी ने कोई कार्यवाही नहीं की यदि हां तो क्यों और क्या उन पुराने प्रधानों के विरुद्ध पंचायत संशोधित अधिनियम के अनुसार मुकदमा नहीं चलाया गया तथा आज तक चार्ज क्यों नहीं दिलवाया गया ?

सामुदायिक विकास उपमंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

जी हां। विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर के पांच नव निर्वाचित प्रधानों को पुराने प्रधानों द्वारा चार्ज नहीं दिया गया है।

यह भी सही है कि सदस्य महोदय ने गांव सभा सुरजूपुर के नवनिर्वाचित प्रधान को चार्ज दिलाने के बारे में जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को दिनांक 16-2-73 को एक पत्र लिखा था जिसे आवश्यक कार्यवाही हेतु परगनाधिकारी तिलहर को भेजा गया था। परगनाधिकारी द्वारा ऐसे प्रधानों के विरुद्ध फौजदारी के दावे सक्षम न्यायालय में चलाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

श्रीमन्, यह आप इस प्रकार की कार्यवाही देखें पिछले साल जून में पंचायतों के एलेक्शन हुए थे, किन्तु आज तक यह चार्ज दिलाने की कार्यवाही नहीं कर सके हैं। इस सम्बन्ध में जनवरी में मैंने जो पत्र डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लिखा था उसका हवाला ही गोल कर दिया गया। अब मंत्री जी यह बताएं कि वह उनके खिलाफ कितनी जल्दी कार्यवाई करा देंगे, जिससे चार्ज मिल जाए ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसमें कोई लापरवाही नहीं। इसमें एक प्रक्रिया है, जब तक वह पूरी नहीं होती तब तक जो अन्तिम कार्यवाई है उस पर नहीं पहुंच सके। अब हम यह आश्वासन देना चाहेंगे कि अब हम शीघ्रतिशीघ्र इस सम्बन्ध में कार्यवाई करेंगे और कर रहे हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

इसको देखते हुए कि यह प्रश्न सिर्फ शाहजहांपुर का नहीं है, पूरे प्रदेश का है कि नवनिर्वाचित प्रधानों को चार्ज देने में असमर्थ रहे हैं, तो क्या पूरे प्रदेश के लिए सभी जगहों के लिए मंत्री जी सामान्य आदेश देने की कृपा करेंगे, जिससे इस प्रकार की अनियमितताएं दूर हो सकें।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

मान्यवर, नवनिर्वाचित प्रधानों को पुरानों से चार्ज दिलाने का पहले पंचायती राज अधिनियम में कोई अधिकार शासन को नहीं था। फिर उसमें संशोधन लाना पड़ा, जो पिछले दिनों इस सदन ने स्वीकार किया। उसके अनुसार शासन ने यह अधिकार संशोधित अधिनियम की धारा 14 (क) के अधीन ले लिया कि जो प्रधान अपना चार्ज नहीं देंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाई की जाएगी। बकायदे एफ० आई० आर० पुलिस थाने में दर्ज कराई जाएगी और उसमें दण्ड का भी प्राविधान कर दिया गया है, यदि उसकी तरफ कोई बकाया निकले और उससे धन वसूल भी किया जा सकता है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जिन प्रधानों के बारे में मंत्री जी ने बताया, क्या उनके विरुद्ध एफ० आई० आर० लाज करा दी गई है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सभी जिला पंचायत राज अधिकारियों से कह दिया गया है कि जिन प्रधानों ने यह चार्ज न दिया हो उनके विरुद्ध यह एफ० आई० आर० वह दर्ज करा दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

प्रश्न यह था कि कितने प्रधानों के खिलाफ एफ० आई० आर० दर्ज हो गई और उन्होंने कह दिया कि जिला पंचायत राज अधिकारियों से कह दिया गया है कि वह एफ० आई० आर० दर्ज करा दें। तो मैं यह जानना चाहता हूं प्रश्नकर्ता के प्रश्न के बाद, यानी 16-2-73 के बाद आपने पंचायत राज अधिकारियों को यह आदेश दिये या पहले ? उन्हें अब तक यह आदेश हुए हैं या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

शासन ने जब से यह अधिकार प्राप्त किया, तभी से जिलाधीशों को आदेश भेज दिये गये थे। उसके तहत में वह कार्यवाई कर रहे हैं। माननीय सदस्य ने जिलाधीश का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया और उन्होंने तुरन्त इस ओर कार्यवाई प्रारम्भ कर दी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अब तक म्युनिसिपैल्टीज से गवर्न होते थे, उनकी अब आपने अलग पंचायत बना दी है, लेकिन उनको पंचायतों के कागजातों का चार्ज अब तक क्यों नहीं दिलाया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री रामगोपाल सण्ड (जिला इलाहाबाद)—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी के दो सदस्य श्री मनोहर सिंह और, श्री सुरेन्द्र पाल सिंह नहीं हैं, जो इसी क्षेत्र के हैं जो चुनाव हार गये हैं...

श्री अध्यक्ष—

शाहजहांपुर के हैं ?

श्री रामगोपाल सण्ड—

जी हां, उसी क्षेत्र के हैं। क्या दोनों प्रदेश की प्रदेशीय कांग्रेस कमेटी (सत्ता कांग्रेस) के सदस्य हैं और क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही की गयी यदि नहीं तो क्यों ?

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह तो इनको मालूम होगा कि वह जनसंघ के हैं या कांग्रेस पार्टी के हैं। मैं बड़े अदब से कहता हूं...

श्री नित्यानन्द स्वामी—

व्यवस्था का प्रश्न है। पांच में से दो का नाम लिया गया और पूछा गया कि क्या ये सत्ता कांग्रेस की प्रदेशीय कमेटी के सदस्य हैं तो क्या माननीय मंत्री जी यह कहेंगे कि हम को मालूम होगा ?

श्री अध्यक्ष—

उत्तर देने दीजिये।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

जो मेरे पास सूचनाएं हैं उनमें कहीं इंगित नहीं है कि ये पांचों व्यक्ति किस पालिटिकल पार्टी के सदस्य हैं। इसमें एक श्री सुरेन्द्रपाल सिंह हैं। इसमें कहीं इंगित नहीं है कि सुरेन्द्रपाल सिंह किस पार्टी के सदस्य हैं।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

क्या मंत्री जी बताएंगे कि इन पांचों प्रधानों, जिनका चार्ज नहीं हुआ है, के नाम क्या हैं और यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह किस पार्टी के मेम्बर हैं, आज न बताएं तो किसी दिन बता दें ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

पांच भूतपूर्व प्रधान हैं डमौरा के श्री सुरेन्द्रपाल सिंह, सरसंवा के भीकम, सूरजपुर के श्री द्वारका प्रसाद, नगला देही माली के श्री भद्रपाल सिंह, खमरिया के श्री रामचरन पाल।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी ने कहा कि पार्टी वालों को भी बताएंगे। मैंने पूछा कि इनका अफीलिएशन किस पार्टी से है यह आज बताएं या कल बता दें तो उन्होंने कहा कि अभी बताते हैं। इनसे पुछवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

उनको नहीं मालूम है।

श्री बंशीधर पांडेय—

मंत्री जी ने कहा है कि मैं पार्टी को बता दूंगा।

श्री कृष्ण चन्द्र शर्मा—

यह नहीं कहा।

श्री बंशीधर पांडेय—

बड़े वाले मंत्री जी, माननीय बलदेव सिंह ने मुझ से कहा कि मैं बता दूंगा।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, जो प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है उसमें यह नहीं पूछा है कि कौन किस पार्टी का है। इसलिए यह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री बंशीधर पांडेय—

जब मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि बता देता हूं। जब बताने को कहा तो निकले जा रहे हैं। मैं पूछता हूं कि मनोहर सिंह और सुरेन्द्रपाल सिंह क्या सता कांग्रेस की पी० सी० सी० के मेम्बर हैं?

श्री अध्यक्ष—

यह उनको नहीं मालूम, बता दिया पहले।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश ने इन पांचों आदमियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है चार्ज दिलाने में?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मैंने निवेदन किया कि आदेश दिये हैं।

श्री हिम्मत सिंह—

अब तक क्या कार्यवाही की है, यह बताएं या कहें कि नोटिस की जरूरत है।

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

इसकी सूचना की आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या मंत्री जी यह देखते हुए कि समस्त प्रदेश की यह प्राबलम है, हजारों की तादाद में पुराने प्रधानों नें चार्ज नहीं दिया है, क्या कोई ऐसा आदेश जारी करेंगे कि एक निश्चित समय में एस० डी० एम० स्वयं जाकर चार्ज दिलवा देंगे और पुराने प्रधान जिन्होंने चार्ज नहीं दिया है उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जो प्रधान चार्ज नहीं देंगे उनके विरुद्ध न्यायालय में बकायदा वाद चलाया जायगा और उनको सजा दिलायी जायगी और उनकी तरफ जो बकाया धन पंचायत का होगा वह बकाया की तरह वसूल किया जायगा, यह मैं इस सदन को आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने अभी दिया है क्या यह सन् 74 के पहले पूरा किया जायगा या 74 के बाद ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

सन् 74 तक पता नहीं क्या-क्या परिवर्तन होंगे। मैं तो तुरन्त ही कराने के पक्ष में हूं कि तुरन्त ही यह कार्यवाही कर दी जाय और पुराने प्रधानों को यह मौका न दिया जाय कि वे चार्ज लिये रहें और नये प्रधानों को चार्ज न मिले ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

माननीय मंत्री जी ने कहा कि अदालत में कार्यवाही की जायगी उनके खिलाफ लेकिन चार्ज दिलाने के लिये कार्यवाही की जायगी अथवा पुराने प्रधान बने रहेंगे और चार्ज उन्हीं के पास बना रहेगा ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

टेक्निकली तो जो नये प्रधान हैं उन्होंने चार्ज ले लिया है। प्रश्न यह इंवाल्व ह कि नये प्रधान की हैसियत से उन्होंने कार्य का संचालन तो प्रारम्भ कर दिया है लेकिन जो पुराने प्रधान हैं उन्होंने कागज, हिसाब किताब, कब रुपया किस काम के लिये मिला उसका हिसाब-किताब उन्होंने नये प्रधान को नहीं दिया है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

सुरेन्द्र पाल सिंह क्या वही व्यक्ति हैं जो पिछली बार शाहजहांपुर जिला परिषद् में कांग्रेसी सदस्य थे और जब सरकार ने उनके न्याय पंचायतों के पंच की हैसियत से नियुक्त किया था तो जिलाधीश ने उन पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताओं का चार्ज लगाया था जिनको सरकार ने रद्द किया था ?

श्री कृष्णचन्द्र शर्मा—

मेरे पास इसकी कोई सूचना नहीं है लेकिन मैं इसका पता लगा लूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह—

नियम 49 के अन्तर्गत आप इसकी चर्चा करा देंगे।

पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति का आधार

**2—श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि वर्ष 1972–73 के लिये हरिजन एवं समाज कल्याण निदेशक, लखनऊ ने पिछड़े वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति देने का आधार योग्यता कर दिया है जब कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के अन्तर्गत सामाजिक एवं गरीबी माप दण्ड है ? यदि हां, तो सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वन उपमंत्री (श्री गुलाब सिंह)—

जी नहीं।

इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि प्रश्न में उल्लिखित अनुच्छेद 15 (4) में केवल इस आशय का प्राविधान है कि अनुच्छेद 15 के खण्ड (1), (2) व (3) अथवा अनुच्छेद 29 के खण्ड (2) की किसी बात से " राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए

किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

उक्त अनुच्छेद का पिछड़े वर्ग के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति हेतु मापदण्ड से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

प्रश्न का अन्तिम अंश नहीं उठता।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

सरकार ने उत्तर दिया है "जी नहीं" जब कि यह निश्चित जानकारी है केवल योग्यता के आधार पर इस चालू वर्ष में वजीफा दिया जा रहा है तो फिर मोमिन, अन्सार तथा पिछड़ी जातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति किस आधार पर दी गयी है ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

दो तरह की छात्रवृत्तियां हैं। एक वह छात्रवृत्ति है जो पिछड़ी जातियों के नाम से जैसे, अहीर, कुरमी आदि को छात्रवृत्ति दी जाती है। गरीबी के आधार पर और जो पढ़ाई लिखाई में होशियार होते हैं उनको छात्रवृत्ति दी जाती है। दूसरी छात्रवृत्ति वह है जो आय के आधार पर दी जाती है। उसमें गरीब ब्राह्मण भी आ सकता है, गरीब ठाकुर भी आ सकता है तथा अन्य पिछड़ी जाति के लोग भी आ सकते हैं। इस तरह से दो तरह की छात्रवृत्तियां दी जाती है। उसमें गरीबी एक मुख्य कारण है। इसके साथ ही लड़का होशियार है या नहीं, इस प्रश्न पर भी विचार किया जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

और लड़की ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

उसमें लड़की भी शामिल है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस वर्ष द्वितीय और तृतीय श्रेणी में जो बच्चे पास हुये हैं उनको भी वजीफा दिया गया है या नहीं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मान्यवर, बजट में 19,50,000 रुपये का प्राविधान किया गया था। 11,45,000 रुपया जिलों को भेज दिया गया था। जिलों में हरिजन सहायक समितियां बनी हुई हैं। जो प्रार्थना-पत्र आते हैं, उन पर यह समिति निर्णय करती है ....

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, जो सवाल किया जाता है उसका उत्तर नहीं दिया जाता है ....

श्री बलदेव सिंह आर्य—

पूरी बात तो आप सुन लीजिये। इसमें मुसलमान भी आते हैं, पिछड़ी जाति के लोग भी आते हैं जिनकी जांच करके वह समिति छात्रवृत्ति देती है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

ऐसा कहीं नहीं है। मेरे जिले में सिर्फ दो विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है। मंत्री जी गलत कह रहे हैं। मैं तो उनके सामने ही कह रहा हूं।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

माननीय, जो जिलों में छात्रवृत्ति दी जाती है वह केवल पूर्व दशम कक्षा तक के विद्यार्थियों को दी जाती हैं। दशमोत्तर कक्षा के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति निदेशालय से दी जाती है। उसमें मोमिन अंसार भी हैं, पिछड़ी जाति के भी हैं जिनको कि छात्रवृत्ति वितरित की जाती है। जिलों में भी इसी तरह से वितरित की जाती है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि पोस्ट मैट्रिक के जो छात्र हैं और खास तौर से पिछड़ी जाति और गरीब जो छात्र हैं उनके सम्बन्ध में भारत सरकार के भी कोई नियम हैं जो कि निदेशालय में आये हैं? क्या राज्य निदेशालय ने उन नियमों में कोई संशोधन किया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

भारत सरकार के जो नियम हैं उनमें भारत सरकार ने तय किया है कि दो स्लैब बनाये जायं। एक तो 1,500 रु0 वार्षिक आय वालों का स्लेब है और दूसरा स्लेब 2,000 रु0 वार्षिक आय वालों का है। इसमें हम प्रिफेरेन्स पहले वाले यानी 1,500 रु0 वार्षिक आय वालों को देते हैं। कुल 6,659 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं जिनमें से 365 प्रार्थना-पत्रों को पहले वाले स्लेब यानी 1,500 रु0 वार्षिक आय वालों को दिये गये हैं और 540 नवीन छात्रवृत्तियां वितरित की गई हैं। इस प्रथम स्लब में ही सारी छात्रवृत्ति समाप्त हो गई है जिससे कि ऊपर की आय वालों को छात्रवृत्ति वितरित नहीं की जा सकी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

माननीय, मंत्री जी ने बताया कि भारत सरकार ने दो श्रेणियां बनाई थी—एक 1,500 रु0 वार्षिक आय वालों की और दूसरी 2,000 रु0 वार्षिक आय वालों की। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि 1,500 रु0 से कम आय वालों को प्रेफरेन्स मिलना चाहिए। दूसरा सवाल मेरा यह था कि क्या आपके निदेशालय में उन नियमों में कोई संशोधन किये गये हैं? यदि हां, तो वह क्या हैं?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं, निदेशालय द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि निदेशालय ने गरीबी को ध्यान में न रख कर केवल योग्यता को ध्यान में रख कर ही इस साल छात्रवृत्ति दी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

जी नहीं, जिन आधार पर पिछले वर्ष यह छात्रवृत्ति वितरित की गयी है उसी आधार पर इस साल भी छात्रवृत्ति वितरित की गयी है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मुझे मालूम है कि लखनऊ निदेशालय ने जो छात्रवृत्ति दी है वह योग्यता के आधार पर दी है और द्वितीय व तृतीय श्रेणी के विद्यार्थियों को न देकर केवल फर्स्ट क्लास विद्यार्थियों को दी है। क्योंकि मुझे मालूम है कि एक रामलखन शर्मा, लोहार जो हाई स्कूल फर्स्ट डिवीजन में पास है, संयोग से इंटर थर्ड डिवीजन में पास किया जिसे छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है। तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश भर में कितने ऐसे द्वितीय व तृतीय श्रेणी में पास विद्यार्थी हैं जिनको छात्रवृत्ति दी गयी है?

श्री बलदेव सिह आर्य—

मेरे पास ऐसी सूचना नहीं है कि तीसरी श्रेणी पास कितने विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी है किन्तु मैं इतना कह सकता हूं कि जो 1,500 रुपये वार्षिक आय को श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं, उन्हीं तक के छात्रों को छात्रवृद्धि मिली है । इसमें भी कुछ ऐसे प्रथम श्रेणी पास छात्र हैं जो छात्रवृत्ति पाने से रह गये हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

यह एक बड़ा ही अहम मसला है । माननीय मंत्री जी जो उत्तर दे रहे हैं उसके मुताबिक निदेशालय में न तो कोई मोमिन है और न अंसार है और हम लोगों की निश्चित सूचना है कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी पास किसी भी अंसार या मोमिमन को छात्रवत्ति नहीं मिली है। तो आप ऐसी व्यवस्था करें माननीय मंत्री जी पूरी इनफारमेशन मालूम करके तब उत्तर दें।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, मेरा भी निवेदन है कि माननीय मंत्री जी यहां तथ्य के खिलाफ उत्तर दे रहे हैं मेरी निश्चित सूचना है कि केवल फर्स्ट क्लास पास विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी गयी है, सेकेंड व थर्ड क्लास पास विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं दी गयी है, तो मैं माननीय मंत्री जी से यह चाहता हूं कि क्या वे कृपा करके इस बात की फिर से जांच करके बतलायेंगे कि राज्य स्तर पर पिछड़ी जाति के छात्रवृत्ति पाने वाले विद्यार्थी की संख्या उन सीमाओं के अन्तर्गत कितनी है जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है ? मेरी सूचना है कि केवल फर्स्ट क्लास पास विद्यार्थियों को ही यह स्कालरशिप बांटी गयी है।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप इसकी जांच करके फिर बतला दें तो इसमें कोई हर्ज नहीं है साथ ही थर्ड डिवीजन पास विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या भी बतला दीजियेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्रीमन्, उसमें यह जोड़ दिया जाय कि द्वितीय व तृतीय श्रेणी पास कितने विद्यार्थियों के प्रार्थना-पत्र आये और उनमें से कितनों को छात्रवृत्ति दी गयी ?

श्री सुखपाल पांडेय—

केवल योग्यता के आधार पर ही छात्रों को छात्रवृत्ति गयी है, क्या माननीय मंत्री इसकी जांच फिर से करायेंगे और सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? क्योंकि मेरी सूचना है कि बस्ती जिले में केवल प्रथम श्रेणी के लड़कों को ही छात्र-वृत्ति मिली है।

(व्यवधान)

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब मुझे कल या परसों तक ही दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

शीघ्र से शीघ्र इनफारमेशन मंगा कर देने की कोशिश करेंगे।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

निदेशालय में प्रार्थना-पत्र की कोई प्रतिलिपि ही नहीं है। मैं खुद फार्म के लिये गया तो मुझे मना कर दिया गया। न मालूम वे जिले में फार्म भेजते भी हैं या कैसे क्या करते हैं।

वे फार्म्स सरकारी पैसे से ही छपते हैं, तो कृपया माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि किस जिले को कितने-कितने फार्म्स भेजे गये ?

श्री अध्यक्ष—

आप रेलीवेंसी जानते हैं। इसमें फार्म का प्रश्न नहीं है।

श्री सईद मुर्तजा (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि पिछड़े हुये मुसलमानों के लिये स्कालरशिप्स के लिये क्या कोई तादाद मुकर्रर कर रखी है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

निश्चित संख्या नहीं है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

हमारे जिले में दो मोमिन अन्सार से ज्यादा को नहीं मिल सकती है?

श्री अध्यक्ष—

यह सूचना आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री जयराम वर्मा—

क्या यह सही है कि मोमिन अन्सार के विद्यार्थियों को अलग करके अलग रकम और संख्या मुकर्रर की गई है?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

मुझे तो इसकी कोई सूचना नहीं है। मैंने पहले ही आदेशानुसार स्वीकार कर लिया है कि पूर्ण विवरण के साथ वक्तव्य प्रस्तुत कर दूंगा उससे जानकारी हो जायेगी।

श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

माननीय सदस्य ने जो बात कही वह सही है कि फर्स्ट क्लास के लड़कों को ही छात्रवृत्ति मिली है और गरीब लड़के द्वितीय और तृतीय श्रेणी को छात्रवृत्ति नहीं दी गई है? क्या उनको भी मंत्री जी देने की कृपा करेंगे।

श्री बलदेव सिंह आर्य—

यह तो धन के उपलब्ध होने पर निर्भर करता है कि हम सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दे सकेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल

*1—श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती), श्री राम करन सिंह (जिला गोरखपुर), श्री राम-गोपाल संड श्री अनन्तराम जायसवाल श्री कृष्णस्वरूप वैश्य (जिला बदायूं), श्री नित्यानन्द स्वामी, श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया) तथा श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)—

क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 7 फरवरी, 1973 से प्रदेश के रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों के सम्बन्ध में हड़ताल कर दी है? यदि हां, तो कितने रुपय का [illegible]

से प्रतिदिन हानि हो रही है और इस हानि को रोकने के लिये सरकार कौन-सा उपाय कर रही है ?

परिवहन उप मन्त्री (श्री आबिद अली)—

7 फरवरी से नहीं, बल्कि 9 फरवरी से। औसतन 7,11,436 रु0 प्रतिदिन की।

(1) कार्यरत कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध।

(2) नये कर्मचारियों की भर्ती ।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि 9 फरवरी से कब तक हड़ताल चली और कितना नुक्सान हुआ तथा उनकी क्या-क्या मांगें थीं?

श्री आबिद अली—

हड़ताल 9 फरवरी से शुरू हुई और जितना समय बीतता गया हड़तालियों की तादाद कम होती गई और 26, 27 तक हड़ताल चली ?

श्री अध्यक्ष—

कितने रुपये का नुक्सान हुआ ?

श्री आबिद अली—

99 लाख 60 हजार एक सौ सोलह रुपये का नुक्सान हुआ ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

9 तारीख से हड़ताल शुरू हो गई और 7, 8 को सांकेतिक हड़ताल हुई तो इसको रोकने के लिये सरकार ने क्या किया? हड़ताल होने से आपने कर्मचारियों से क्या बात कीं और कहां बात अटक गई और हड़ताल रोकने में आपने क्या प्रयत्न किया ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न मूल्य प्रश्न से पैदा नहीं होता ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

यह प्रश्न हड़ताल के सम्बन्ध में किया गया है क्योंकि प्रश्न में ही पूछा गया है कि हड़ताल से कितनी हानि हो रही है । इसका मतलब यह हुआ कि सरकार हड़तालो कर्मचारियों से बातचीत कर रही है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने जो उपाय किये वह बता दिये कि कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये प्रबन्ध किया गया है, दूसरे नय कमचारियों की भर्ती करते हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इतना ही बता दें कि यह हड़ताल किस आधार पर समाप्त हुई ?

परिवहन राज्यमन्त्री (श्री देवकीनन्दन विभव)—

अब हमारे करीब-करीब सारे कर्मचारी हड़ताल से वापस आ चुके हैं । 62 डिपोज में से 55 चल रहे थे, यह देखकर कि अब वह हड़ताल चला ही नहीं सकते उन्होंने यह लिखकर दिया कि बिना शर्त हड़ताल वापस करत ह, इस तरह से वह समाप्त हुई ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायगे कि कर्मचारियों को यह आश्वासन दिया गया था कि हड़ताल समाप्त होने पर उनके किसी कार्य पर कोई एक्शन नहीं लिया जायगा लेकिन इस आश्वासन के बावजूद भी परिवहन विभाग से नोटिस दिया जा चुका है एक्शन के लिये तो क्या उसको मन्त्री जी विदड्रा करेंगे ?

श्री देवकीनन्दन विभव---

उनकी ऐसी कोई शर्त स्वीकार नहीं की गई है कि किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जायगी ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करगे कि आपने कहा कि उन की कोई ऐसी शर्त स्वीकार नहीं की गई और वह इसलिये वापस आ गये क्योंकि उनके बिना सरकारी काम चल रहा था। लेकिन क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उनकी मांगों पर क्या सरकार अब भी विचार कर रही है और क्या वह आज भी विचाराधीन हैं ? होना चाहिये ।

श्री देवकीनन्दन विभव---

उनकी मांगों के सम्बन्ध में हमारी नीति तो यही है कि अगर वह कोई भी उचित मांग उपस्थित करते हैं अगर वह उचित हो तो उसे तुरन्त स्वीकार कर लिया जाय और अगर कोई गलत मांग आती है तो उसे स्वीकार नहीं करते ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

उनकी कोई मांगे सरकार के विचाराधीन इस समय है या नहीं ?

श्री देवकी नन्दन विभव---

उन्होंने कुछ नई मांग पेश की हैं, उनकी हम अभी परीक्षा करा रहे हैं और उनमें कोई भी जो उचित होंगी उन्हें स्वीकार करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मेरा यह एक व्यवस्था का प्रश्न है ?

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठें । मेरे ऊपर आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं?

श्री कल्पनाथ सिंह---

आप मेरे व्यवस्था के प्रश्न को सुन तो लें ?

श्री अध्यक्ष---

मैं नहीं सुनता, आप कृपया बैठें ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि उन्होंने इसके लिये 2 उपाय किये, एक तो रोडवेज के कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध किया और दूसरा नयी भरती की । ये 2 काम आपने किये जिनसे हड़ताल समाप्त हो गयी । हड़ताल 9 तारीख से 27 तक चली, करीब 18 दिन और लगभग 1 करोड़ रुपये का नुक्सान भी हुआ । तो आपने इस अवधि तक इस हड़ताल को क्यों चलने दिया और आपने निर्णय कब लिया?

श्री देवकी नन्दन विभव---

निर्णय तो हम हड़ताल करने से पहले ही ले चुके थे। उनकी सारी मांग हम स्वीकार भी कर चुके थे, उनका कार्यान्वयन भी हो चुका था और हमने उनको बुला कर यह भी कह दिया था कि अब तुम्हारी हड़ताल करने का कोई आधार नहीं है और यदि आप ऐसा करेंगे तो जनता का, निगम का और कर्मचारियों का भी नुक्सान होगा।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पहले कहा कि उनकी मांग स्वीकार नहीं की लेकिन अब कहने लगे हैं कि उनकी मांग स्वीकार कर ली गयी हैं। इन दोनों में कौन सी बात सही है ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, आप केवल 2-3 आदमियों को ही देखते हैं, आप उनकी ओर ही विशेषरूप से ध्यान देते हैं। हम लोगों की ओर भी देख लिया कीजिये ? हमारे अधिकारों पर आप क्यों कुठाराघात कर रहे हैं ?

श्री अनन्तराम जायसवाल---

श्रीमन्, मेरा तो सवाल है।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, आप इधर देखते ही नहीं हैं (अत्यधिक शोर)

श्री रामगोपाल संड---

श्रीमन्, हमको आप बोलने का अवसर ही नहीं देते हैं। आप हमारे प्रति अन्याय कर रहे हैं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

माननीय मन्त्री जी ने फरमाया कि उनकी मांग जो थीं, पहले ही पूरी कर दी थी, तो हड़ताल का कोई कारण नहीं रहा। उनका कहना यह भी है कि यह हड़ताल अकारण ही हुई और यह अनुशासनहीनता है। मैं जानना चाहता हूं कि इसको रोकने की क्या कार्यवाही की गयी, और यदि नहीं की गयी तो क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष---

इन्होंने उत्तर दिया है। जब इन्होंने अनुशासनहीनता देखी तो कर्मचारियों की सुरक्षा के उपाय किये और नये कर्मचारियों की भरती की।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

माननीय मन्त्री जी से पूछा गया था कि प्रति दिन कितना नुक्सान हुआ। परन्तु मन्त्री जी ने लमसम धनराशि बता दी। क्या वे बताने का कष्ट करेंगे कि प्रति दिन कितना नुक्सान हुआ ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बता तो दिया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, इन्होंने लमसम एमाउन्ट बताया है, प्रतिदिन कितना नुक्सान हुआ, यह नहीं बताया है।

(माननीय दुर्जन भाई का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम गोपाल संड—

मान्यवर, आपने मुझे एक भी प्रश्न करने की आज्ञा नहीं दी यद्यपि प्रश्नकर्त्ताओं में मेरा नाम भी है। मैं वहां के कर्मचारियों के संघ का उपाध्यक्ष हूं पर आपने मुझे बोलने नहीं दिया। आपकी इस व्यवस्था के विरोध में मैं वाक आउट करता हूं ।

(श्री राम गोपाल संड सदन त्याग कर चले गये)

श्री अध्यक्ष—

आपके नेता 2 बार बोल चुके हैं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 क नियम 38(2) के अन्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न ।]

सार्वजनिक निर्माण विभाग पूरनपुर (पीलीभीत) के विरुद्ध शिकायतें

*1—श्री दुर्जन (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम बिलास गुप्ता, कार्यालय मन्त्री, उत्तर प्रदेश सावजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ, लखनऊ ने मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग को प्रेषित अपने पत्र संख्या श्रमिक 491/72, दिनांक 7 जुलाई, 1972 तथा श्रमिक पत्र संख्या 521/72, दिनांक 14 जुलाई, 1972 में पूर्व प्रान्तीय खंड सावजनिक निर्माण विभाग, पीलीभीत के अन्तर्गत पूरनपुर क्षेत्र में फर्जी मस्टर रोल चलाने, राजकीय, सम्पत्ति का अधिकारियों द्वारा दुरुपयोग करने और कर्मचारियों की समस्याओं के सम्बन्ध में शिकायतें प्रस्तुत करके तत्काल जांच पड़ताल शिकायत कर्ता के सामने करने की मांग किया था? यदि हां, तो क्या यह जांच की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री लक्ष्मीशंकर यादव)—

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग द्वारा गूलों का गलत सत्यापन

*2—श्री शम्भूनाथ चौधरी (अनुपस्थित)—

विधान सभा सन् 1972 के प्रथम सत्र के नवें बधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 3 व 4 के उत्तर के क्रम में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिन ओवरसियर, सहायक अभियन्ताओं एवं अन्य कर्मचारियों ने करीब 3 लाख रुपये के गूलों का सत्यापन गलत किया है उनके विरुद्ध अब तक क्या-क्या दण्डनात्मक कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मन्त्री (श्री महमूद अली खां)—

विस्तृत जांच करने पर यह तथ्य सामने आया कि 650 कुलाबों में से 269 कुलाबों की गूलें जिनकी लम्बाई 228 मील 2 फर्लांग 446 फुट थी ग्राम सभाओं को सौंप दी गयी थी। उनके हस्तान्तरण पत्र अथवा सम्बन्धित कागजात तुरन्त उपलब्ध नहीं किये जा सकने के कारण इन गूलों का सत्यापन नहीं हो पाया । 458 गांवों में लगभग 107 मील लम्बी गूल का सत्यापन शेष है ।

*3—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल

*4—श्री दुर्जन (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि माननीय मुख्य मन्त्री को सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों की विधान सभा के समक्ष दिनांक 15 जनवरी, 1973 से 23 जनवरी, 1973 तक आयोजित भूख हड़ताल के सम्बन्ध में श्री गोविन्द सिंह नेगी, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 22 दिसम्बर, 1972 का प्राप्त हुआ जिसमें भूख हड़ताल के पूर्व इन विभागीय अधिकारियों और उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुला कर वार्ता द्वारा श्रमिकों की मांगों को तय कराने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो क्या अधिकारी और संघ के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई तथा मांगों पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां।

जी हां।

कुछ मांगों पर निर्णय लिया जा चुका है और कुछ मांगों में आवश्यक छानबीन और विचार किया जा रहा है।

बांसी (बस्ती) से पानी की निकासी एवं बाढ़ क्षेत्र का बचाव

*5—श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के बांसी तहसील के अन्तर्गत घवरताल के पानी की निकालने तथा तहसील के राप्ती तथा बूढ़ी राप्ती के बीच के क्षेत्र को बाढ़ से बचाने की कोई योजना सरकार के पास है ? यदि हां, तो कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

सिंचाई राज्य मन्त्री (श्री राजबिहारी सिंह)—

इस सम्बन्ध में सवक्षण किया जा रहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह सर्वेक्षण कब समाप्त किया जायगा ? क्या उसे शीघ्रातिशीघ्र कराने की कृपा करेंगे ताकि काम प्रारम्भ हो जाय ?

श्री राज बिहारी सिंह—

उसमें तकनीकी राय लेकर काम जल्द से जल्द शुरू किया जायेगा।

मेसर्स भारत ट्यूबवेल (गाजीपुर) में नलकूपों की बोरिंग एवं हस्तान्तरण तथा भुगतान अनुबन्ध

*6—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में मेसर्स भारत ट्यूबवैल द्वारा कुल कितने नलकूप बोर किये गये हैं और उनमें से कितने विस्तारित होकर सिंचाई प्रखण्ड गाजीपुर को हस्तान्तरित हुए हैं तथा कितने अभी तक अवशेष है और क्यों ?

श्री राजबिहारी सिंह—

गाजीपुर जनपद में मेसर्स भारत ट्यूबवेल्स द्वारा कुल 40 नलकूप बोर किये गये। उनमें से 28 नलकूप पूरे करके सिंचाई प्रखण्ड गाजीपुर को हस्तान्तरित कर दिये गये हैं। शेष 12 नलकूपों में से 2 का बोर स्ट्रेटा न मिलने के कारण परित्याग कर दिया गया। शेष पांच का

काम पूरा हो चुका है और उन्हें हस्तान्तरित करने की कार्यवाही की जा रही है। अन्य पांच नलकूप सफल नहीं हो सके उन्हें दुबारा बनाया जायगा।

*7—श्री देवराम—

क्या सिंचाई मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कुल कितने प्रतिशत धनराशि का भुगतान मेसर्स भारत ट्यबवेल को किया जा चुका है? क्या यह भुगतान उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुकूल है या नहीं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मेसर्स भारत ट्यबवेल्स को उनके द्वारा बोर किये गये नलकूपों का 80.19 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है जो कि उनके साथ किये गये अनुबन्ध की शर्तों के अनुकूल है।

श्री देवराम—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 10 नलकूपों का स्ट्रेटा किन-किन अधिकारियों द्वारा अप्रूव किया गया और स्ट्रेटा न मिलने पर भी क्यों पाइप डालने आदि संबंधी व्यय किया गया? गलत स्ट्रेटा न मिलने पर काम करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गयी या नहीं ?

श्री राजबिहारी सिंह—

स्ट्रेटा न मिलना, यह किसी अधिकारी का दोष नहीं है। जब कहीं ट्यूबवेल लगाया जाता है तो चयन समिति निर्णय करती है। ट्यूबवेल बोर करने के बाद पता चलता है कि नीचे पत्थर आदि तो नहीं है।

श्री देवराम—

स्ट्रेटा उस वक्त अधिकारी तय करते हैं, मिट्टी देखकर कि वहां पर पानी है कि नहीं तब पाइप लोवर किया जाता है। यह चयन समिति का कार्य नहीं है। चयन समिति तो केवल साइट तय करती है। मन्त्री जी ने हमारे प्रश्न से संबंधित उत्तर, मान्यवर, अभी नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष—

(श्री राज बिहारी सिंह से) स्पष्ट कर दें।

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इसमें अब नये नियम बनाये गये हैं कि पहले मिट्टी और पानी की जांच-पड़ताल कर ली जाय।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब 40 नलकूपों के कन्स्ट्रक्शन में केवल 28 नलकूपों को इस वक्त कम्पनी ने गवर्नमेन्ट को हैंड ओवर किया, तो उन्हें 80 प्रतिशत पेमेंट क्यों कर दिया ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह, मान्यवर, उनके अनुबन्ध में शर्त थी, इसलिये किया।

श्री कृष्णानन्द राय—

40 नलकूपों का कान्ट्रैक्ट था मेसर्स भारत ऐण्ड कम्पनी का। 40 में से केवल 28 बोर उन्होंने किया। तो यह 80 प्रतिशत पेमेंट गलत है। क्या मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां। जांच करवा लूंगा।

श्री देवराम—

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि 5 ट्यूबवेल जो अभी हस्तांतरित किये जाने वाले हैं, क्या ये भारत ट्यूबवेल के द्वारा निर्मित किये गये हैं या विभाग द्वारा ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, यह तो लिखा ही हुआ है कि नलकूप खण्ड को स्थान्तरित कर दिये जायेंगे।

श्री देवराम—

मान्यवर, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि यह जो 5 नलकूप तैयार हो गये हैं और हैंड ओवर करने लायक हैं, क्या वे विभाग द्वारा बनाये गये हैं अथवा भारत ट्यूवैल्स द्वारा, क्योंकि इनके बनाये हुए 10 ट्यूबवैल फेल हो गये हैं।

श्री राजबिहारी सिंह—

ये विभाग द्वारा बनाये गये हैं अथवा किसी दूसरे के द्वारा, इसके लिये सूचना की जरूरत होगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी यह जानना चाहता हूं कि जो ट्यूबवेल असफल हो गये हैं उनको पुनः बोर करवाने तक बकिया पेमेन्ट को रुकवा देंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

पेमेन्ट ही नहीं रुका हुआ है बल्कि 87 हजार रुपये की जमानत जब्त कर ली गई है।

श्री रामकिशोर शुक्ल (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, ट्यूबवल बोर करते समय कुछ ऐसे स्थान आ जाते हैं जहां पत्थर पड़ जाने की शिकायत होती है, तो क्या माननीय मन्त्री जी उन पत्थरों को तुड़वाने के लिये किसी मशीन की व्यवस्था करेंगे ताकि उस क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो सके ?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, विभाग द्वारा यही प्रयास होता है कि पत्थर पड़ जाने के कारण जहां बोरिंग नहीं हो सकती हैं वहां मशीन मंगवा कर काम करायें। परन्तु मशीन बहुत कम मिलती है इसलिये काम देर से शुरू होता है।

श्री पारस नाथ सिंह (जिला बहराइच)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि बहुत से जिले में ऐसे स्थान हैं जहां पत्थर की एक फीट तक लेअर है, क्या इस लेयर को तुड़वाने के लिये कोई व्यवस्था करेंग?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, जैसा मने निवेदन किया विभाग इसकी व्यवस्था तो करता ही है।

श्री पारस नाथ सिंह—

मान्यवर, क्या प्राइवेट लोगों के लिये भी जो ट्यबवेल लगाना चाहते हैं, इसकी सुविधा मिलेगी।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री देवराम—

मैसर्स भारत ट्यूबवेल्स के साथ जो अनुबन्ध हुआ था उसकी क्या शर्तें थी और कितनी धनराशि का अनुबन्ध किया गया था और क्या अनुबन्ध करने वाला अधिकारी अबन्ध करने के लिये सक्षम था, क्या इसका उत्तर मन्त्री जी देने की कृपा करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय, वह अधिकारी अनुबन्ध करने के लिये सक्षम था, तभी तो अनुबन्ध किया गया । डिटेल्स के बारे में, जैसा मैंने श्री कृष्णानन्द जी के प्रश्न के उत्तर में कहा, मैं जांच पड़ताल कर सदन के सामने बता दूंगा ।

दोहरीघाट (मुरादपुर) पम्प कैनाल के लिये अध्याप्त भूमि

श्री राम बिलास पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री विश्वनाथ कपूर (जिला फैजाबाद)—

*8—क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दोहरीघाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत मुरादपुर माइनर के लिये जमीन अधिकृत की गई है? यदि हां, तो क्यों नहीं प्रारम्भ हुआ तथा क्या यह सही है कि उस जमीन की आवश्यकता नहीं रही ? यदि हां, तो क्या उसे किसानों को वापस करने पर विचार करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी हां । लागत बढ़ने के कारण इस माइनर का निर्माण करना संभव नहीं हो सका । अब पम्प कैनाल के पानी की क्षमता बढ़ाने के लिये पुनः इस मुरादपुर माइनर को बनाने का प्रस्ताव है । इसलिये अध्याप्त भूमि को वापिस करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामबिलास पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि दोहरी घाट पम्प कैनाल के अन्तर्गत मुरादपुर माइनर के लिये जो जमीन अधिकृत की गई है वह कितनी है और कब उसका अधिग्रहण हुआ ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह जमीन कितनी एक्वायर की गई, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

श्री रामबिलास पांडेय—

कब अधिकृत की गई?

श्री राजबिहारी सिंह—

माननीय, यह सूचना उपलब्ध है । 1963 में 640 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी थी ।

श्री रामबिलास पांडेय—

सन् 1963 में यह जमीन अधिकृत की गयी लेकिन आज तक वहां काम चालू नहीं हुआ । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस समय क्या लागत थी और अब जब पंप कैनाल की क्षमता बढ़ाने की बात है तो उसमें क्या लागत आती है?

श्री राजबिहारी सिंह—

इस माइनर पर क्या लागत आयेगी यह बताना तो मुश्किल है । जब 1963 में किसानों से जमीन ली गयी तो मुआवजा दे दिया गया था । आपने पूछा कि वापस करने की बात है तो सरकार दूसरी नहर निकाल रही है इसलिये वापस करने का सवाल नहीं उठता ।

श्री रामबिलास पांडेय—

सन् 1963 में यह जमीन अधिकृत की गयी और उस पर काम नहीं हुआ तो क्या मन्त्री जी उस जमीन को किसानों को वापस करने की कृपा करेंगे?

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या यह सही है कि जब यह माइनर बनायी गयी तो दोहरी घाट पर पानी उठाने की क्षमता देखकर नहर बनायी गयी और सन् 1963 में ही माइनर बनायी गयी तो उसमें पानी न जाने का क्या कारण है?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, यह सही है कि पहले जो माइनर या ट्यूबवैल बनाये गये तो कमांड एरिया बहुत ज्यादा था। उदाहरण के लिये एक ट्यूबवेल का कमांड एरिया 600 या साढ़े 600 एकड़ था। नहर का कमांड भी अधिक था। लेकिन पहल किसान एक दो पानी लेता था और अब वह चार पांच पानी लेता है। इससे टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। इस कमी को दूर करने के लिये दो तरीके अपनाये गये हैं। या तो टेल पर नलकूप लगाये जा रहे हैं या नहर को चौड़ा करके पानी पहुंचा रहे हैं।

श्री कल्पनाथ सिंह—

सवाल यह नहीं था कि पानी टेल तक जाता है या नहीं। जो नहर की क्षमता थी कि इतने क्युजक पानी निकालेगी उसी आधार पर माइनर बनी थी और उसी के लिये जमीन अध्याप्त की गयी थी। जब नहर पूरी क्षमता पर चल रही थी तो पानी न पहुंचने का क्या कारण था। कहीं यह तो नहीं है कि नहर पूरी क्षमता पर नहीं चल रही। पानी न पहुंचने के क्या कारण थे यह जानना चाहता हूं?

श्री राजबिहारी सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है। यह मान लेता हूं कि नहर चली नहीं पूरी क्षमता पर तो इसकी जांच करा लेंगे।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

मन्त्री जी अपने उत्तर में बतलाया कि जमीन अध्याप्त की गयी तो नहर बनाने का प्रस्ताव किसी कारण छोड़ दिया गया। क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि यह जमीन कब अध्याप्त की गयी और कब से खाली पड़ी है। और यदि खाली पड़ी है तो जिनकी यह जमीन है उनको पट्टे पर देंगे जिससे कि उस जमीन पर खेती हो सके?

श्री राजबिहारी सिंह—

मैंने निवेदन कर दिया है कि यह जमीन सन् 1963 में एक्वायर की गयी थी और तब से इस पर नहर नहीं बन सकी है। उस जमीन को अब किसानों को पट्टे पर देना मुमकिन नहीं है क्योंकि जब उस जमीन की जरूरत पड़ेगी तब उस जमीन को एक्वायर करने में दिक्कत पड़ेगी।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

जब तक नहर नहीं बन जाती तब तक साल या 6 महीने के लिये उस जमीन को पट्टे पर दे दिया जाए क्योंकि अन्त की कमी है। जिनकी वह जमीन थी उन्हीं को पट्टे पर देने में क्या दिक्कत है? पट्टे का ड्यूरेशन 6 महीने हो सकता है।

श्री राजबिहारी सिंह—

जी नहीं।

श्री रामविलास पांडेय—

मेरा एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

बहुत हो गया है।

जमानियां (वाराणसी) पम्प कैनाल पर स्थित बार्ज का डूबना

*9—श्री देवराम—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल-मई 1972 में लिफ्ट सिंचाई खण्ड तृतीय वाराणसी के अन्तर्गत जमानियां पम्प कैनाल पर स्थित बार्ज किस अधिकारी की लापरवाही से डूब गया था? उक्त बार्ज के निर्माण की क्या लागत थी और उसके निकालने में कितनी धनराशि व्यय हुई? तथा सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक विभागीय कायवाही क्या की गई ?

श्री राजबिहारी सिंह—

बार्ज 100 कि0 मी0 रफ्तार के तूफान के कारण डूबा था। इसकी कीमत 2 लाख और उस पर लगे सामान की कीमत करीब 12.5 लाख रुपया थी। इसके निकालने में 30.390 रुपये की धनराशि खर्च हुई। इस दुर्घटना के लिये किसी के विरुद्ध कायवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री देवराम—

मेरी सूचना यह है कि वहां पर पानी था और बार्ज इसलिये डूबा क्योंकि वहां पर कोई अधिकारी नहीं था और पानी निकालने की कोशिश नहीं की गयी। जब बार्ज डूबा तब गर्मी के दिन थे। क्या मन्त्री जी की जानकारी में यह बात है ?

श्री राजबिहारी सिंह—

यह सही है कि गर्मी के दिनों में यह बार्ज डूबा। यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि जून के महीने में एक बैक तूफान आया था और उसमें उजियार घाट का नाव का पुल भी बह गया था। उसी तूफान की वजह से यह बार्ज भी डूबा। वह किसी अधिकारी की लापरवाही की वजह से नहीं डूबा था।

श्री देवराम—

बार्ज में पहले से पानी भरा हुआ था। पानी न निकालने पर आंधी आने पर वह बार्ज डूब गया। क्या मन्त्री जी जांच करायेंगे कि अधिकारियों की सतर्कता न बरतने के कारण वह बार्ज डूबा ?

श्री अध्यक्ष—

तूफान की वजह से अधिकारी भी डूब गये होंगे।

श्री कृष्णानन्द राय—

जमानियां पम्प कैनाल लाखों एकड़ जमीन की सिंचाई करती है लेकिन गाजीपुर में लिफ्ट इरीगेशन का कोई इंजीनियर नहीं रहता है बल्कि वाराणसी में रहते हैं। उनकी लापरवाही के कारण बार्ज डूब गया और पम्प कैनाल भी ठीक से नहीं चल रही है। क्या माननीय मन्त्री जी वहां सिंचाई विभाग का कोई एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर पोस्ट करेंगे ?

श्री राजबिहारी सिंह—

जहां तक यह सुझाव है कि एग्जीक्यूटिव इन्जीनियर वहां पोस्ट किया जाये उस सुझाव पर विचार कर लेंगे। बाकी जो दो सवाल हैं, मैं समझता हूं, वे सत्य से जरा दूर हैं।

परिवहन शाखा में अधिकारियों की दक्षता रोक

श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)—

*10—क्या परिवहन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सम्भागीय परिवहन शाखा में राजपत्रित अधिकारियों के कितने दक्षता रोक के मामले सरकार के विचाराधीन हैं? इसमें से कितने सचिवालय में तथा कितने परिवहन आयुक्त के कार्यालय में हैं?

श्री देवकीनन्दन विभव—

34 मामले। सचिवालय में 4 तथा परिवहन आयुक्त के कार्यालय में 30।

बानगंगा (बस्ती) ट्यूबवेल डिवीजन के श्रमिकों की मजदूरी

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

*11—क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता का दिनांक 18 दिसम्बर, 1972 का पत्र श्रमिकों की सूची के साथ जिसमें बानगंगा बराज अन्तर्गत ट्यूबवेल डिवीजन बस्ती का काम करने वाले 31 मजदूरों की दिनांक 20 मार्च, 1967 से 30 अप्रैल, 1967 तक की मजदूरी न देने की शिकायत की गई थी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। भुगतान सम्बन्धी आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रतापगढ़ में राजकीय नलकूपों की मांग

*12—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक कितने राजकीय नलकूप सरकार द्वारा विकास खंड बिहार, बाबागंज तथा कालाकांकर, जिला प्रतापगढ़ में स्वीकृत हुए हैं और उनके निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री महमूद अली खां—

नलकूप किस क्षेत्र में तथा किन-किन स्थानों में लगाये जायं यह निर्णय जिला स्थल चयन समिति द्वारा सिंचाई एवं विद्युत परामर्शदात्री समिति के परामर्श से लिया जाता है।

1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1972 तक की अवधि में प्रश्नगत ब्लाकों में कोई नलकूप नहीं लगा।

घोघी नदी (गोरखपुर) पर पुल निर्माण

*13—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले कोल्हई लोटन मार्ग पर घोघी नदी पर कोई पुल बनाना स्वीकृत है? यदि हां, तो अब तक न बनने का कारण क्या है?

नोटः—तारांकित प्रश्न 9 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जी हां। सामग्री का मूल्य एवं मजदूरी की दरें बढ़ जाने के कारण संशोधित अनुमान बनाना पड़ा और उसकी जांच की जा रही है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग के श्रमिकों की हड़ताल

*14--श्री दुर्जन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग श्रमिक संघ द्वारा प्रेषित मांगों पर कोई संतोषप्रद कार्यवाही न होने के विरोध में हड़ताल बैलेट लेने का निर्णय लिया है जिसकी सूचना संघ के पत्र दिनांक 22 जनवरी, 1973 द्वारा मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा सार्वजनिक निर्माण मन्त्री को भी प्रेषित की गई है? यदि हां, तो क्या सरकार आम हड़ताल के पूर्व ही मांगों पर संतोषजनक का कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव--

जी हां।

कुछ मागों पर निर्णय लिया जा चुका है--शेष विचाराधीन हैं।

घोड़ईया सोताऊवा एवं बानगंगा (बस्ती) को पानी से क्षति

*15--श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि विधान सभा क्षेत्र बान गंगा 176, जनपद बस्ती के घोड़ईया-सोताऊवा एवं बानगंगा के पानी के फैलाव के कारण सैकड़ों गांवों को क्षति पहुंचती है? यदि हां, तो इसके बचाव के लिये सरकार के पास कोई योजना है? यदि ह , तो वह क्या है, और कब तक कार्यान्वित होगी ?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। अभी बचाव की कोई योजना नहीं है।

*16--श्रीमती मसाली देवी--

[पुनरावृत्ति के कारण निरस्त]

नहर सिंचाई योजना (सीतापुर) में अपूर्ण पम्प नहरों का निर्माण एवं व्यय

*17--श्री रामलाल राही (जिला सीतापुर)--

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पम्प नहर सिंचाई योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में जिन पम्प नहरों का निर्माण वर्ष 1969-70, 1970-71 व 1971-72 में प्रारम्भ किया गया था वह आज भी अधूरी पड़ी है? यदि हां, तो उन्हें पूरा कर काश्तकारों को उपलब्ध न कराये जाने का क्या कारण है?

श्री महमूद अली खां--

जी हां। भूमि अधिग्रहण कार्यवाही पूरी न होने के कारण योजनाओं पर कार्य पूरा नहीं हो सका है। फिर भी अपूर्ण पम्प नहरों में से 7 नहरों द्वारा आंशिक रूप से सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

*18—श्री रामलाल राही—

क्या सिंचाई मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि पम्प नहर योजना के अन्तर्गत सीतापुर जिले में अब तक कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है तथा कौन-कौन सी पम्प नहर किस समय से काश्तकारों को पानी देना आरम्भ कर चुकी है और अब तक कुल कितने एकड़ भूमि सींची जा चुकी है ?

श्री महमूद अली खां—

सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 1251 पर)

भरुवा सुमेरपुर-पैलानी (हमीरपुर–बांदा) सड़क निर्माण तथा व्यय

*19—श्री शिव कैलाश (जिला बाराबंकी)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि हमीरपुर जिले के स्थान भरुवा-सुमेरपुर से बांदा जिले के पलानी स्थान तक बनाई जाने वाली सड़क का निर्माण-कार्य कब शुरू हुआ था? इस समय सड़क की स्थिति क्या है, कुल कितना रुपया खर्च किये जाने का अनमान था, अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है, और उसके अनुपात में काम कितना हुआ है तथा कब तक सड़क पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने की सम्भावना है और समय के अन्दर सड़क न बन पाने का क्या कारण है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

वांछित सूचना सदन के मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी (ख) आगे पृष्ठ 1252 पर)

मऊरानीपुर (झांसी) में नदी पर पुल निर्माण की मांग

*20—श्री प्रेमनारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मऊरानीपुर, जिला झांसी में नदी के ऊपर जो रिपटा है वह बहुत नीचा है जिस पर बरसात में पानी आ जाता है और वहां के नागरिकों को कस्बा में आना-जाना बन्द हो जाता है, क्या सरकार उस नदी पर ऊंचा पुल बनाने के लिये विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

प्रश्नगत रिपटा नगर पालिका के अन्तर्गत है और उस पर ऊंचा पुल बनवाने की सार्वजनिक निर्माण विभाग की कोई योजना नहीं है।

इटावा जिले में सड़कों के निर्माण की मांग

*21—श्री भारत सिंह चौहान (जिला इटावा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यमना और चम्बल नदियों के बीच में इटावा जिले के अन्तर्गत भरेह से चकरनगर तक वन विभाग द्वारा निर्मित परमठ रोड को पक्का कराये जाने की कोई योजना सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है? यदि हां, तो कब तक इस सड़क पर काम शरू हो जायगा ?

*22—क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले में सहार से विधना तक और सहायल से पूराघुपखरी होते हुए याकूबपुर तक सड़कों के निर्माण की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है और

यदि नहीं, तो औरैया इसी प्रकार औरैया विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भऊपुर से केवंटर और औरैया से शेरपुर सरया तथा भागनगर विकास खंड में मदनगंज से पीपरपुर कोठीपुर होते हुए फफून्द तक सड़कों के लिये भी निर्माण की योजना शासन के विचाराधीन है?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

प्रश्नगत सड़कें अभी सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में स्वीकृत नहीं है।

अकबरपुर (फैजाबाद) में सिचाई की असुविधा दूर करने की मांग

*23—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम तिघरा महमूदपुर महमूला, चांदपुर महपुरा, (तहसील अकबरपुर) के किसानों का प्रार्थना-पत्र अध्यक्ष, जिला संसोपा, फैजाबाद द्वारा सिंचाई की असुविधा को दूर करने हेतु अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड फैजाबाद को दिसम्बर, 1972/जनवरी, 1973 में भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री महमूद अली खां—

जी हां। इस पत्र में दाऊदपुर माइनर के मील 0–3–0 से मील 0·4·0 के भाग में दोनों ओर एक एक अतिरिक्त कुलावा लगाने की मांग की गयी है। छानबीन करने के उपरान्त अतिरिक्त कुलावे लगाने का औचित्य नहीं पाया गया।

[29 मार्च, 1973 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

सिविल व विद्युत् यांत्रिक सहायक अभियन्ताओं की नियुक्तियां

*1—श्री शम्भूनाथ चौधरी, श्री चन्द्रभान शर्मा, श्री शफीक अहमद खां, (जिला बरेली) श्री त्रिलोक चन्द तथा श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सितम्बर सन् 1972 में विज्ञापन सं0 ए0 ई02/72 सामान्य द्वारा सिविल यांत्रिक व विद्युत सहायक अभियन्ताओं के पद के लिये प्रकाशित हुई किन्तु इन पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति बिना साक्षात्कार किये ही की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? यदि नहीं तो पूर्ण विवरण तथा तथ्य क्या है?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। यह भर्ती अन्तिम एवं तदर्थ नियुक्ति के ही लिये है।

*2—श्री कल्याण सिंह—

[8वें मंगलवार के लिये प्र0 सं0 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*3—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

[5वें गुरुवार के लिये ता0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

सिंचाई विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में हरिजन

*4—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

दिनांक 26–7–72 के श्री मही लाल के ता0 प्रश्न सं0 11 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि 5,702 तृतीय श्रेणी तथा 11,654 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में हरिजनों की संख्या कितनी है और वे कितने वर्षों से वर्कचार्ज की हैसियत से काम कर रहे हैं? और इनमें अन्य पिछड़े वर्ग व संवर्ण लोगों का प्रतिशत अलग-अलग क्या है तथा क्या सरकार इनकी सेवाओं को स्थायी किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

श्री महमूद अली खां—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

जसपुरा (बांदा) विकासखण्ड में नलकूप के लिये प्रार्थना-पत्र

*5—चौधरी रामपाल सिंह (जिला कानपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम गौरी कला, विकास खंड जसपुर, जिला बांदा के निवासियों द्वारा सन् 1971 से लेकर 31-1-73 तक कुल कितने प्रार्थनापत्र नलकूप लगाने का लिफ्ट नहर निकालने के सम्बन्ध में सरकार को प्राप्त हुए हैं और सरकार ने यह जानते हुए कि इस पिछड़े क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सिंचाई का साधन नहीं है? क्या सर्वेक्षण कराकर कोई सिंचाई की योजना बनाई है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

बांदा जिले के विकास खण्ड, जसपुरा के ग्राम गौरी कला में नलकूप लगाने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 30-11-72 को प्राप्त हुआ था, नलकूप लगाने हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है।

जैतीपुर (शाहजहांपुर) का सड़क निर्माण

*6—श्री सुरेन्द्र विक्रम—

क्या सरकार को पता है कि विकास क्षेत्र जैतीपुर, जिला शाहजहांपुर में एक गज की सड़क पक्की नहीं है और चालू वित्तीय वर्ष 1972-73 में भी त्वरित योजना ट्रेक्टवर्क अथवा लिंकरोड किसी भी कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क निर्माण नहीं हो रहा है? यदि हां, तो ऐसा क्यों?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

ग्राम नरायनपुर, सुल्तानपुर को बिजली विभाग, सदर द्वारा अधिगृहीत भूमि

*7—श्री जयराम यादव (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मन्त्री को जानकारी है कि ग्राम नरायनपुर, तहसील सदर, जिला सुल्तान पुर में बिजली विभाग द्वारा 45 एकड़ भूमि अधिगृहीत की गई थी और अब इस भूमि के निकट ही नलकूप विभाग के कर्मचारियों के आवास के लिये इसी गांव में और भूमि अधिगृहीत करने की कार्यवाही विचाराधीन है जिसके परिणाम स्वरूप ग्रामवासियों द्वारा सन् 1972-73 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री महमद अली खां—

जी हां। परन्तु सम्बन्धित ग्रामवासियों का कोई शिकायती-पत्र इस अधिग्रहण के विरुद्ध शासन को प्राप्त नहीं हुआ है।

छोटी सरयू महाराजगंज (आजमगढ) को गहरी करने की मांग

*8—श्री बलसिंगार यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जनपद से इस तरह का बाढ़ विभाग ने कोई सुझाव आया है कि छोटी सरयू जो महराजगंज बाजार के पास है उसको गहरा किया जाय? यदि हां, तो उस पर कब से कार्य शुरू होगा ?

श्री महमूद अली खां—

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सहायक अभियंता तथा ओवर सियर के पद में हरिजन तथा पिछड़े वर्ग

*9—श्री रूपनाथ सिंह यादव—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि 1972–73 में इस विभाग में एक हजार सहायक अभियन्ता और ओवरसियरों की नियुक्ति की गई है ? यदि हां तो इसमें हरिजन, पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों की संख्या अलग-अलग क्या है और पिछड़े वर्गों के लिये कोई कोटा क्या अब सरकार ने निश्चित कर दिया है ? यदि हां तो कितना प्रतिशत? यदि नहीं तो क्या कठिनाई है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

1972–73 में सार्वजनिक निर्माण विभाग में 982 सहायक अभियन्ताओं तथा 2578 ओवरसियरों को तदर्थ नियुक्ति के आदेश जारी किये गये थे। सहायक अभियन्ताओं में से 34 तथा ओवरसियरों में से 57 अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों के थे। पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक के अभ्यर्थियों की संख्या का हिसाब अलग-अलग नहीं रखा जाता। पिछड़े वर्ग के लिये सेवाओं में नियुक्ति देने के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है। अतः प्रतिशत बताने का प्रश्न नहीं उठता। राज्याधीन सेवाओं / पदों में अनुसूचित जातियों एवं जन-जातियों के लिये सामान्य आरक्षण है परन्तु उसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण के संबंध में कोई आदेश नहीं है।

फरेंदा (गोरखपुर) में लिफ्ट सिंचाई योजना पर विचार की मांग

*10—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के फरेंदा तहसील के धानी ब्लाक में राप्ती नदी व बृजनगंज ब्लाक में धोबी नदी और फरेंदा ब्लाक में रोहित नदी त्रिमुहानी घाट से पम्प कैनाल या लिफ्ट सिंचाई योजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत स्थानों पर इस समय कोई पम्प कैनाल अथवा लिफ्ट सिंचाई योजना प्रस्तावित नहीं है।

श्री हनुमान सिंह, स्टोरकीपर, सार्वजनिक निर्माण विभाग (गोंडा) का तबादला

*11—श्री मनोहर लाल—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, गोण्डा, सा0 नि0विभाग में श्री हनुमान सिंह स्टोरकीपर का तबादला सन् 1972 में किया गया था ? यदि हां, तो किन आधार पर उनका तबादला रोक दिया गया और वे उक्त विभाग में करीब 8 वर्ष से लगातार वहीं रह कर कार्य कर रहे हैं? यदि हां तो ऐसा क्यों ? यदि नहीं तो उनके तबादले के संबंध में पुनः आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां। तबादला रोका नहीं गया।

जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

अभी ऐसा विचार नहीं है।

सिकन्दराराऊ (अलीगढ़) में सरकारी नलकूप

*12—श्री जगदीश गांधी (जिला अलीगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पिछले पांच वर्षों में अलीगढ़ जिले की सिकन्दराराऊ तहसील में कितने सरकारी नलकूप लगाये गये हैं और कितने अभी लगाने बाकी हैं तथा उन पर कितनी लागत आयी है अथवा आयेगी ?

श्री महमूद अली खां—

पिछले पांच वर्षों में सिकन्दराराऊ तहसील में कुल 13 राजकीय नलकूप लगाये गये हैं। इन 13 राजकीय नलकूपों पर माह जनवरी, 1973 तक कुल 8,77,319 रुपये व्यय हुए। इन नलकपों के शेष निर्माण-कार्य पूरा करने में अभी लगभग 2.5 लाख रुपये के और व्यय होने का अनुमान है। अब और नलकूप लगाना बाकी नहीं है।

जिला बहराइच में सड़कों एवं अस्थाई पुल के निर्माण की मांग

*13—श्री वासुदेव सिंह वैद्य (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में बहराइच से हजूरपुर मार्ग एवं प्यागपुर से हजूरपुर केसरगंज मार्गों को जून 1973 तक पूर्णरूपेण निर्मित कर दिया जायगा ? और क्या इसके साथ बहराइच जिले के अन्तर्गत प्यागपुर, केसरगंज मार्ग पर सिरौला घाट पर अस्थाई पुल का निर्माण करने की शीघ्र कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं।

देवरिया जिले में एल० आर० पी० रोड की जमीन का मुआवजा

*14—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौजा कसया, सवया ब्लाक, कसया तथा मौजा फाजिलनगर, ब्लाक फाजिलनगर, जिला देवरिया के किसानों को एल० आर० पी० रोड में निकले हुए जमीन का मुआवजा दे दिया गया है ? यदि अभी नहीं तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

ब्लाक कसया के मौजा कसया, सवया में भूमि अर्जन के प्रस्तावों में संशोधन किये जाने के कारण अभी कोई प्रतिकर नहीं बंटा है। ब्लाक फाजिलनगर, मौजा फाजिलनगर में अध्याप्त भूमि के 49146.02 रुपये प्रतिकर में से 6,000 रुपये बांटा जा चुका है। शेष को काश्तकारों के लेने से मना करने के कारण खजाने में जमा कर दिया गया है।

कसया–रामकोला (देवरिया) सड़क के निर्माण की मांग

15—श्री रामधारी शास्त्री तथा श्री मोतीलाल देहलवी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देवरिया जिले में कसया से रामकोला जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क कई वर्षों से टूट गई है और सवारियों के आने-जाने लायक नहीं है ? यदि हां तो सरकार द्वारा पुनः निर्माण में विलम्ब क्या है ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी नहीं।

सार्वजनिक निर्माण विभाग (हरदोई) के अधिदर्शकों एवं लिपिकों को भुगतान

*16—डाक्टर भगवत दयाल सिलोइया (जिला झांसी) तथा श्री विश्वनाथ कपूर—

क्या यह सही है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का स्थायी खंड (द्वितीय) हरदोई जो 27-2-73 को समाप्त हो गया था इसमें कार्य करने वाले अनेकों अधिदर्शकों एवं लिपिकों के यात्रा भत्तों के बिलों का भुगतान 8-10 महीने बीतने पर भी अभी तक नहीं हुआ है ? यदि हां तो क्यों और कब तक इनका भुगतान हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जी हां । इसकी जांच की जा रही है दो माह के अन्दर भुगतान करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

आजमगढ़ में सरकारी कर्मचारियों का कथित आवास

*17—श्री दल सिंगार यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद, आजमगढ़ में निर्मित पंच बंगलिया राजकीय आवास में किस विभाग के कितने कर्मचारी रह रहे हैं ? क्या उन लोगों का नाम, पद व विभाग की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लक्ष्मीशंकर यादव—

जनपद, आजमगढ़ में पंच बंगलिया राजकीय आवास के नाम से कोई आवास गृह निर्मित नहीं किये गये हैं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

अतारांकित प्रश्न

सोरांवा-कल्याणपुर (इलाहाबाद) सड़क निर्माण की मांग

1—श्री राजितराम पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद की सोरांव तहसील में सोरांव से कल्याणपुर तक की सड़क बनवाने की योजना है ? यदि हां तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

यह सड़क सार्वजनिक निर्माण विभाग की किसी योजना में सम्मिलित नहीं है परन्तु इस पर जिलाधिकारी द्वारा टेस्ट वर्क के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य आरम्भ कराया जा रहा है ।

होलागढ़-आनापुर, सोरांव-नवाबगंज (इलाहाबाद) सड़कों का निर्माण

2—श्री राजितराम पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद की सोरांव तहसील में होलागढ़ से आनापुर तथा सोरांव से नवाबगंज तक की सड़क बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो इसका पूरा विवरण क्या है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

सोरांव नवाबगंज मार्ग पर सूखा-ग्रस्त जिलों में टेस्ट वर्क के अन्तर्गत मिट्टी का कार्य इस विभाग द्वारा कराया जा रहा है । होलागढ़ से आनापुर मार्ग पर फसल खड़ी होने व मिट्टी न होने के कारण कार्य नहीं कराया जा सका ।

मेणीरेरुआ-सिधापुर कच्छार (इलाहाबाद) सड़क निर्माण की मांग

3—श्री राजितराम पांडेय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद, इलाहाबाद की सोरांव तहसील मेणीरेरुआ से सिधापुर कच्छार तक सड़क बनवाने की योजना है ? यदि हां, तो कब तक यह कार्य पूर्ण होने की सम्भावना है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं ।

चन्दीकरा तालाब (मैनपुरी) से सेंगर नदी तक नाले की मांग

4—श्री रघुनाथ सिंह वर्मा (जिला मैनपुरी) तथा श्री मुंशी लाल चमार (जिला मैनपुरी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मैनपुरी के करहल तहसील के गांव चन्दीकरा के तालाब से सेंगर नदी तक 5–6 वर्ष पूर्व नाला स्वीकृत हुआ था वह नाला अब तक न खुदवाये जाने का क्या कराण है और अगर खुदवाया जायेगा तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां—

प्रश्नगत नाला अभी स्वीकृत नहीं हुआ है । उसके निर्माण के लिये सर्वेक्षण वर्ष 1973–74 में कराया जायेगा ।

5—श्री गोपाल दत्त ओझा—

[14वें गुरुवार के लिये अतां0 प्र0 सं0 17 के अन्तर्गत स्थानांतरित ।]

मेंहदावल-करमैनी (बस्ती) करमैनी-कम्पेयरगंज (गोरखपुर) सड़कों को लिंक रोड से जोड़ने की मांग

6—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के मेंहदावल से करमैनी रोड व गोरखपुर जिले के करमैनी से कम्पेयरगंज रोड में किन-किन ग्रामों को लिंक रोड से जोड़ रही है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

उल्लिखित मार्गों में किसी ग्राम को लिंक रोड से जोड़ने की अभी कोई योजना नहीं है ।

सिंचाई कार्य पर "राजस्व एवं कैपिटल एक्सपेन्डीचर" से व्यय

7—श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)—

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि चारो वर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत कितना रुपया शासन ने सिंचाई कार्य पर "राजस्व एवं कैपिटल एक्सपेन्डीचर" से व्यय किया है कितने प्रोजेक्ट बने हैं और उन प्रोजेक्ट्स से सरकार को कितना लाभ अथवा हानि हो रही है ?

श्री महमूद अली खां—

सिंचाई प्रयोजनाओं के निर्माण पर केवल पूंजीगत व्यय ही हुआ है । राजस्व व्यय के अन्तर्गत कोई सिंचाई परियोजना कार्यान्वित नहीं हुई है । पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत, चौथी योजना के अन्त तक, 428·48 करोड़ रुपया का व्यय प्रत्याशित है । इसी काल में 51 बृहत् एवं माध्यमिक योजनायें निर्मित हो चुकी हैं तथा राजकीय लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत 11,400 नलकूप निर्मित हो जाने का अनुमान है । लाभ-हानि का विवरण अलग से देना सम्भव नहीं है क्योंकि बहुत सी योजनायें पुरानी योजनाओं की पूरक हैं ।

8—श्री नित्यानन्द स्वामी—

[10वें बुधवार के लिये स्थगित ।]

त्रिमुहानी घाट (गोरखपुर) पर पुल निर्माण

9—श्रीमती प्यारी देवी गुप्ता—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के महराजगंज फरेंदा रोड पर त्रिमुहानी घाट पर कोई पुल बन रहा है ? यदि हां, तो उस पर कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है और उस पर कब से कार्य शुरू हुआ है ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी हां।

सेतु कार्य—15 प्रतिशत, पहुंच मार्ग कार्य—16 प्रतिशत। नवम्बर 1972 से कार्य शुरू हुआ।

हंडिया (इलाहाबाद) में नलकूपों की बोरिंग

10—श्री राजितराम पांडय—

क्या सिंचाई मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सन् 1971–72 तहसील हंडिया, इलाहाबाद में नलकूप बोर हुए है उनमें से अभी तक कितने नलकूप चालू है और कितने नलकूप चालू नहीं है और किन कारणों से ?

श्री महमूद अली खां—

6 नलकूप सिंचाई हेतु चालू हैं तथा 13 नलकूप चालू नहीं हैं। इनमें 12 नलकूप का विद्युतीकरण नहीं हो पाया है। नलकूप फेल घोषित कर दिया गया है।

11—श्रीमती राजेंद्र किशोरी—

[7वें मंगलवार के लिये अता0 प्र0 सं0 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गवाइन ताल (इलाहाबाद) से ड्रेन निकालने की व्यवस्था

12—श्री राजितराम पाण्डेय—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद, इलाहाबाद में गवाइन ताल से ड्रेन निकालने की कोई व्यवस्था हो रही है जिससे एक लाख एकड़ जमीन बरसात में डूब जाती है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री महमूद अली खां—

जी हां, सर्वेक्षण हो रहा है।

हंडिया (इलाहाबाद) में नाले का निर्माण

13—श्री रजितराम पांडेय—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे की जनपद, इलाहाबाद तहसील हंडिया ग्राम गोढ़री में नाला बनवाने की योजना है जिसका शिलान्यास केन्द्रीय सिंचाई मन्त्री श्री के0 एल0 राव ने पांच वर्ष पूर्व किया था ? यदि हां, तो वह कब तक बनेगा ?

श्री महमूद अली खां—

पांच वर्ष पूर्व ग्रामीण जनशक्ति योजना के अन्तर्गत इस नाले के निर्माण का प्रस्ताव था। ग्रामीण जनशक्ति योजना की समाप्ति पर यह निर्माण-कार्य सिंचाई विभाग को हस्तान्तरित हुआ। इस नाले के निर्माण की लागत लाभ के अनुपात में अधिक पाये जाने के कारण इसे कार्यान्वित करना उचित नहीं समझा गया।

मड़ियाहूं व रामनगर (जौनपुर) में रबी की सिंचाई

14—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास क्षेत्र, मड़ियाहूं व रामनगर (जौनपुर जनपद) में रबी फसल में नलकूपों द्वारा कितनी एकड़ सिंचाई की गई वह पिछले तीन वर्षों की तुलना में कितनी कम हुई ?

श्री महमूद अली खां—

विकास क्षेत्र, मड़ियाहूं व रामनगर (जौनपुर जनपद) में रबी फसल में नलकूपों द्वारा क्रमशः 866 एकड़ व 2016 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई की गई। पिछले तीन वर्षों की तुलना में विकास क्षेत्र मड़ियाहूं में क्रमशः 230 एकड़, 442 एकड़ व 444 एकड़ क्षेत्र की वर्षवार अधिक सिंचाई हुई। विकास क्षेत्र रामनगर में पिछले तीन वर्षों की तुलना में क्रमशः 486 एकड़ 92 एकड़ व 365 एकड़ क्षेत्र की वर्षवार कम सिंचाई हुई है।

जिला मुरादाबाद में सड़कों का निर्माण एवं स्वीकृत धनराशि

15—श्री जितेन्द्रपाल सिंह (जिला मुरादाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में 1970–1972 तक कितनी सड़कें स्वीकृत हुईं और उनकी अलग-अलग कितनी धनराशि स्वीकृत हुई और कितनी सड़कें कितने मील तक बनकर तैयार हो गईं ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

(क) 1970 से 1972 तक 14 सड़कों का निर्माण स्वीकृत किया गया।
(ख) धनराशि के सम्बन्ध में सूचना सदन की मेज पर रखी है।
(ग) इन सभी सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 1253 पर)

सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ (लखनऊ) की कथित मांगें

16—श्री दुर्जन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 6 नवम्बर, 1972 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक निर्माण विभाग, श्रमिक संघ, लखनऊ के प्रतिनिधियों ने उपमन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग, के निवास स्थान पर मिलकर कोई मांग-पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो इस मांग-पत्र में कौन-कौन सी मांगें थीं तथा इन मांगों पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लक्ष्मी शंकर यादव—

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

न्यूज एजेंसियों को बिजली देने सम्बन्धी आश्वासन के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष जी मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं जिस दिन सदन बन्द हुआ था उस दिन विद्युत् मन्त्री जी ने आश्वासन दिया था कि अखबारों की एजेंसियों व समाचार-पत्रों के लिये वे बिजली रेगुलरली देंगे, परन्तु वह आश्वासन अभी तक कार्यान्वित नहीं हुआ है। माननीय सदस्यों ने यह निवेदन किया था कि इसका सीधा सम्बन्ध आपसे है और आपका ही उनको आदेश होना चाहिए था। दिन भर बिजली नहीं देंगे और शाम को 6 बजे सब ब्लाक हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—

उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आपने कहा था कि आप अपने कमरे में मीटिंग बुला रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप छुट्टी पर चले गये ।

श्री बंशीधर पांडेय—

तो तय कर दीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

आज शाम को 4 बजे मुख्य मन्त्री जी को बुलाया हुआ है । वे, सभापति जी और मैं बैठूंगा । एक विशिष्ट प्रश्न है ।

पब्लिक अन्डरटेकिंग के सम्बन्ध में जो चीजें हैं वह तय कर लेंगे । तो आज आप छोड़ दीजिए । मैं समझता हूं कि कल बुलाना उचित होगा ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो कल तक बिजली जारी रखने के आदेश दे दें ।

श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी द्वारा सदन से बाहर उत्तर प्रदेश के बंटवारे के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य पर आपत्ति

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । एक स्टेटमेंट श्रीमती राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी का निकला है जिसको मैं 3 लाइनें पढ़े देता हूं । इससे सारा प्रदेश और देश प्रभावित हो रहा है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अखबार से पढ़ रहे हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

नियम 351 के अन्तर्गत आपकी अनुमति से मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं । स्टेटमेंट मैं पढ़े देता हूं :

"She said the demand for a division of the state would certainly strengthen the hands of the forcis wich wanted that the domination of U. P. should end in the Country's politics."

इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है । जो कुछ इसमें कहा गया है वह सारे प्रदेश और देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है । इस स्टेटमेंट को सारे देश के लोग पढ़ेंगे । उत्तर प्रदेश को इसलिए एक रक्खा जा रहा है कि इसका सारे देश पर डामीनेशन रहे । यह घोर विरोध की बात है । यह ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न है जो सारे देश को प्रभावित करता है ।

श्री रियासत हुसैन (मुरादाबाद)—

किस सेक्शन के आधार पर आपने त्रिपाठी जी को बोलने की अनुमति दी है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

सारे देश में इसकी चर्चा हो रही है ।

डाक्टर राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कल अखबार वालों से बातचीत करते हुए इस पर अपने विचार प्रकट किये थे कि मैं ऐसा समझती हूं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन आर्थिक दृष्टि से और पीछे ले जावेगा । साथ ही साथ जो विरोधी दल के लोग उत्तर प्रदेश के विभाजन का नारा लगा रहे हैं, वह इसको कमजोर करने के दोषी होंगे । मैं ऐसा समझती हूं कि उत्तर प्रदेश छोटे-छोटे यूनिट्स में बंट जाने पर देश की राजनीति में पीछे पड़ जायेगा । यह बात उत्तर प्रदेश के हर राजनीतिक हिस्सा लेने वाले व्यक्ति को समझना चाहिए कि इसका आगे क्या असर होने वाला है । दो तीन लाइनें पढ़ देने से मैंने जो पूरी बात कही है वह नहीं आती है । मैं कल इस सम्बन्ध में का प्रीहेंसिव स्टेटमेंट दूंगी ।

श्री चरण सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा जिक्र श्रीमती राजेंद्र कुमारी बाजपेयी ने किया है । उनके इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, बंट जाने पर राजनीति में हिन्दुस्तान में पिछड़ जायेंगे, इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री अध्यक्ष—

उनको बोलने की स्वतन्त्रता है ।

श्री चरण सिंह—

मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि अखबारों में ऐसा ट्रेन्ड चल रहा है कि डा० शंकर दयाल शर्मा और प्रधान मंत्री ने ऐसा कहा है कि जो लोग उनके विरोध में बोल रहे हैं और किसी सार्वजनिक बात पर मतभेद रखते हैं, वह एक्सटर्नल फोर्सेज के एजेन्ट्स हैं और ट्रेटर हैं । तो क्या ऐसा है कि यह लोग हमारी नियत पर हमला करने का हक रखते हैं ?

डाक्टर राजेंद्रकुमारी बाजपेयी—

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक सवाल है नीयत पर हमला करने का, चौधरी साहब को इस प्रकार इस प्रश्न को नहीं लाना चाहिए । वह भी एक राजनैतिक दल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैं भी एक राजनैतिक दल की जिम्मेदार व्यक्ति हूं । जिस तरह वह अपने विचार रखते हैं जनता के बीच मुझे भी अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है । यह जनतंत्र का तकाजा है ।

श्री चरण सिंह—

क्या आपको यह कहने का अधिकार है कि जो पार्टियां उनसे मतभेद रखती हैं "एक्सटर्नल फोर्सेज की एजेन्ट हैं" ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

यह तो विचारों की बात है । मेरी निगाह में आज हमारे प्रदेश में जो भी दंगे होते हैं और इस तरह से आपस में डिवीजन इत्यादि की बात की जाती है उसके पीछे फारेन शक्तियां हैं, यह मैं कहती हूं और यकीन के साथ कहती हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त (जिला अल्मोड़ा)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अभी आया और इस विवाद को सुना । मैं भी उन व्यक्तियों में हूं जो उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं चाहते । परन्तु मैं उन व्यक्तियों से सहमति प्रकट कभी नहीं करता जो अदूरदर्शितापूर्ण बुद्धिमत्तापूर्ण इस विषय के ऊपर अपने भाषण दिया करते हैं । कुछ तो नातजुर्बेकारी के कारण और कुछ अपनी ज्यादा योग्यता सिद्ध करने के कारण। अभी

माननीय त्रिपाठी जी ने कुछ पढ़ कर सुनाया । यदि वह सही नहीं है तो श्रीमती राजेंद्र कुमारी जी यह उत्तर उसको दे सकती हैं कि अखबार वालों ने उनके बारे में सही बात नहीं कही—और अखबार वाले कभी कभी गलत बातें कर डालते हैं, अपने विचारों को वक्ता के बीच में रख देते हैं । तो उसका उत्तर तो बहुत सिम्पिल था और वह कह देतीं कि मेरा यह विचार कभी नहीं और न मैंने इस प्रकार अपने विचार प्रकट किये हैं । जहां तक उत्तर प्रदेश के विभाजन की बात है जब वे पैदा भी नहीं हुई थीं राजनीति में तब से मैं उत्तर प्रदेश के विभाजन का विरोध करता रहा हूं । परन्तु मेरे विचारों के विरोध में कहने वालों के विरुद्ध आरोप नहीं लगाये । तो जिसका विवाद बढ़ना ही नहीं चाहिए । वह सीधे में अपना उत्तर दे सकती हैं कि उनका सही जो विचार है वह अखबारों के द्वारा प्रकट नहीं किया गया ।

श्री चरण सिंह—

अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि माननीया राजेन्द्र कुमारी जी ने कहा कि जो उनसे डिफर करते हैं और जो झगड़े इस प्रकार के कर सकते हैं तो आप कह रही हैं कि हम उनको एक्सटर्नल फोर्सेज का एजेंट कहने में हक-बजानिब हैं । तो क्या दूसरे आदमी माननीया राजेंद्र-कुमारी बाजपेयी और उनकी लीडरशिप और मेम्बर्स को यह कहने में हक-बजानिब होंगे कि जो इनकी नीतियों पर जा रहे हैं वह किसी और दूसरी विदेशी ताकतों के एजेंट हैं और उनके दलाल हैं। अगर पोलिटिकल लाइफ में इस तरह से मोटिव्स को ऐट्रीब्यूट किया जायगा और विरोधी दलों को गद्दार, बेईमान और एजेंट कहा जायगा तो क्या यह उचित होगा और क्या जो आप कहते हैं वैसे ही दूसरा कहे तो क्या डेमोक्रैसी चलेगी या डिक्टेटरशिप चलेगी या डंडा चलेगा ?

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी—

अध्यक्ष जी, मैंने किसी को गद्दार नहीं कहा ।

अध्यक्ष—

मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि कोई चीज मेरे पास लिखकर नहीं भेजी गयी और अचानक माधव प्रसाद जी ने यह कहा कि दो मिनट सुन लीजिए—इस तरह की बात हुई, इसके सिवा और कुछ नहीं हुई । तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं फैसला जो बाहर वाले लोग करते हैं उसके बारे में यहां नहीं देता हूं । सदन में जो बात कही जाय उसके बारे में तो मैं एक फैसला दूं, लेकिन बाहर क्या-क्या चीजें कही जाती हैं, पचासों कही जाती हैं उसके बारे में किसी अखबार में कुछ छपा उस के ऊपर नहीं जाता । आपको मुझे लिखकर भेजना चाहिए । अगर कोई चीज देते हैं तो लिखकर भेजिए और उसके बाद में निर्णय दूं तो ठीक है । लेकिन बगैर लिखे, अचानक पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मुझे मौका इसलिए देना पड़ा कि वह कह लें । क्योंकि वह मौजूद थीं । अगर मौजूद न होतीं तो मैं आपसे कहता कि आप बोलना बन्द कर दीजिए ।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप पहले बैठिए । मेरे बोलते हुए आप खड़े नहीं हो सकते । मैं यह कह रहा हूं कि कभी भी किसी की नीयत पर हमला करना चाहे यहां हो चाहे बाहर हो, उचित नहीं है । सदन में तो यह अनुचित है ही और यहां अगर कोई कहता है तो मैं उसे रोक दूंगा और कार्यवाही में से निकाल दूंगा ।

वित्त (बिक्री कर-२) अनुभाग की विज्ञप्ति

वित्त उप मन्त्री (श्री सियाराम गंगवार)—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं वित्त (बिक्री-कर-2) अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश बिक्री कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या एस0 टी0 बी0 252/दस-938(2)—72, दिनांक 23 फरवरी, 1973 को उक्त धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

अभी आपने कह दिया कि सारा स्टेटमेंट कार्यवाही से निकाल दिया जायगा। मैं समझता हूं कि जो इसमें अच्छा है वह रह जाय और जो खराब है उसको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

मैंने यह नहीं कहा। मैंने यह कहा कि अगर कोई सदन में किसी की नीयत पर हमला करेगा तो मैं उसको निकाल देता हूं ।

श्री बंशीधर पांडेय—

तब ठीक है।

किराया नियंत्रण अनुभाग की अधिसूचनाएं†

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं किराया नियंत्रण अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 2 की उपधारा (3) के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 7987/29-ई-21 (64)-72, दिनांक 4 जनवरी, 1973 को उक्त अधिनियम की धारा 42 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं किराया नियंत्रक अनुभाग द्वारा उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराये पर देने, किराये तथा बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 1 की उपधारा (3) के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन जारी की गयी अधिसूचना संख्या 7202/29-ई-78 (1)-72, दिनांक 18 जनवरी, 1973 को उक्त अधिनियम की धारा 42 के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुरादाबाद)—

मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । पहले नम्बर पर खाद्य मंत्री हैं, यह सामुदायिक विकास मंत्री बीच म कहां से टपक पड़े ?

श्री अध्यक्ष—

मालूम होता है वह इस वक्त सबका चार्ज लिये हुए हैं ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, आइटम नं0 5 पर मेरी एक आपत्ति है । 19 जुलाई, 1972 को यह आदेश प्रख्यापित किया गया है और आज यह सदन में रखा जा रहा है । जो आदेश इतने दिन पूर्व

---

†छापी नहीं गयी ।

प्रसारित कर दिया गया और इस सदन के सामने नहीं रखा गया यह सरकार ने इस सदन का अवमान किया है। इसलिए कृपया आप इस पर व्यवस्था दें और अगर आपकी यह व्यवस्था होती है कि अवमान किया है तो मैं मंत्री जी के विरुद्ध लिखकर विशेषाधिकार की अवहेलना की नोटिस दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार का सवाल नहीं है। प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि उनको जल्दी करनी चाहिए। जितने नियम बनें शीघ्र से शीघ्र सदन के पटल पर लाने चाहिए। तो आप इसमें देर न किया कीजिए।

श्री कल्पनाथ सिंह—

शीघ्र से शीघ्र साल, दो साल तो होता नहीं है और अगर इतनी देर की जाती है तो सदन का अवमान होता है।

श्री अध्यक्ष—

सदन का अवमान छोटी-छोटी बातों में नहीं होता है। इसमें दूसरी चीज हो सकती है। आप हमको लिखकर भेजें तो आपको बता दूंगा।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (आकस्मिक व्यय) नियमावली 1972

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज विभाग, अनुभाग–2, की अधिसूचना संख्या 2534–बी/33–72–44 (2)–68, दिनांक 19 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (आकस्मिक व्यय) नियमावली, 1972 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज (2) अनुभाग की विज्ञप्ति संख्या 2033–बी/72–190–71, दिनांक 21 जुलाई, 1972 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1972 को उत्तर प्रदेश तथा क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और, निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली 1973

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या 101–बी/33–215–72, दिनांक 11 जनवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित, उत्तर प्रदेश क्षेत्र

---

†छापी नहीं गयी।

[श्री बलदेव सिंह आर्य]

समिति (प्रमुखों तथा उप प्रमुखों के निर्वाचन और निर्वाचन विवादों के निपटारे की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज (अनुभाग-2) की अधिसूचना संख्या 450-बी/33-129-72, दिनांक 16 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को चुनने की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 की उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संधोधन) नियमावली, 1973

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं पंचायती राज अनुभाग (2) की अधिसूचना संख्या 454-बी/33-223-72, दिनांक 17 फरवरी, 1973 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति (सदस्यों का अनुमेलन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1973 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

संसदीय अनुभाग की विज्ञप्तियां

वित्त उप मंत्री (श्री सियाराम गंगवार)—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल (अधिकारियों के वेतन तथा भत्ते) अधिनियम, 1952 की धारा 6 और 8 के अधीन उत्तर प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के उप सभापति की यात्रा सुविधाओं तथा भत्तों के नियम से सम्बन्धित संसदीय अनुभाग द्वारा जारी की गयी विज्ञप्ति संख्या 544 सं/27-73-173-69, दिनांक 28 फरवरी, 1973 को उक्त धारा 8 की उपधारा (3) के 17-73-273-69 दिनांक 28 फरवरी, 1973 को उक्त धारा 8 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दिक संशोधन

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 1254 पर ।)

† छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश विनियोग, (1972–73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदश विनियोग (1972 73 का अनुपूरक) विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदश विधान सभा ने अपने दिनांक 12 मार्च, 1973 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक, प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुयति दिनांक 17 मार्च, 1973 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 8वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपको अनुमति से म घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखा अनुदान) विधेयक, 1973 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 मार्च, 1973 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1973 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 9वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं घोषणा करता हूं कि, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1973 पर जिले उत्तर प्रदेश विधान सभा न अपने दिनांक 16 मार्च, 1973 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 मार्च, 1973 की बैठक में पारित किया था राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 1973 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1973 का उत्तर प्रदेश का 10 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973

सचिव, विधान सभा—

मैं आपकी अनुमति से सदन को सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट तथा डीजल आयल बिक्री कराधान (संशोधन) विधेयक, 1973 जो विधान सभा द्वारा 7 मार्च, 1973 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के 24 मार्च, 1973 को वापस प्राप्त हो गया है।

मुख्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न श्री रूपनाथ सिंह यादव ने भेजा है, वह पैर छूने के सिलसिल में है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। आप पूरा उसे पढ़ दें। उसे आप स्वीकार करें।

श्री अध्यक्ष—

इसमें लिखा है कि "23-3-73 को माननीय सदन में वर्ष 73-74 की आय-व्ययक की सामान्य चर्चा में मुख्य मंत्री पंडित कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा कि जो मेरे पैर छू लेता है वह हमको अपने पाप दे देता है और मेरे पुण्य ले लेता है। इस भावना से समाजवादी भावना को चोट पहुंची है और सदन की प्रतिष्ठा गिरी है।"

यह तो केवल एक मजाक था, क्या आप चाहते हैं कि यहां कोई मजाक की बात न हो ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

नहीं, श्रीमन्, यह बड़ी अप्रजातांत्रिक बात है। इससे तो जातिवाद, ब्राह्मणवाद और अन्धविश्वास पनपता है। एक जिम्मेदार मुख्य मंत्री ऐसी बात कहे यह कभी भी उचित नहीं है। इससे ब्राह्मणवाद एक दम से फैलता है। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी इसके लिए क्षमा मांगें। मैं समाजवादी सदस्य हूं मैं इसे कतई उचित नहीं समझता हूं, बरदाश्त नहीं होता है। हर समाजवादी सदस्य इसका विरोध करेगा और निन्दा करेगा। यह समाज के लिए एक जहर है।

श्री अध्यक्ष—

यह मैं अस्वीकार कर चुका हूं। यह बिलकुल मजाक की बात हो रही है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

यह उन्होंने सीरियसली सब कहा है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

यह विशेषाधिकार का मामला मेरी समझ में नहीं आया कि पैर छूने में कैसे विशेषाधिकार का प्रश्न उठा।

श्री अध्यक्ष—

अब इस विषय में कुछ नहीं लिखा जायगा। अब आप बैठिए।

श्री शिवानन्द नौटियाल द्वारा उनके विरुद्ध सदन में कही गयी बातों पर न्यायालय में मुकदमा दायर करने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

दूसरा मेरे पास श्री शिवानन्द नोटियाल का भेजा हुआ आया है कि उन्होंने जो यहां भाषण दिया, उसके सिलसिले में एक मुकदमा दायर किया गया गोरखपुर में।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

उसे आप पढ़कर पूरा सुना दीजिए।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

यह बड़ा महत्वपूर्ण मसला है और इसे पूरा पढ़कर सुना दीजिए तथा मेरा निवेदन यह है कि इस पर निर्णय लेने के पूर्व हम लोगों को सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, यह हमारे अधिकार का प्रश्न है। मैं उसकी रक्षा चाहता हूं। यहां जो भाषण करे उसको लेकर कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता है, लेकिन सवाल यह पड़ता है कि मेरे पास जो उन्होंने भेजा है वह उन्होंने उसकी सर्टीफाइड कापी नहीं भेजी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जब तक आप यह कापी मांगेंगे, तब तक उनके 10 चक्कर अदालतों में लग जायेंगे। मेरा भी सवाल है और शिवानन्द जी का भी है। जिसे उन्होंने 32 न्यायालयों में मुकदमा दायर कर दिया है। आप सार्टिफाइड कापी मांगते हैं।

श्री अध्यक्ष—

सर्टिफाइड कापी दो रोज में मिल जाती है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैंने जैसा समझा, आपकी व्यवस्था समझें कि प्रिविलेज का प्रश्न बनता है। केवल अपने संतोष के लिये सर्टिफाइड कापी देखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

बनता तो है ही।

सामुदायिक विकास उप-मंत्री (श्री कृष्णचन्द्र शर्मा)—

दस से बीस रुपये फी कापी देना पड़ता है। कोई स्पेशर नहीं किया जाता।

*श्री कृष्णानन्द राय—

नियम 64 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करता हूं। सर्टिफाइड कापी की जरूरत नहीं है। इसलिए आप प्रेस न करें। आपको पढ़ कर सुना दूं। माननीय शिवानन्द नौटियाल ने लिखा है कि केवल गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट के यहां नहीं, उन पर मुकदमा दाखिल किया गया है, जो असेम्बली में भाषण दिया है, माननीय शिवानन्द नौटियाल ने असेम्बली में भाषण दिया कि डिवाइन लाइट और बालयोगेश्वर धर्मता का काम करते हैं। उन्हींने का जो स्टेटमेंट है, उसी को कोट करते हुए गोरखपुर में बालयोगेश्वर के किसी शिष्य ने उनके ऊपर मुकदमा दाखिल कर दिया है। इस प्रकार से 25–30 न्यायालयों में देश भर में मुकदमे दाखिल किये गये हैं, दिल्ली में गाजियाबाद में। बालयोगेश्वर के देश में और अमेरिका में चेले हैं। अब चारों तरफ इन पर कम्पलेंट दाखिलकर दी जाय हालांकि कांस्टीट्यूशन में क्लियर शब्दों में दिया हुआ है। नियम 64 में लिखा है—"जो सदस्य ऐसा प्रश्न उठाना चाहें वे सचिव को लिखित सूचना देंगे। यदि शिकायत का आधार कोई लेख्य हो तो मूल लेख्य या उसकी प्रतिलिपि सूचना के साथ संलग्न की जावेगी। यदि शिकायत सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो ऐसी सूचना द्विप्रतिक होगी जिसकी एक प्रति सम्बद्ध सदस्य को भेज दी जायेगी।" इसमें सर्टिफाइड प्रतिलिपि नहीं लिखा है। जो कम्पलेंट दाखिल है उसकी प्रतिलिपि दाखिल कर दें। नियम 65 का परन्तुक पढ़ें तो यह साफ हो जायेगा। "परन्तु यदि शिकायत किसी सदस्य के विरुद्ध हो तो अध्यक्ष, अपनी सम्मति तथा शिकायत सम्बन्धी अपनी स्वीकृति देने के पूर्व सदस्य को, सम्बद्ध लेखों, यदि कोई हो, के निरीक्षण का अवसर देकर पुनेंगे और आवश्यकता होने पर शिकायतकर्ता को भी सुन सकेंगे।" नियम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्द राय]

में क्लियर है जब किसी सदस्य के विरुद्ध कोई शिकायत होगी तब हम सर्टिफाइड कापी देंगे और आप उनको सुविधा देंगे कि वह पढ़ लें। अगर किसी स्ट्रेंजर के विरुद्ध शिकायत है तो सर्टिफाइड कापी देने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसको टालिए नहीं। जितनी बातें यहां कही जाती हैं सब पर कम्पलेंट बम्बई, मद्रास में जाकर दाखिल कर दें। बाल योगेश्वर को नोटिस देकर इस असेम्बली की फ्लोअर पर ले आएं और गोरखपुर के मैजिस्ट्रेट को सूचना दे दें कि यह प्रिविलेज का मामला है प्रोसीड न करें। यह अनुरोध है आप टालें न।

यह ऐसा मसला आ गया है जो सारे देश में बड़े महत्व का प्रश्न हो गया है। हम लोग यहां पर कुछ नहीं कह पायेंगे। आप कहेंगे कि सर्टिफाइड कापी ले आइए, तब तक चाहे जो कुछ हमारे खिलाफ होता रहे। एक रोक भी लग जाती है और वहां जाना पड़ता है, और अगर यह अनावश्यक है, और नहीं होना चाहिए तो श्रीमन्, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ? हम सब लोगों के ऊपर होगी, और सबसे अधिक पीठासीन जो हैं, आप पर होगी। आप अनुच्छेद 194 (2) देखें:—

"No member of the Legislature of State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of House of such a Legislature of any report, paper, votes or proceedings."

श्री नित्यानन्द स्वामी—

तो यहां पर हुआ यह एक प्रश्न था जिसमें मेरा तथा शिवानन्द जी का नाम था। मुकदमा कहां दायर हुआ होगा वह आपके सामने आ जायेगा। शिवानन्द जी को नोटिस आ गया। हम लोगों ने यह कहा था कि श्री बालयोगेश्वर की गतिविधियों की जांच होनी चाहिए और गतिविधियां जो हैं उनको आपने देखा। दिल्ली में जब एयर पोर्ट के बाहर पकड़े गये तो अटैची के अन्दर से कितना स्मगिल्ड सामान मिला ! हमारे सामने तथ्य थे और उनके आधार पर हमने इस सदन में बातें कहीं।

श्री अध्यक्ष—

शिवानन्द जी ने अपना टाइप करके दे दिया है। नोटिस उनके पास आया हो तो कृपा कर उसे भी मुझे द दें।

श्री शिवानन्द नोटियाल (जिला गढ़वाल)—

मेरे पास नोटिस आया था लेकिन वह विधायक की हैसियत से नोटिस नहीं आया था।

श्री अध्यक्ष—

आपके पास कोई भी आया हो अदालत की तरफ से होना चाहिए।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

मेरी बात सुन लें। नोटिस जब पुलिस मैन के द्वारा लाया गया तो मैंने यह कह कर लौटा दिया कि मैं विधान सभा का विधायक हूं, इस सम्बन्ध में मैंने विधान सभा में ही प्रश्न किया था और भाषण दिया था और वह सब कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्बोधित करके कहा था, इसलिए नोटिस मुझे स्पीकर के द्वारा ही मिलना चाहिए। मेरी गलती होगी तो मैं...।

श्री अध्यक्ष—

गलती कोई नहीं है।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

इस सम्बन्ध में मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जो बालयोगेश्वर हैं, जैसा माननीय नित्यानन्द जी ने कहा अपने आपको वह भगवान का अवतार कहते हैं। उनके जितन भाई बहन हैं सबके सब कोई न कोई अवतार हैं। 4 अप्रैल, 1971 तथा अगस्त, 1971 को उनकी एक पत्रिका हरिद्वार से निकलती है 'धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र'। अप्रैल के अंक में राष्ट्र विरोधी भावनाओं का प्रचार तथा प्रसार किया गया कि तमाम हिन्दुस्तान की सरकार हिजड़ों की सरकार हो गयी है, असली सरकार पाकिस्तान चली गयी है। हरिद्वार तथा ऋषिकेश व अन्य स्थानों पर इस तरह का प्रचार किया गया। इसी तरह से अगस्त, 71 के अंक की कापी मैंने मुख्य मंत्री को दी थी उसमें कहा गया था कि भारत का विनाश करने का मुख्य कारण नारी रही है और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि महाभारत काल में द्रोपदी रही है।

श्री अध्यक्ष---

आप भाषण दे रहे हैं।

श्री शिवानन्द नौटियाल---

जो भाषण मैंने यहां दिये थे उसके आधार पर मुझे नोटिस दिया गया था।

श्री अध्यक्ष---

यह तो आपका प्रिविलेज है। उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आपको नोटिस दिया गया है तो उसे आप मेरे पास भेज दें।

श्री नित्यानन्द स्वामी---

पुलिस का आदमी आया था नोटिस लेकर.....।

श्री अध्यक्ष---

लेकिन उस पर ऐक्शन कैसे लिया जाय ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)---

आपके सामने माननीय सदस्य बात कह रहे हैं तो कोई गलत थोड़े कह रहे हैं। उनकी बात को मानना ही चाहिए।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

पुलिस वाले जो नोटिस लाते हैं वे उस पर दस्तखत कराते हैं और कहते हैं कि नोटिस अदालत में मिलेगा। उसने नोटिस पर दस्तखत करने की बात कही होगी, नोटिस दिया नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष---

मैं ऐक्शन लूंगा जो कुछ मुझसे होगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

आप डायरेक्टली पूंछ लें ताकि झंझट खत्म हो जाय।

श्री अध्यक्ष---

मैं डायरेक्टली पूछ लूंगा और स्वयं ऐक्शन ले लूंगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

लेकिन कुछ शीघ्रता होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष---

जो समन वगैरह आते हैं वे मेरे थ्रू नहीं आते हैं। लोगों को सीधे दे दिये जाते हैं और लोग उनको ले लेते हैं। मैं समझता हूं कि उनके पास समन आया होगा और नहीं आया होगा तो मैं उनसे इस बात के लिये डाइरेक्ट जांच कर लूंगा ....

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

कम्पलेन्ट की कापी तो आनी चाहिये, दुर्भाग्य से वह नहीं आयी।

वित्त मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)---

श्रीमन्, जो मूल बात है और जो कि माननीय नित्यानन्द जी ने बताया है कि क्या विधान सभा में जो भाषण दिया गया उसके आधार पर कोई मुकदमा चलाया गया? अगर यह बात है तो अवश्य ही यह विशेषाधिकार के अवमान का प्रश्न है। आपको इस सदन के अधिकारों को सुरक्षित रखना है। इसलिये म चाहूंगा कि आप इससे संबंधित कागजात मंगा लें।

श्री कल्पनाथ सिंह---

श्रीमन्, मेरा निवेदन यह है और जैसा कि माननीय शिवानन्द नौटियाल जी के ऊपर इस बाल योगेश्वर के किसी शिष्य ने मुकदमा चलाया जिसकी नोटिस आपको दी गई, उसमें गोरखपुर,लखनऊ और गाजियाबाद का भी जिक्र है। जो अदालत इस विधान सभा के किये हुए कार्य के बारे में कोई नोटिस लिखती है या समन जारी करती है वह भी इस विधान सभा के अवमान की दोषी है। तो उन लोगों के ऊपर जिन्होंने दावा दायर किया है,आप नोटिस जारी करें तथा साथ ही उन न्यायाधिकारियों के ऊपर भी आप नोटिस जारी करें जिन लोगों ने इनको समन जारी किया है। आपकी ओर से उनके लिये भी नोटिस जाना चाहिये।

श्री ररयासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब मुकदमा दायर किया गया है तो निश्चय ही हमारे हाउस की प्रोसीडिंग्स को उसका पार्ट बनाया गया होगा जो कि आपकी बनाई हुई है। तो हाउस की प्रोसीडिंग दावे में लिखने वाले को और दावा लिखाने वाले को, दोनों को नोटिस दिया जाना चाहिये। क्यों कि यह कन्टेम्ट आफ दि हाउस है। लिहाजा आप उस अदालत का स्टे काल करें ब्रीच आफ प्रिविलेज में, वरना वे दूसरा नोटिस भी जारी करेंगे....

श्री अध्यक्ष---

यदि मेरे पास अदालत की कोई चीज होती तो मैं कर देता। इसलिये पहले मैं पूछूंगा कि आपके यहां ऐसा हुआ है या नहीं। इसलिये आप मुझे इसे दे दें....

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने अदालत को तुरन्त कार्यवाही का नोटिस नहीं दिया तो चूंकि सदन की प्रोसीडिंग्स को उसका एक पार्ट बनाया गया है और मुकदमा दायर किया गया है इसलिये आप भी अदालत की प्रोसीडिंग्स को तुरन्त काल कर सकते हैं....

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

अगर की कार्यवाही को बन्द से और कागजात तलब कर दिये जायं तो कौन जिम्मेदार होगा।

श्री अध्यक्ष---

जो रूल्स के अनुसार होगा, मैं उसे अवश्य करूंगा.....

श्री कल्पनाथ सिंह---

म यह जानना चाहता हूं कि जो ये बालयोगेश्वर हैं जिनके किसी शिष्य ने नोटिस दिया है, हमारे माननीय सदस्य को, वे सदन के अवमान के दोषी हैं। तो आप सदन के अवामान के रूप म इन मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय में सदन को आश्वस्त करें क्या कार्यवाही करेंगे? यह सारे माननीय सदस्यों की भावना है।

श्री अध्यक्ष---

आपको विश्वास रखना चाहिये। उसके लिये जो उचित कार्यवाही होगी मैं करूंगा।

श्री कल्पनाथ सिंह---

उचित कार्यवाही के माने क्या ?

श्री अध्यक्ष---

उसके माने यह है कि इस सदन में जो भाषण आप देते हैं वह प्रीविलेज है आपका। अब किसी ने किया हो, चाहे वकील हो, चाहे मैजिस्ट्रेट हो, चाहे जज हो, चाहे कोई दूसरा बाहर का आदमी हो, कोई भी हो, जिसने भी मुकदमा किया होगा, सब उसमें ब्रीच आफ प्रिविलेज में आ जाते हैं। उसके ऊपर जो मैं उचित समझूंगा, कार्यवाही करूंगा, लेकिन फैक्ट्स के ऊपर करूंगा।

श्री अन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि माननीय शिवानन्द जी ने आपकी सेवा में एक सूचना देकर यह आवेदन किया है--उनके कुछ भाषण हुए हैं बालयोगेश्वर के बारे में, उसमें तारीख दी हुई है उनका सूचना है कि उनके आधार पर ए0डी0 एम0 (जे0) गोरखपुर में उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा रहा है। मेरा कहना है कि जो कुछ उन्होंने सदन में कहा है उसके ऊपर यह मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि यह विशेषाधिकार भंग की बात हो जाती है और जो प्रोटेक्शन है आपका, उसका भी ब्रीच हो जाता है, तो यह चलना नहीं चाहिये। लेकिन अब सवाल यह हो जाता है कि वह इस्तगासा हुआ भी है या नहीं हुआ है उसी का आप जानना चाहते हैं। मेरा निवेदन यह है कि माननीय सदस्य की सूचना आपके सामने मौजूद है जिसमें यह साफ कहा गया है कि मुकदमा चलाया जा रहा है। हमारी नियमावली में यह भी है कि यदि कोई माननीय सदस्य गलत सूचना दे विशेषाधिकार में तो उसके लिये उनके ऊपर जुर्माना भी आप कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि जो कम्पलेन्ट है वह काफी है और इसको आपको मान लेना चाहिये। यदि आप चाहें तो इसकी प्रमाणित कापी आपको ये दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, प्रमाणित कापी आप दे दीजिये, उस पर ऐक्शन ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय---

मान्यवर, यह एक बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। असेम्बली का एक बहुत ही आदरणीय स्थान माना जाता है। हमारी नियमावली और संविधान में भी यह चीज दी हुई है। मान्यवर, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 30 मार्च, 1972 को श्री शिवानन्द नौटियाल ने एक प्रश्न पूछा था जो असेम्बली के आन दि फ्लोर आफ दि हाउस नहीं आया और उसका लिखित उत्तर भेज दिया गया। वह प्रोसीडिंग्स छपी और सारी प्रोसीडिंग्स उठाकर मुद्दई को दे दी गयी।

[श्री कृष्णानन्द राय]

उसमें साफ लिखा हुआ है कि हरिद्वार के प्रेमनगर में डिवाइन लाइट. . . .तो आपका जो यह सेक्रेटेरियेट है उसने सारे प्रश्न को उठा कर कोर्ट में भेजवा दिया। तो यहां प्रश्न यह उठता है कि ये सारे के सारे प्रश्न और उनके उत्तर कैसे कोर्ट में पहुंचा दिये गये। क्योंकि यह प्रश्न न तो आन दि फ्लोर आफ दि हाउस आया और न किसी प्रेस में भी निकला, फिर यह कैसे यह कोर्ट में पहुंच गया। आप कहते हैं कि नोटिस दिया है, कल को वारंट आ जायगा तो फिर क्या आवश्यक कार्यवाही की जायगी? सारे सदन की तरफ से इस बात की घोषणा होनी चाहिये कि जिस मैजिस्ट्रेट ने भी ऐसा किया है वह इस असेम्बली के विशेषाधिकार की अवहेलना है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मैं आपको इतनी बात बतला दूं कि हमारे यहां जो प्रश्न होता है चाहे वह तारांकित हो या अतारांकित हो, पहले छपता है और फिर उसका जो उत्तर होता है वह भी छपता है। छप जाने के बाद उसे हर आदमी पढ़ सकता है। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, छपने के बाद तो कोई भी उसे पढ़ सकता है।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं इस बारे में कुछ जानता नहीं हूं जो तथ्य माननीय कृष्णानन्द राय जी ने दिये हैं वे क्या हैं लेकिन आपकी इजाजत के बिना कोई प्रमाणित डाकूमेन्ट अदालत में नहीं जा सकता है। आपने मान लिया है कि सभी सदन के अवमान के दोषी हो सकते हैं। इसलिये मेरा आप से निवेदन है कि यह मामला बहुत गंभीर है। आप सरकार को आदेश करें कि वह गोरखपुर के सरकारी वकील के माध्यम से तुरन्त टेलीफोन से बात करें।

श्री अध्यक्ष—

मेरी कुर्सी पर आप बैठ जाइये और आदेश दे दीजिये।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

एक घंटे के लिये आप छुट्टी चले जाइये तो माननीय कल्पनाथ सिंह जी सारे मामले को निबटा देंगे।

श्री अध्यक्ष—

वह बिल्कुल ही निपटा देंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मान्यवर, जो उन्होंने कहा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हमारे यहां पुस्तिका छपती है वह न्यायालय में नहीं ले जाई जाती तो वह कोई सर्टीफाइड कापी नहीं है। जब तक सर्टीफाइड कापी न हो तब तक कोर्ट कोई काग्जीजेंस नहीं ले सकती। वह कापी कैसे यहां से पहुंच गई।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य सब जानते हैं।

(व्यवधान)

श्री कृष्णानन्द राय—

यह छपी नहीं है। 2 अगस्त, 1972 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है नत्थी 'क' और सारे प्रश्न और उत्तर इस सम्बन्ध में भेज दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष—

अगर यह होगा तो मैं इंक्वायरी करा लूंगा ।

श्री कृष्णानन्द राय—

अगर इंक्वायरी करा लेंगे तो हम लोग कहां जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके मेरे कमरे में आजायं तो मैं ऐक्शन ले लूंगा ।

श्री शिवानन्द नौटियाल—

श्रीमन्, 6 लाख कस्टम का भी मामला उनके ऊपर लगा हुआ है । मुरादनगर में कई लोग मारे गये हैं और एक स्त्री की नाक काट ली है । मेरी सुरक्षा का भी इसमें प्रश्न है । इसमें आपकी व्यवस्था का सवाल है।

श्री अध्यक्ष—

मैं मुख्य मन्त्री द्वारा सब चीज करा लूंगा । अब मुख्य मन्त्री जी वक्तव्य देंगे ।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

आप भी इस सम्प्रदाय के शिष्य तो नहीं हो गये हैं । आपके ऊपर तो इनका कोई असर नहीं है । बालयोगेश्वर का प्रभाव आपके ऊपर तो नहीं है । उनको पकड़ कर यहां बुलवाइये ।

ग्राम जैतपुर टिकरी, जिला फैजाबाद के हरिजनों द्वारा 8 मार्च, 1973 से स्थानीय विधायक के अत्याचार के विरुद्ध विधान भवन के सामने की जा रही भूख हड़ताल के संबंध में वक्तव्य

गृह राज्य मन्त्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

ग्राम जैतपुर टिकरी जिला फैजाबाद के हरिजनों ने जुलाई/अगस्त, 1972 में भी स्थानीय विधायक के अत्याचार के विरोध में भूख हड़ताल की थी जिसके विषय में सदन में 14–8–72 को मैंने एक वक्तव्य दिया था । उक्त वक्तव्य में कहा गया था कि इस बात पर पूर्णरूप से ध्यान रखा जा रहा है कि ग्राम जैतपुर के हरिजनों को कोई सता न सके । तदन्तर शासन ने पुलिस महानिरीक्षक को यह आदेश दे दिये थे कि हरिजनों की गैर वस्तंबाजी रिपोर्टों पर दर्ज मुकदमों की भी जांच कराई जाय ।

प्राप्त सूचना के अनुसार जैतपुर ग्राम के कुछ हरिजनों ने विधान भवन के समक्ष 8–3–73 से अनिश्चित कालीन भूख हड़ताल शुरू की । दिनांक 9–3–73 से यह क्रमिक रूप में बदल गई ।

प्रस्ताव में संलग्न परचे में जो जैतपुर के हरिजनों की ओर से छपा है, कहा गया है कि हरिजनों को परेशान करने के लिये झूठे मुकदमें दूसरे जिलों से चलाये गये हैं । परचे में मुरादाबाद, आगरा और फैजाबाद में चल रहे तीन मुकदमों तथा फैजाबाद में चल रहे एक इस्तगासे का उल्लेख है और कुछ हरिजनों पर फैजाबाद में चल रही धारा 107 जा0 फौ0 की कार्यवाही का भी उल्लेख है । उक्त परचे के अनुसार हरिजनों की मांगें इस प्रकार है:—

1—झूठे मुकदमें उठाये जायं,

2—झूठे मुकदमें चलाने वाले के विरुद्ध कार्यवाही की जाय,

3—बेगार लेने के विरुद्ध सरकार द्वारा मुकदमा चलाया जाय, तथा

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

4—सरकारी नलकूप से हरिजनों के खेतों की सिंचाई नहीं होने दी जाती है, इसकी व्यवस्था की जाय।

इस्तगासे का मुकदमा चूंकि पुलिस केस नहीं है इसलिये इसे वापस लिया जाना सम्भव नहीं है। शेष तीन मुकदमें जो न्यायालय में विचाराधीन हैं, की वापसी का कोई औचित्य नहीं है। जहां तक धारा 107 जा0 फौ0 की कार्यवाही का सम्बन्ध है, यह शांति एवं व्यवस्था बनाये रखे जाने के उद्देश्य से की जाती है।

जब तक न्यायालय के निर्णय द्वारा यह प्रमाणित न हो जाय कि मुकदमा झूठा चलाया गया तब तक किसी के विरुद्ध कार्यवाही पर विचार किया जाना सम्भव नहीं है। परन्तु यदि न्यायालय द्वारा यह निर्णय होता है कि किसी मुकदमें के अभियुक्त के विरुद्ध कोई झठा मुकदमा चलाया गया तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

अन्य दोनों मांगों के सम्बन्ध में कोई शिकायतें थाना जैतपुर पर नहीं प्राप्त हुई हैं। वैसे शासन के यह स्थायी आदेश हैं कि इस बात की पूरी निगरानी रखी जाय कि हरिजनों के प्रति ज्यादती न होने पाये और उनके अधिकारों की पूरी रक्षा की जाय तथा यदि उनके प्रति कोई अनुचित व्यवहार प्रकाश में आये तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाय।

यह सही नहीं है कि जैतपुर के हरिजनों की सुरक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया और हरिजनों का शोषण बढ़ता जा रहा है। हरिजनों से शिकायतें प्राप्त होने पर सदा आवश्यक कार्यवाही की गई है। सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही भी की जा चुकी है जो न्यायालय के विचाराधीन है।

(श्री जयराम वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)—

यह प्रश्न मुझ से सम्बन्धित है, मुझे पहले कहने दें....

श्री अध्यक्ष—

जब नेता विरोधी दल खड़े हों उस समय सब को बैठ जाना चाहिये।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

यह हमारे विरुद्ध है और आप मौका नहीं देते... मैं स्पष्टीकरण पहले देना चाहता हूं...

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि यह प्रश्न ऐसा है जिसके विषय में एक माननीय सदस्य अपना स्पष्टीकरण देना चाहते हैं उसकी आप पहले से सुनने दें।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही नहीं है कि इन्हीं हरिजनों के खिलाफ फैजाबाद के सिंचाई विभाग के द्वारा 13 मुकदमें चलाये गये और वह इसलिये खारिज हो गये कि वे झूठे थे? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जब सिंचाई के सम्बन्ध में सिंचाई विभाग द्वारा हरिजनों पर मुकदमें चलाये गये और उन के प्रमाण उपलब्ध नहीं हुए और वास्तविकता संदिग्ध रही इसलिये वह वापस लिये गये, विभाग के उन कर्मचारियों के खिलाफ जांच की कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री जगदम्बा प्रसाद—

इसी सम्बन्ध में 14–8–72 को हमारे बी0 के0 डी0 के सदस्यों ने प्रश्न उठाया था। आपको ज्ञात होगा कि इसी तरह का आरोप चौधरी चरण सिंह जी पर भी लग चुका है कि सन् 69 में उन्होंने हरिजनों को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया....

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मजफ्फरनगर)—

आपने प्रश्न की इजाजत दी थी और यह भाषण और आरोप कर रहे हैं, यह तरीका गलत है, इस तरह से वह भाषण नहीं कर सकते.....(व्यवधान).....

श्री जयराम वर्मा—

हमारे बी0 के0 डी0 के सदस्य तो हरिजनों को बड़ा संरक्षण देते हैं।....(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

बात यह है कि हवा उनकी अब जा रही है.... (व्यवधान)...

श्रीमन्, क्या हम इनकी गाली बर्दाश्त कर सकते हैं। ये अपनी बात कहगे या हमें गाली देंगे?

श्री जगदम्बा असरार प्रसाद—

श्रीमन्, ग्राम जैतपुर में हरिजनों और गैर-हरिजनों का झगड़ा सन् 1971 से चल रहा है। क्या इस मामले में सरकार ने सी0आई0डी0 द्वारा जांच करायी (व्यवधान) 14–8–72 के बाद ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, ये अपना भाषण देंगे, प्रश्न क्यों नहीं पूछते हैं ?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

श्रीमन्, आपका आरोप है कि.....

श्री अध्यक्ष—

आप मुख्य मंत्री जी से प्रश्न पूछ लें।

श्री मनेजर सिंह (जिला बलिया)—

श्रीमन्, जब माननीय सदन के एक सदस्य पर कुछ आरोप किय गये हैं, तो उन्ह अपना स्पष्टीकरण का मौका मिलना चाहिये। उन्हें सुन तो लीजिये ?

श्री मोहम्मद असरार अहमद—

श्रीमन्, इसके लिये आप आधे घंटे की चर्चा करवा दीजिये, इनको भी सुन लीजिये और तब हमको भी सुन लीजिये ?

श्री जगदम्बा प्रसाद—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि 14–8–72 के बाद वहां पर कोई घटना घटित हुयी है और क्या माननीय मंत्री जी को फैजाबाद के जनपद क कुछ हरिजनों का ज्ञापन उनको प्राप्त हुआ जिसम यह कहा गया है कि यह भूख हड़ताल बी0 के0 डी0, कम्युनिस्ट पार्टी आदि द्वारा करायी गयी है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

ऐसा कोई ज्ञापन मुझे प्राप्त नहीं हुआ है न इस समय मेरे पास उपलब्ध ही है ।

श्री राम कुमार शास्त्री (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे । जिस प्रकार का हरिजनों का आज प्रश्न सदन में उपस्थित हुआ है, पिछले सत्र में भी इसी प्रकार भूख हड़ताल करने के प्रश्न इस सदन में आये थे । तो कृपया आप बतायें कि इनमें क्या राज छिपा हुआ है ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

वहां पर कुछ दिनों से आपस में मतभेद है जिसके कारण एक संघर्ष का रूप ले लेता है । वहां पर पुलिस और स्थानीय प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है और उनके जागरूक रहने के कारण वहां पर 14-8-72 के बाद कोई घटना नहीं घटित हुयी है ।

श्री जयराम वर्मा—

पिछले सत्र में जब सरकार की ओर से बयान हुआ था तो सरकार ने यह वायदा नहीं किया था कि इस सारे मामले की जांच सी0आई0डी0 द्वारा करायी जा रही है। तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनकी क्या रिपोर्ट सरकार के पास आयी है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

सी0आई0डी0 की जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हो पायी है लेकिन मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि 14-8-72 के बाद वहां पर कोई इस प्रकार की घटना घटित नहीं हुयी है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि दफा 107 की कार्यवाही की गयी है । मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि 107/117 में क्या दुतर्फा कार्यवाही की गयी है या एक तरफा और यदि दुतर्फा की गयी है तो कौन-कौन आदमी रखे गये हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

दुतर्फा रखी गयी है और दोनों तरफ के आदमियों को रखा गया है । एक्जैक्ट नम्बर तो इस समय उपलब्ध नहीं है लेकिन यह सूचना है कि दोनों तरफ के लोगों को रखा गया है।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

सदन के गेट के सामने जो हरिजन भूख हड़ताल कर रहे हैं, उनके पंडाल से एक नोटिस जारी की गई है जिसकी प्रतिलिपि माननीय राज्य मंत्री ,मुख्य मंत्री और प्रधान मंत्री को भी भेजी गई है। क्या इस बात को देखते हुए मंत्री जी जांच करायेंगे कि इसमें कोई तथ्य है कि नहीं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

जो हरिजन भूख हड़ताल कर रहे हैं, सूबे में कितने मुकदमें बाहर चल रहे हैं ? उनके कारण क्या हैं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

आगरा, इलाहाबाद, और फैजाबाद में मुकदमें चल रहे हैं । अब ये मुकदमें क्यों चल रहे, उसमें कुछ आरोप हैं और न्यायालय में कुछ मुकदमें विचाराधीन हैं । वहां

प्रोसीडिंग्स चल रही हैं । उनके विभिन्न कारण हैं । उन कारणों के बारे में प्रकाश डाल सकता हूं ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

जो मुकदमें चल रहे हैं न्यायालय में, क्या उनको शासन को वापस करने का अधिकार है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

न्यायालय में चलने वाले मुकदमों को वापस लेने का अधिकार नहीं है । उसमें निर्णय का अधिकार न्यायालय को है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य (जिला मथुरा)—

मैं तो मंत्री जी से यही जानना चाहूंगा कि जो झूठ-मूठ मुकदमें चलाये गये हैं और जिनमें न्यायालय से निर्णय हो गया है, उनमें सरकार ने क्या कार्यवाही करने को सोचा है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

जो मुकदमें चल रहे थे और जो तथ्यहीन पाये गये, उनमें जिन-जिन अधिकारियों ने मुकदमें चलाये थे, उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जायेगी। जो मुकदमें अभी न्यायालय में चल रहे हैं, जब तक उनमें न्यायालय का निर्णय न हो जाय, उनमें कोई कायवाही करना संभव नहीं है ।

डाक्टर राजेंद्र कुमारी बाजपेयी (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्य मंत्री जी यह बतलायेंगे कि अगर उनके पास निजी तरीके से (न्यायालय के अतिरिक्त) ऐसी सूचना है कि जो मुकदमें हरिजनों को सताने की ही दृष्टि से चलाये गये हैं, तो क्या उनमें न्यायालय के निर्णय का इन्तजार न करके,अगर सरकार कन्विस्ड है तो उनको वापस लेने की कृपा करेंगे?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

निश्चित आरोप के साथ मुकदमें न्यायालय में हैं । जब तक उनमें न्यायालय का कोई निर्णय न हो जाय, या वे खारिज न हो जायं या उनमें कोई स्ट्रक्चर न पास हो जाय, तब तक कोई कार्यवाही सम्भव नहीं है।

श्री रामधारी शास्त्री—

जो हरिजनों का ज्ञापन है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन लोगों से बेगार ली जाती है । तो क्या माननीय मंत्री जी अपनी ओर से कोई जांच करवायेंगे कि उनसे बेगार ली जाती थी या नहीं, और अगर जांच नहीं करवाई, तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, उसमें यह सूचना पुलिस में दर्ज नहीं है कि उनसे बेगार ली जाती है । इसके अतिरिक्त ये न कोई नौकर हैं न चाकर, कि जिनको बेगार के लिये बाध्य किया जा सके जांच से सिद्ध नहीं होता कि बेगार ली जाती है । ऐसी परिस्थिति में कोई कार्यवाही की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

श्री रामधारी शास्त्री—

मान्यवर, इन लोगों से बेगार ली जाती है। इनका कहना, कि पुलिस में ऐसी रिपोर्ट दर्ज नहीं ह, ठीक नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी अपनी ओर स जांच करवाये हैं और जब खुलेआम भूख-हड़ताल हो रही है हरिजनों की तो क्या मंत्री जी जांच करवाने का आश्वासन देंगे और यदि अभी तक जांच नहीं हुई तो उसका क्या कारण है?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जांच से मालूम हुआ है कि बेगार लेने का आरोप सत्य से परे है । ऐसी परिस्थिति में उसमें उस तरह की कोई जांच करवाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

मान्यवर, सरकार ने अपने बजट भाषण के पृष्ठ 7 पर यह कहा है कि शासन ने यह निर्णय लिया है कि वह जहां कहीं भी हरिजनों और अल्प संख्यकों के साथ ज्यादती की घटनायें होती हैं, आवश्यकतानुसार पुलिस व्यवस्था कराकर सामूहिक अर्थ-दंड की व्यवस्था करेगी, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इसके मुताबिक कोई कार्यवाही इस घटना के बारे में की और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

जिस बजट भाषण की ओर माननीय सदस्य ने संकेत किया है, उसके संबंध में यह कहना है कि माननीय सदस्य से शासन ज्यादा जागरूक है और हमने (शासन ने) निश्चित आदेश दे दिये हैं कि हस्तक्षेप न भी आरोपित हों, उस पर भी पुलिस तत्काल जांच करे और आवश्यक कार्यवाही करे, विशेष रूप से हरिजनों के बारे में और उनकी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था है।

श्री मैनेजर सिंह---

मान्यवर,....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, क्या आपने निश्चय कर लिया है कि जनसंघ को इस संबंध में प्रश्न पूछने की आज्ञा नहीं देंगे । मान्यवर, मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं....

श्री मैनेजर सिंह---

यहां जनसंघ और हरिजन से क्या संबंध । मान्यवर, मैं यह पूंछना चाहता हूं कि क्या गरीब लोग और हरिजन लोगों पर गैर-जिले और गैर-प्रदेशों से सताने के लिये फर्जी मुकदमें चलाये गये हैं तो क्या शासन की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को जारी किये गये हैं कि ऐसे मामलों में गरीब और हरिजनों को सुरक्षा प्रदान की जाय ताकि वह लोग परेशान न हों और तंग न किये जायं ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, मैंने पहले भी कहा, शासन जागरूक है और यह निश्चित आदेश दे दिये गये हैं कि उनको सताया न जाय, लेकिन जो मुकदमें निश्चित आरोपों के साथ न्यायालय में हैं, जब तक उनकी सुनवाई न हो जाय और न्यायालय द्वारा कोई स्ट्रक्चर पास न हो जाय, उस समय तक मुकदमें वापिस लेना मुमकिन न होगा।

श्री मोहम्मद असरार अहमद---

वह आरोप क्या हैं बता सकेंगे ....

श्री नित्यानन्द स्वामी---

मान्यवर, मैं एक स्पष्ट आश्वासन सरकार से चाहूंगा। आपने तो कह दिया कि हरिजनों ने पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं लिखाई है और मुकदमें वापिस नहीं हो सकते, लेकिन अगर सरकार चाहे तो मुकदमें वापस ले सकती है । खैर, मैं यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि इन सारे मामलों में दुबारा किसी उच्च अधिकारी से जैसे कमिश्नर है, जांच-पड़ताल करायेगी और जो ये लोग अपनी मांगों के संबंध में परेशान हैं, मंत्री जी स्वयं बाहर जाकर उनको यह आश्वासन देंगे कि उनके मामले में पूरी-पूरी जांच करवायेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

आप तो सुझाव दे रहे हैं ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

सुझाव नहीं, मैं तो स्पष्ट आश्वासन मांग रहा हूं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

शासन को यह आश्वासन देने में कोई हिचक और आपत्ति नहीं है, जैसा कि माननीय सदस्य ने, कहा कि कमिश्नर द्वारा जांच करवा ली जाय । मैं इसका निर्देश शासन द्वारा तत्काल दिलवा दूंगा । मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि यह सूचना जाकर स्वयं उनको कन्वे कर दें और सारी क्रेडिट ले लें ।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

आपका जाना दूसरा महत्व रखता है।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मैं तो सदन के सामने यह आश्वासन दे रहा हूं कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है और मैं कमिश्नर के द्वारा जांच करवाने के आदेश दे दूंगा।

श्री जयराम वर्मा—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि हरिजनों की हर तरह की सुरक्षा का प्रबन्ध सरकार कर रही ह और इसके लिये पूर्ण रूप से जागरूक है । तो क्या कारण है कि अगस्त में सी0 आई0डी0 जिन बातों के लिये मुकर्रर की गई थी तो उसकी रिपोर्ट सरकार ने आज तक नहीं मंगाई ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

मान्यवर, सी0आई0 डी0 जांच पूरी करके अपनी रिपोर्ट अपने आप भेजती है । उन्हें कह दिया गया है कि जांच जल्दी करें । माननीय सदस्य रिपोर्ट न मंगाने का जो आरोप लगा रहे हैं वह गलत है और उचित नहीं है। हमने निदश दे दिये हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी जांच पूरी करें ।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—

मैं तो केवल यह कहना चाहता था कि क्या शासन को यह भी ज्ञात है कि कई बार केवल राजनैतिक रूप इन हड़तालों का होता है ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न का उत्तर देने की जरूरत नहीं है।

दिनांक 14–3–73 को लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक छात्र को गोली लगने की घटना के बारे में वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री गोस्वामी राधाकृष्ण)—

दिनांक 14–3–73 को लखनऊ विश्वविद्यलय के बी0एस0 सी9 प्रथम वर्ष के एक छात्र जो विश्वविद्यालय के तिलक छात्रावास में रहते ह, ने थाना हसनगंज, लखनऊ पर लिखित सूचना दी कि दिनांक 13–3–73 को तिलक छात्रावास के छात्रों द्वारा एक उत्सव का आयोजन किया गया था जिसमें कुछ अन्य छात्रावासों क छात्र भी आये थे । सांस्कृतिक कायक्रम के

[श्री गोस्वामी राधाकृष्ण]

बीच कुछ लड़के शोर कर रहे थे और ऐसा करने के लिये मना किये जाने पर उन लोगों ने अपशब्दों का प्रयोग किया और धमकी देकर चले गये। उसी रात कार्यक्रम के

(इस समय 1 बजकर 12 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुए।)

समाप्त होने पर जब वादी तथा कुछ लड़के एक कमरे में बैठे थे तो रमेश चन्द्र त्रिपाठी तथा अन्य 7–8 लड़कों ने आकर वादी को आवाज दी और उसके कमरे से निकलने पर उन लोगों ने उसे मारा। वादी के शोर करने पर वादी का रूम पार्टनर व कुछ अन्य लड़के बचाने के लिये आये। इस पर मारपीट करने वाले में से एक ने पिस्तौल से फायर कर दिया जिससे रमापति अवस्थी नामक छात्र घायल हो गया। घटनास्थल पर रमेश चन्द्र त्रिपाठी पकड़ लिया गया तथा शेष भाग गये। इस सूचना पर एक मुकदमा धारा 147/148/307 भा0 दं0 वि0 का कायम किया गया है और विवेचना की जा रही है। घायल छात्र अस्पताल में दाखिल है और उसकी हालत ठीक है।

इस घटना से पूर्व दिनांक 2–3–73 तथा 20–12–72 को विश्वविद्यालय के क्षेत्र में गोली चलने की दो घटनाओं की रिपोर्टें पुलिस को प्राप्त हुई। 20–12–72 की घटना से संबंधित मुकदमा न्यायालय भेजा जा चुका है और 2–3–73 की घटना से संबंधित मुकदमें में विवेचना जारी है।

विश्वविद्यालय में इस प्रकार की घटना की रोकथाम के लिये उप कुलपति विश्वविद्यालय, छात्रावास के प्रोक्टोरियल स्टाफ को छात्रावास के अन्दर रहने वाले तथा आने-जाने वाले अवांछनीय लोगों पर कड़ी निगरानी रखने तथा ऐसे लोगों को छात्रावास से निकाल देने के लिये कहा गया है। विश्वविद्यालय में सादे कपड़े में पुलिस तैनात कर दी गई है तथा विश्वविद्यालय के बाहर भी पुलिस गश्त की आवश्यक व्यवस्था की गई है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)––

अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने वक्तव्य में कहा है कि घटनास्थल पर रमेशचन्द्र त्रिपाठी को पकड़ लिया गया और शेष भाग गये। तो जिस वक्त घटना हुई उस वक्त पुलिस तैनात थी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण—

छात्रावास में जहां उत्सव हो रहा था वहां पुलिस नहीं थी। उसके बाहर पुलिस थी।

श्री रामधारी शास्त्री––

जसा कि मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वहां सादे वस्त्रों में पुलिस तैनात है तो क्या वह 14/3/73 से पहले तैनात हैं और अगर हां तो उसने क्या कार्यवाही की ? दूसरे क्या यह सही है कि मौजूदा उपकुलपति के जमाने में ऐसी घटना बहुत हो रही हैं।

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण––

यह तो निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि उन्हीं के समय विशेष कारण से यह घटनायें हो रही हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं विद्यार्थियों में आपस में वाद-विवाद के कारण यह रूप सामने आया और उस पर कार्यवाही हो रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)––

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन छात्रों के पास से कट्टा मिला है तो क्या और छात्रों की भी तलाशी ली गयी ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

मान्यवर, छात्रावास में देखा गया और इस बात का प्रयास किया कि अगर किसी के पास ऐसे अस्लाह उपलब्ध हों तो पकड़ा जाय और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय । लेकिन ऐसे अस्लाह और नहीं मिले ।

श्री त्रिलोक चन्द (जिला बुलन्दशहर)---

जिस दिन यह घटना हुई उस दिन के पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम में खबर दे चुके थे । अगर पुलिस द्वारा कार्यवाही की गयी होती तो यह घटना घटित न होती ?

श्री गोस्वामी राधाकृष्ण---

ऐसी कोई आशंका नहीं थी । इस तरह की बातचीत और वाद-विवाद बालकों में चलता रहता है । जब घटना हो गयी तो पुलिस ने अपनी कार्यवाही प्रारम्भ कर दी।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

श्री सुरेन्द्र विक्रम ने स्वर्गीय भूतपूर्व सदस्य, लोक सभा, श्री हीरा सिंह चुनरिमा के पुत्र श्री हरी सिंह चुनरिमा की नृशंस हत्या के उपरान्त 4 बजे दिन तक पोस्टमार्टम न होने से जनता में असंतोष के विषय में सूचना दी है । यह स्वीकार नहीं है, आप प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री सुरेंद्र विक्रम---

4 बजे तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ । शाहजहांपर में पुलिसवालों ने मिलने नहीं दिया--- उनके सारे परिवार वाले भूखे-प्यासे पड़े रहे।

श्री उपाध्यक्ष---

दो-तीन आदमियों की लापरवाही हो सकती है । इस पर आप प्रश्न कर लें ।

श्री सुरेन्द्र विक्रम---

अल्पसूचित प्रश्न कर लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

दूसरी सूचना माननीय बंशीधर पांडेय, कल्पनाथ सिंह व सुरेंद्र विक्रम सिंह द्वारा इंडियन एक्सप्रेस के विशेष प्रतिनिधि श्री लक्ष्मी कांत तिवारी की सरकार की लापरवाही से दुखद मृत्यु के विषय में है । इस पर जांच चल रही है ।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)---

गवर्नमेंट आफ इंडिया तो दूसरी जांच कर रही है । मेडिकल कालेज का मामला तो यहां से संबंधित है । इस पर सरकार का वक्तव्य आना चाहिये । तिवारी जी की डेथ तो हो ही गयी, अभी और कितने मरीज होंगे ।

हवाई जहाज के पाइलट वाली बात की वहां की जिम्मेदारी है । वहां की सरकार ने जांच बिठा दी, लेकिन इस सरकार की भी जिम्मेदारी थी । इस तरह की घटनायें रोज होती रहेंगी ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि लापरवाही कहां की है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

दिल्ली में इनक्वायरी हो रही है । मेडिकल कालेज के डाक्टरों ने कहा कि वह मंगा ली जाए जिसका वजन 500 ग्राम है । सरकार उसको मंगाने में असमर्थ रही । अगर सरकार की लापरवाही न हुयी होती तो श्री लक्ष्मी कांत तिवारी की मृत्यु न हुयी होती और उन्हें बचाया जा सकता था ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो लिख कर दिया है मैं उसको पढ़ देता हूं—

"निवेदन यह है कि अभी कुछ दिन पहले ख्याति प्राप्त पत्रकार श्री लक्ष्मी नारायण तिवारी की मृत्यु मेडिकल कालेज में सरकार की लापरवाही से हो गयी । डाक्टरों ने उनका जीवन बचाने हेतु एक यंत्र दिल्ली से तुरन्त मंगवाने हेतु सरकार को सूचित किया जो बहुत मामूली वजन और कीमत का था जिसका वजन लगभग 500 ग्राम होता है ।"

एक ऐसा पहलू है जिस पर कि जांच हो रही है ।

श्री बंशीधर पांडेय—

उसमें फर्क है । दिल्ली सरकार तो अपने उन अधिकारियों की जांच करवा रही है जिनको जिम्मेदारी दी थी । मेन रिस्पांसिबिलिटी तो यू0पी0 गवर्नमेंट की है । आप उस पर वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न कर लें ।

श्री बंशीधर पांडेय—

आप नियम 51 में बयान दिलवा दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

51 में नहीं । आप अल्पसूचित प्रश्न कर ल ।

श्री बंशीधर पांडेय—

अच्छा ठीक है ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राम वचन यादव की विद्युत् की कटौती से ग्रामीण क्षेत्रों में नलकूप चलाने तथा सिंचाई में कठिनाई के विषय में सूचना है ।

आज अनुदान पर बोलने का आपको अवसर मिलेगा । तब आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं । आपको समय देंगे ।

श्री रामबचन यादव (जिला आजमगढ़)—

. . . यहां 7 बजे सुबह से 7 बजे शाम तक बिजली सभी को दी जा रही है । गांव में बिजली नहीं मिल रही है । खलिहानों में अनाज पड़ा है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने विचारों को सुव्यवस्थित करके रक्खें ।

श्री रामवचन यादव—

इस कारण किसान परेशान है ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री नित्यानन्द स्वामी ने सार्वजनिक निर्माण, विद्युत्, स्वायत्त शासन तथा सिंचाई आदि विभागों के ओवरसियर, लाइनमैन, सुपरवाइजर द्वारा अपने मांगों को लेकर आन्दोलन करने के संबंध में लिखा है । यह अस्वीकार किया या गया है ।

श्री कल्पनाथ सिंह और श्री बंशीधर पांडेय ने दिनांक 25 मार्च को कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना टिकट दिल्ली तक की यात्रा करने में प्रदेशीय सरकार का भागीदार होने के संबंध में लिखा है । यह विषय केंद्रीय सरकार का है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (जिला बदायूं)—

अगर ऐसा है तो हम भी बिना टिकट यात्रा करेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मेरे कहने का मतलब यह है कि चारबाग रेलवे स्टेशन पर कम्युनिस्ट पार्टी वालों ने यात्रियों की जगहें छीन लीं । गाड़ियां 4-4 और 6-6 घंटे लेट गई । हजारों की तादाद में कम्यनिस्ट पार्टी के प्रदर्शनकारी वहां पर थे और अधिकृत यात्रियों को उन्होंने नहीं जाने दिया । जब रेलवे अधिकारियों ने प्रदेश के प्रशासन से मदद के लिये मांग की तो वैसा करने में यह सरकार असफल रही है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह केंद्रीय सरकार का विषय है ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा यह कहना है कि जब रेलवे अधिकारियों ने प्रदेश सरकार के अधिकारियों से मांग की कि हमारी मदद करो कि अधिकृत यात्री यात्रा कर सकें तो उन्होंने उनकी मदद नहीं की । रेलवे के लोग उस काम को करना चाहते थे लेकिन हजारों की तादाद में कम्युनिस्ट पार्टी के लोग वहां पहुंचे हुए थे । तो मेरा निवेदन है कि इस प्रदेश की सरकार को उनको यात्रा करने के संबंध में सहायता करनी चाहिये थी । यह सरकार के नाक के नीचे का मामला है ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह विषय केंद्रीय सरकार का है । यह केंद्रीय सरकार को कहना चाहिये कि प्रदेश सरकार ने मदद नहीं की है ।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

यह तो व्यवस्था बनाये रखने का काम राज्य सरकार का है । मेरी जानकारी है कि रेलवे वालों ने राज्य सरकार से मांग की कि उनकी सहायता की जाय । मैं खुद 24 तारीख को सीतापुर जा रहा था । मैंने देखा कि बहुत से पैसेंजर्स रुके हुये थे । उन्होंने बतलाया कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आये हुये हैं और इस कारण हम लोग परेशान हैं । रेलवे वालों ने जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से भी सम्पर्क स्थापित किया था । वह लोग उनसे सलाह लेकर कार्यवाही करना चाहते थे । उन लोगों को इनकी मदद करनी चाहिये थी लेकिन चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस सरकार के साथ है इसलिये शायद यह फैसला किया गया कि इनको जाने दिया जाय और किसी तरह से न रोका जाय और इसका परिणाम यह हुआ कि जो सचमुच जेनुइन पैसेंजर थे वह जाने नहीं पाये, बड़ी परेशानी में रहे और ट्रेनें कितनी-कितनी देर रोके रखी गयीं । तो कोई संबंध नहीं है, राज्य सरकार से, ऐसा नहीं कहा जा सकता है और इसका केवल केंद्रीय सरकार से संबंध है, यह बात नहीं है । अगर राज्य सरकार ने इसमें हाथ नहीं लगाया होता तो हम मान लेते कि हस्तक्षेप नहीं कर सकते लेकिन मैं अपनी

[श्री जयराम वर्मा--]

जानकारी से कह सकता हूं कि राज्य सरकार ने गलत हस्तक्षेप किया। इस तरह से बिला टिकट चलने वालों को आपने प्रोत्साहन दिया और इसका परिणाम यह होगा कि दूसरी पार्टियों के लोग और इस तरह के प्रदर्शन करने वाले भी बिला टिकट जाने का प्रयास करेंगे । तो इस राज्य सरकार ने एक-एक नमूना कायम कर दिया है तो फिर दूसरे आदमियों को कैसे रोक सकते हैं ? इसलिये यह प्रश्न यहां पर आना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि "क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने ऐसा नहीं किया, शांति-व्यवस्था के लिये ?" और सवारियों के आने-जाने की शिकायत....तो वह तो वहां ही हो सकता है, वहां आना चाहिये ।

श्री कल्पनाथ सिंह--

यह शांति-व्यवस्था से संबंधित है और इसलिये हमारी राज्य सरकार से संबंधित प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

"क्या केंद्रीय सरकार ने रेलवे में इस सरकार से सहायता मांगी"..... यह अल्पसूचित प्रश्न आप कर लें । अब हम आगे चलते हैं ।

श्री बंशीधर पांडेय--

एक मिनट सुन लें । यह प्रश्न नहीं है । यह एक साजिश थी । रेलवे बजट का रेवेन्यु भी गवर्नमेंट आफ इंडिया से लौटकर यहां आता है... सेंट्रल का सबजेक्ट भले ही हो, लेकिन सारे रेवन्यू स्टेट्स को पड़ते हैं । तो 4 लाख कम्युनिस्टों को इस सरकार ने विभिन्न ट्रेनों से मुफ्त भिजवाया क्योंकि वह तो उनकी सहेली पार्टी है । उन्होंने हिन्दुस्तान भर में सबको आर्डर दे दिया कि जाओ और चारबाग में जो कहते हैं तो यही इलाहाबाद में हुआ, यही मगलसराय में हुआ और मिर्जापुर में हुआ । उन्होंने सबको फैसिलिटेट किया और जब रेलवे अधिकारियों ने सहायता मांगी तो आखिरकार कलेक्टर गये, एस0 पी0 गये और कलेक्टर और एस0पी0 की बात न मानकर 4 घंटे ट्रेन रोक दिया और जो बोनाफाइडी पैसेंजर्स थे, उनको हाथ जोड़कर रोका गया और उनके टिकट वापस करवाये कि इनको जाने दो, इसलिये कि कल इनकी रैली है । मैं कहता हूं इस सरकार से मेरी पार्टी की ट्रेन होगी तो मैं पंजाब मेल को क्या करूं, कह दूं कि 10 हजार मेरी पार्टी के लोग बैठकर गया जायेंगे, पटना में पहुंचेंगे ? यह टेंडेंसी बनने की बात है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह केंद्रीय विषय है ।

श्री बंशीधर पांडेय--

केंद्रीय विषय नहीं है ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

जब रेलवे में सफर करते हैं बिला टिकट लोग और स्पेशल स्क्वैड चेकिंग करता है तो किराया तो जरूर केंद्रीय सरकार को जाता है लेकिन जुर्माना इस सरकार को मिलता है, तो हमारा नुक्सान हुआ--उत्तर प्रदेश सरकार का ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले संविधान में संशोधन करवा दीजिये तब यह सवाल उठाइये ।

श्री मोहम्मद असरार अहमद--

मेरी पूरी बात सुन लें कि जबकि सफर बिला टिकट करेंगे....

श्री उपाध्यक्ष--

क्या आप सचमुच यह जोर देकर कह सकते हैं कि आप बहस करने में इस विषय पर सक्षम हैं ? विषय उसी को उठाना चाहिये जिस पर आप समझें कि आप विवाद करने के लिये सक्षम हैं ।

(व्यवधान)

श्री मोलीलाल देहलवी (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, यह यहां पर देखा गया कि प्रबन्ध के लिये रेलवे के अधिकारियों ने राज्य की पुलिस को बुलाया । यह जानकारी हुई राज्य की पुलिस को कि इतने कम्युनिस्ट बिना टिकट दिल्ली पहुंच रहे हैं । तो मान्यवर, आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब पुलिस की जानकारी में यह बात आ गयी तो यहां के पुलिस मंत्री, मुख्य मंत्री ने, दूसरे लोगों ने जब तक यह न कहा होगा कि इनको छोड़ दिया जाय, जाने न दिया जाय, तब तक पुलिस छोड़ नहीं सकती थी । यह बात साफ है कि पुलिस को इशारा किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

कार्यसूची का नम्बर 20 । माननीय वित्त, विद्युत एवं संसदीय कार्य-मंत्री ।

अब इसका पहला उठा सकते हैं जैसा कि माननीय विरोधी दल के नेता ने कहा । वही सवाल प्रविष्टि योग्य है और नहीं आ सकता है ।

(व्यवधान)

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)--

इस प्रश्न को उठा कर माननीय सदस्य कोई भूमिका तो नहीं तैयार कर रहे हैं कि उनके दल का दिल्ली में कोई सत्याग्रह हो तो बिना टिकट चले जायं ?

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)--

रूलिंग पार्टी के लोग अगर चले गये होते तो यह सोचा जाता कि सत्ता उनके पास है । मैं आपको वार्निंग देना चाहता हूं अध्यक्ष जी के माध्यम से कि यह सब हर मैजेस्टीज गवर्नमेंट का लायल अपोजीशन बनाया जा रहा है ।

श्री रामवचन यादव (जिला आजमगढ़)--

एक बार दिल्ली में जनसंघ का प्रदर्शन हुआ तो सब लोग अपने ट्रकों से और किराया देकर गाड़ी से गये थे । इस बार जो सत्ता कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने दुर्व्यवस्था पदा की है, इससे गाड़ियां बन्द हो जायगी और कोई रोक नहीं पायेगा ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

कम्युनिस्ट पार्टी के समर्थन में इस समय की सरकार ने पब्लिक एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया है, जनता को तकलीफ पहुंची है और इस सदन में सरकार ने चुप्पी साध ली है, एक शब्द बोल नहीं सके, आपके सामने भी अपना पक्ष उपस्थित नहीं कर सके । इसलिये अगर इस सदन में मुझको इस बात की चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता तो हम और हमारा दल 2 मिनट के लिये इस सदन का त्याग करते हैं ।

(श्री कल्पनाथ सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री उपाध्यक्ष—

कार्य सूची का नं0 20।

श्री मोतीलाल देहलवी बिना श्री उपाध्यक्ष की आज्ञा के बोलते रहे और अन्त में सदन त्याग कर चले गये।)

1973–74 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 6–स्टाम्प, अनुदान संख्या 7–निबन्धन, अनुदान संख्या 8–राज्य विधान मंडल, अनुदान संख्या 39–अधिवर्ष भत्ते और पेन्शनें, अनुदान संख्या 51–पेन्शनों का राशि मूल्य, अनुदान संख्या 4–बिक्री-कर तथा अनुदान संख्या 53–ब्याज वाले ऋण और अग्रिम

वित्त मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 6—स्टाम्प के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृति धनराशि के अतिरिक्त 26,21,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

आपकी इस व्यवस्था के विरोध में हमारी पार्टी भी दो मिनट के लिये सदन का त्याग करती है।

(श्री हरिनाथ तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

*वित्त मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी)—

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 7—निबन्धन के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 41,38,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 8–राज्य विधान मंडल के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 66,11,600 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय, श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—अधिवर्ष भत्ते और पेंशनें, के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,11,54,500 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 51—पेंशनों का राशि मूल्य के अन्तगत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,48,100 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनवीक्षण नहीं किया ।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 4---बिक्री-कर के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये, आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,70,42,800 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

राज्यपाल महोदय की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1974 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 53---ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 77,01,87,700 रुपय से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, यह अन्त की दो मदें ऐसी हैं जिस पर विवाद होना निश्चय हुआ है । इनमें एक बिक्री-कर के संबंध में है तथा दूसरी अन्य विभागों को जो ऋण दिया जाता है उस संबंध में है।

जहां तक मान्यवर, बिक्री-कर का संबंध है, जैसा कि मैंने अपने बजट भाषण में संकेत किया था, पिछले वर्ष इस मद में काफी आय होने की संभावना व्यक्त की गयी थी और बिक्री-कर की आय में लगभग 10-11 करोड़ की अतिरिक्त आय का अनुमान था । अब तक जो आय में बढ़ोत्तरी हुई है, वह करीब 23 प्रतिशत के करीब है । बिक्री-कर अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा इसके लिये एक विशेष अभियान भी चलाया गया । इस वर्ष सूखे की भी स्थिति रही है जिसका असर बिक्री-कर पर अवश्य पड़ेगा । फिर भी इस बात का प्रयास है कि लगभग 80 करोड़ रुपये बिक्री- कर से वसूल हों। इस विभाग में इस दृष्टि से बहुत से सुधार भी किये गये हैं । जनता को सुविधायें भी अधिक दिये जाने का प्रयास किया गया है । पिछली बार इस बात का प्रयास किया गया था जिसके लिये सदन में विधेयक भी पारित किया था कि अन्य राज्यों से मिलने वाली सभी सीमाओं पर चौकियां स्थापित की जायं ताकि कर-अपवंचना न हो सके । अन्य राज्यों से अकसर लोग बेनामी माल मंगा कर टैक्स इवेजन करते थे । इससे जो ईमानदार लोग थे उनको बड़ा नुकसान होता था क्योंकि उनको माल महंगा पड़ता था । उनकी भी शिकायत थी । इसलिये अब यह चौकियां स्थापित कर ने से कर अपवंचना को रोका जा सकेगा । इससे जहां इस प्रदेश को आय होगी, वहां अन्य राज्यों की आय में भी आय में बृद्धि होगी । आशा यह की जाती है कि 1, मई, 1973 तक चेक-पोस्टों की स्थापना हो जायेगी ।

एक शिकायत यह भी थी कि जो रिफंड किया जाता है उसमें बहुत देरी की जाती है । अब यह किया गया है कि जो भी रिफंड किया जायेगा उस पर 6 प्रतिशत का ब्याज भी दिया जायेगा। इसके लिये भी एक सेल कायम किया गया है । यह भी देखा गया कि कुछ संस्थायें जो उद्योग विभाग से रा-मैटीरियल लेती हैं वे अन-रजिस्टर्ड होती हैं और इसलिये वे कर नहीं देतीं । तो इस प्रकार की चेष्टा की जा रही है । इस शेल के द्वारा जो व्यापारी या कम्पनियां अपना पता बदल देती हैं या कच्चा माल अलग-अलग जगह से लेती हैं, किन्तु बिक्री-कर नहीं देती हैं, उनकी रोक-थाम के लिये चेष्टा की गयी है । श्रीमन्, इस समय यह भी बात आयी, हमारे जो सेन्स टैक्स आफिसर हैं उनकी संख्या कम है । अगर सेक्टर्स बढ़ा दिये जायें, उनकी संख्या बढ़ा दी जाय तो वह अधिक प्रभावकारी ढंग से अपने कार्य को दक्षता पूर्वक चला सकेंगे । इसके अलावा, इनकी कमी के कारण जो ज्यादा केसेज हो जाते थे, जिससे संबंधित लोगों को नुकसान और कठिनाई होती थीं, इन तमाम बातों के लिये इसका प्रयास किया गया है कि इनकी संख्या बढ़ाई जाय । साथ ही साथ उनको पदोन्नति के भी अधिक मौके दिये जा रहे हैं ताकि असिस्टेन्ट सेल्स टैक्स और सेल्स टक्स आफिसरों की अधिक पदोन्नति हो सके ।

[श्री नारायणदत्त तिवारी---]

श्रीमन्, हमारे यह बकाये की वसूली में भी वृद्धि हुई है। पिछले 5 साल में जो प्रयास सरकार की ओर से हुए उसमें 16 करोड़ रुपये का जो बकाया बिक्री-कर का था, वसूल हुआ था। इस वर्ष भी जनवरी तक 2 करोड़ 83 लाख रुपया वसूल हुआ है। इसमें अभी और तेजी लाये जाने की संभावना है।

जहां तक अन्य ऋणों का संबंध है, जो दूसरे मद से संबंधित हैं, उसमें विभिन्न विभागों की विभिन्न मदें उसके अन्तर्गत आती हैं। जैसे किसान को जो तकाबी बीज और खाद के लिये दी जाती है, उसके लिये 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा, आम तकाबी के लिये 1 करोड़ 41 लाख और किसानों को एडवांस देने के लिये 7 करोड़ 32 लाख रुपये की व्यवस्था इस अनुदान के द्वारा की गई है। फिर रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने यह निर्णय किया कि इस प्रदेश में किसान आन्दोलन के माध्यम से, जो किसी सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं, उन किसानों को रुपया दिया जाय। इसके हेतु रिजर्व बैंक आफ इंडिया ने एक मास्टर प्लान तैयार किया था, जिसको पिछले वर्ष सरकार ने स्वीकार कर लिया था।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

आपने वसूली की फीगर बताई है, लेकिन यह बता दें कि बकाये की धनराशि अब तक कितनी है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

36 करोड़ है, उसमें से 9 करोड़ रुपया कोर्ट से स्टे है। यह भी मैं आपको बता दूं एक साल का नहीं, क्यूमेलेटिव है जब से बिक्री-कर लगा तब से का है।

श्री रूपनाथसिंह यादव---

पिछले वर्ष का असेसमेंट कितना शेष है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी---

यह तो चलती हुई प्रक्रिया है, जो मास्टर प्लान पिछले वर्ष स्वीकार किया गया है, उसमें किसानों के लिये यह सुविधा दी गई है, कोआपरटिव बैंक को रुपया दिया जा रहा है इसीलिये कि वे सोसाइटी के मेम्बर बनें। उसके लिये 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ताकि वे कोआपरेटिव सोसाइटी के मेम्बर बन सकें। और फिर रिजर्व बैंक से ज्यादा क्रेडिट सहकारी समिति को खाद बांटने के लिये और बीज बांटने के लिये मिल सकेगा।

इसी प्रकार ग्रामीण उद्योगों, छोटे उद्योगो के लिये 94 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। शुगर कारपोरेशन की जो स्थापना हुई, उसमें नई मशीनें लगाने के लिये 3 करोड़ 26 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की जा रही है। इसी प्रकार मिडिल क्लास हाउसिंग स्कीम के लिये 1 करोड़ 19 लाख की व्यवस्था की जा रही है। नगरों में जल निकासी के लिये, वाटर सीवेज के लिये 2 करोड़ 38 लाख की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार जो नई योजना दुग्ध वितरण तथा प्रसार के लिये रखी गयी है उसके लिये, 1,47,49,600 रुपये की व्यवस्था की गई है। मकान निर्माण के हेतु एडवांस देने के लिये 1 करोड़ 19 लाख रुपया देने की व्यवस्था की गई है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिये 57 करोड़ 95 लाख रुपये के ऋण की व्यवस्था की गयी थी। इन प्राविधानों के जरिये जो स्वयं प्लान आइटम्स हैं, इनको पूरा किया जा रहा है।

जहां तक लघु उद्योग निगम का सवाल है इसको 58 लाख रुपये का ऋण दिया जा रहा है। इसके जरिये शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये 18 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। लघु तथा कुटीर उद्योगों के विकास के लिये एक निगम की स्थापना की गई है जिसके द्वारा 94 लाख रुपया देने की व्यवस्था की गयी है। एग्रो-इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के अन्तगत तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार दन के लिय 13 लाख 75 हजार रुपया ऋण देन की

व्यवस्था की गयी है। यह नया प्लान आइटम है। इसी प्रकार पिकअप नई संस्था बनाई है। इसके जरिये महाराष्ट्र के पैटर्न पर किसी औद्योगिक संस्था को इंसेटिव देने के लिये यह संस्था बनाई गई है। इसके लिये प्रादेशिक औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गयी है जिसके लिये 50 लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। टेक्निकल एजूकेशन के लिये 13 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार आप देखेंगे कि बेरोजगारी को दूर करने के लिये अलग-अलग मदों में अलग-अलग ऋणों की व्यवस्था की गयी है। इस वर्ष फायनेंस कारपोरेशन विभिन्न उद्योगों को ऋण देता है। दीर्घकालीन दृष्टिकोण से उसकी भी संस्थाओं को हम बढ़ा रहे हैं और इस साल हमने यू० पी० फाइनेंस कारपोरेशन को 50 लाख रुपये का अतिरिक्त ऋण देने की व्यवस्था की है।

जहां तक विद्युत् बोर्ड का प्रश्न है इसके लिये 57 करोड़ 95 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है और बोर्ड का हमने नया प्रबन्ध किया है। चेयरमैन इसका तकनीकी व्यक्ति नियुक्त किया गया है और सचिव भी इसका तकनीकी व्यक्ति है। इस समय बोर्ड में जो 6 मेम्बर हैं उनमें से तीन तकनीकी हैं और मुझे इससे आशा है कि जो प्रबन्ध है बिजली बोर्ड का उसमें कुछ सुधार होगा और जो बराबर ब्यूरोक्रेट्स तथा टेक्नोक्रेट्स की बात सदन में उठाई जाती है उसे अब नहीं उठाया जायगा क्योंकि जब इससे कोई लाभ नहीं होता और न प्रदेश के हित में ही है।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)––

क्या आप टेक्नोक्रेट्स को कोई समय देंगे कि दो-तीन वर्ष में अगर कोई प्रगति करके नहीं दिखाई तो फिर आपको इस नीति में परिवर्तन करना होगा ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

राज मंगल पाडेय जी की भावनाओं का मैं सदैव आदर करता हूं।

श्री रामसिंह खन्ना (जिला बरेली)––

इधर के लोगों की भावनाओं का भी कभी आप आदर करेंगे ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

सभी की भावनाओं का मैं आदर करता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)––

क्या आप फिर ब्यूरोक्रेट्स को जो लाने की बात सोच रहे हैं ?

श्री रूपनाथ सिंह यादव––

ब्यूरोक्रेट्स तथा टैक्नोक्रेट्स का जो झगड़ा इस प्रदेश में हुआ जिसमें कितने करोड़ की हानि प्रदेश को हुई ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

यह प्रश्न ऐसा है कि जिसको अधिक बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है कि इसकी हानि का मूल्यांकन करें। मैंने इसका उल्लेख इसलिये किया, चूंकि सदन में इसकी बात आयी थी कि विद्युत् बोर्ड का गठन इस प्रकार से किया गया है जिससे इस प्रकार के विवाद की आवश्यकता न रहे।

इस वर्ष इस बात के प्रयास हो रहे हैं कि जो बिजली का उत्पादन है उसमें बड़ी कठिनाइयां आ गईं थीं, उनका निराकरण किया जाय। हमें आशा है कि इस वर्ष ओबरा में 100–100

[श्री नारायणदत्त तिवारी—]

मेगावाट की क्षमता की दो मशीनें चालू हो सकेंगी, एक 15 मई तक और दूसरी 15 नवम्बर तक। इसी प्रकार यह भी आशा है कि इस वित्तीय वर्ष में 60–60 मेगावाट की दो मशीनें यमुना हाइडिल में चालू हो सकेंगी। इस प्रकार कुल मिलाकर 320 मेगावाट बिजली अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो सकेगी, इसकी आशा है। इसके साथ ही साथ बोर्ड ने जो निर्णय किया है और करने जा रहे हैं विद्युत् का आगे जो एलाटमेंट किया जाय वह बहुत देखभाल कर किया जाय और कृषि को प्राथमिकता हो ताकि जो पुराने लोग ह, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, कृषकों की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। खासकर लोगों का इस प्रकार फेंजिग किया जाय जिससे जनरेशन के अनुरूप लोग डवलप हो। यह न हो कि जनरेशन कम हो और लोड मनमाने ढंग से बढ़ता जा रहा है।

जो बिजली का कष्ट है, आगे उतना कष्ट न रहे, यह कष्ट कम से कम हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। दूसरे प्रदेशों में भी बिजली जो मिलती थी उसमें कठिनाइयां हो गयीं। मध्य प्रदेश में भी बिजली जो मिलती थी उसमें कठिनाइयों हो गयीं। मध्य प्रदेश में तीन मशीनें खराब हो गईं। इसलिये वहां से बिजली नहीं मिल पायी। बिहार से लगभग 25 मेगावाट बिजली मिल रही है। प्रयास है कि बिहार से और बिजली मिल सके। दिल्ली से अतिरिक्त बिजली के सम्बन्ध में कल बठक हुई थी। मथुरा–भरतपुर लाइन बनायी जा रही है। आशा है मई तक चालू हो जायगी। हम प्रयास करेंगे राजस्थान सरकार से वहां पर जो अणु विद्युत्-गृह है उससे जो अतिरिक्त लोड है वह मिल सके। इस प्रकार बिजली का संकट हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रो में जहां पर खास कर हाई ईल्डिग वैराइटीज बोई गयी हैं और जहां गेहूं हरा है, माननीय सदस्यों ने मांग की थी, 12 बजे रात से 6 बजे सुबह तक छः घंटे अतिरिक्त बिजली उन क्षेत्रों को दी जाय, यह आदश दिया गया है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आपकी आज्ञा से एक स्पष्टीकरण। हाई ईल्डिग वैराइटीज के सिलसिले में जो अडिर्स गये हैं वे पालन नहीं हो रहे हैं। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिये। साथ ही साथ, शुगर केन सोइंग के पीक अवर्स हैं, अगर आपने न बढ़ाया तो इसका इफेक्ट सारे प्रदेश पर पड़ेगा। इसलिये बारह के बजाय 15–20 घंटे कीजिये।

श्री नारायणदत्त तिवारी—

मैं उनका आभारी हूं, वह कृपा करके दो-एक बार और अन्य कई सदस्य आये। उन्हीं की आज्ञा पर तीन-चार मीटिंग करने के बाद छः घंट के बजाय 12 घंटे बिजली उन क्षेत्रों में दी जाय, यह आदेश किया गया। अगर कहीं उसका पालन नहीं हुआ, अभी बिजली अधिकारी हैं, उनसे कहूगा कि क्यों नहीं पालन हो रहा है, वह देखें। जहां तक मुझे मालूम हुआ है, उसक आदेश हो चुके हैं और रात्रि के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक बिजली दी जा रही है। हो सकता है इन आदेशों का मुजफ्फरनगर में पालन न हो रहा हो, इसको दख लिया जायगा।

श्रीमन्, इस वर्ष जो बिजली का संकट रहा वह एक अप्रत्याशित संकट था और उसके कारणों पर कई बार यहां पर चर्चा हो चुकी है। मैं उस सम्बन्ध में विस्तार से अपनी ओर से नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि जो कमी है उसक कारण हम सभो को ज्ञात हैं। मैं तो माननीय सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने बहुत ही सद्भावना से और सहानुभूतिपूर्वक इस संकट का मुकाबला करने में नेतृत्व हमें प्रदान किया है। जो परिस्थिति पैदा हुई उसमें सम्मानित सदस्यों ने काफी सहयोग हमें दिया। मैं व्यक्तिगत रूप से भी सम्मानित सदस्यों का बहुत ही आभारी हूं। उनकी हमारे ऊपर व्यक्तिगत कृपा रही और हमारी कठिनाइयों को उन्होंने समझा और देखा। हमारी जो गंभीर स्थिति थी उसका उन्होंने अनुभव करते हुए अपनी बातों को हमारे सामने रखा।

आने वाले 2–3 महीने भी कष्ट के महीने हो सकते हैं । हम उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे कि वह कष्ट कम से कम हो । जैसा कि मैंने बताया कि दूसर प्रदेशों से बिजली लिये जाने के प्रयास हो रह हैं ।

इन्डस्ट्रीज तथा उद्योगों के लिये तो बिजली बन्द कर दी गई है । नये उद्योगों के लिये भी जून तक के लिये बिजली बन्द कर दी गई है । जैसा कि इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों द्वारा भी मांग हुई है कि जब पुराना लोड भी मीट नहीं कर सकते तो नई इन्डस्ट्रीज के लिये विद्युत् न दी जाय । इसलिये उनके लिये भी रोक लगा दी गई है । केवल एग्रिकल्चरल कनेक्शन–टयूबवेल के लिये ही बिजली दी जा रही है । मझे डाक्टर के0 एल0 राव ने बताया कि भाखड़ा में कुछ स्थिति सुधरी है । 10 फिट पानी भरा है और सतलज नदी में भी पानी का डिस्चार्ज कुछ बढ़ा है जिससे कि पंजाब और हरियाणा में कटौती में कमी होने की सम्भावना है । इसके फलस्वरूप हम दिल्ली से बिजली ले सकते हैं । हमारे गोरखपुर और कानपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरीज हैं । नाइट्रोजन फैक्टरीज को चालू रखना बहुत जरूरी है ।

नागल को बिजली 10 प्रतिशत तक लेने की सम्भावना है । किसी न किसी प्रकार से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली प्रशासनों से हमने सम्मिलित रूप से आग्रह किये हैं डाक्टर के0 एल0 राव के माध्यम से, और उसकी एक बैठक उन्होंने बुलाई भी है । वह हमको प्राप्त हो सकती है । इस प्रकार हम निरन्तर चेष्टा कर रहे ह । बाहर की विद्युत प्राप्त करके और अपने जनरेटर्स को बढ़ा कर तथा इस बीच हमारी जो खराब मशीनें थी हरदुआगंज और पिंकी ओबरा में, उनको चालू करके बिजली की व्यवस्था का प्रयास किया जा रहा है । ओवर हालिंग में भी हमारी कुछ मशीनें थीं उन्हें भी जल्दी ठीक कराया जा रहा है । इस तरह से हमें आशा है कि हम 2/3 महीने का यह बिजली के संकट का मुकाबला कर सकेंगे । इन शब्दों के साथ में बिक्री-कर का अनुदान तथा विभिन्न ऋणों के अनुदानों को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि सदन इन अनुदानों को पारित करे ।

श्री उपाध्यक्ष––

आपने यह भी आश्वासन दिया था कि समाचार-पत्रों को बिजली देने की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री नारायणदत्त तिवारी––

मैंने विद्युत् परिषद् के अध्यक्ष से बात की थी और उन्होंने कहा है कि समाचार पत्रों, यू0 एन0 आई0 और पी0 टी0 आई0 को बिजली देने के आदेश हो चुके हैं ।

श्री चन्द्रभान शर्मा––

उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष––

अब आदेश दिये गये हैं, उनका पालन होगा ।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 4––बिक्री-कर के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के प्रतीक मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय कमी करने का उद्देश्य––सरकारी नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

[श्री कल्याण सिंह–]

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 53––ब्याज वाले ऋण और अग्रिम के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–सरकारी नीति की आलोचना करना तथा आवश्यक सुझाव देना ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिन मदों पर इस माननीय सदन में चर्चा हो रही है, मेरे विचार से ये मदें सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं । ये वे मदें हैं जिनके ऊपर अपने प्रदेश की प्रगति यदि सरकार गलत नीति न अपनाये, निर्भर करती है । मैंने माननीय मन्त्री जी के भाषण को बड़े ध्यान से सुना है और यह कहते हुए मुझे बड़ा खेद हो रहा है कि आज के इस बेरोजगारी के युग में नवयुवकों को छोटे-मोटे उद्योग धंधे चलाने के लिये जिस प्रकार से अल्प मात्रा में ऋण बांटे जा रहे हैं उससे बड़ी निराशा होगी । बिजली की कटौती से किसान तो पहले से ही हताश की स्थिति में हैं और आज जो लचर बात आपने कही, उससे तो मेरा विश्वास है कि किसानों को किसी प्रकार का बल नहीं मिलेगा बल्कि वे बड़े निराश होंगे । माननीय मन्त्री जी ने कुछ आंकड़े देकर यह प्रकट करने का प्रयास किया है कि बिक्री-कर की वसूली में प्रगति हुई है ।

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं न केवल बिक्री-कर की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं अपितु जितने आपके ऋण और ब्याज तथा उनके बकाये की स्थिति क्या है उस ओर भी ध्यान दिलाना चाहता हूं । माननीय मन्त्री जी ने बड़ी होशियारी के साथ उन बकायों को छिपाया है । केवल बिक्री-कर के बारे में उन्होंने कहा है कि 10–11 करोड़ रुपया वसूल हुआ है । यद्यपि आज स्थिति यह है कि पहली दिसम्बर, 72 को उत्तर प्रदेश में बिक्री-कर का 36 करोड़ 76 लाख रुपया बकाया था और उनमें से 143 केसेज ऐसे हैं जिनके ऊपर एक लाख या उससे ऊपर टैक्स का बकाया है । कृपया माननीय मन्त्री जी बतलावें कि इन 143 केसेज में आपने क्या कानूनी कार्यवाही की और क्या उनको कोई दंड देने की व्यवस्था की ? आज कहते हैं कि यह जो टैक्स का एरियर है, यह कोई आज का नया नहीं है बल्कि यह 1948–49 और 50 से चला आ रहा है । यह स्थिति तो और भी खेदजनक है । साल दो साल का एरियर होता तब तो हम समझ भी सकते थे कि किन्हीं कारणों से इसकी वसूली नहीं हो पायी है लेकिन जब सन् 48 से लेकर आज तक वसूली नहीं हो पायी है तो यह सरकार की खोखली नीति की परिचायक है और जो हम प्रगति नहीं कर सके हैं, इसको स्वयं माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है ।

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा ऋण, ब्याज और अग्रिम के बकाये की जो स्थिति है यह भारत के नियंत्रक-महालेखाकार परीक्षक की रिपोर्ट 1969–70 के पष्ठ 15 के अनुच्छेद 12 में दिया गया है जो इस प्रकार है––1968–69 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कर्ज और पेशगियों का बकाया 57.90 करोड़ बढ़ गया । 1 अप्रैल, 1968 को 509.86 करोड़ रुपये से 31 मार्च, 1969 को 567.76 करोड़ रुपये हो जाने से 57.90 करोड़ रुपये बढ़ गया । 31 मार्च, 69 को 411 करोड़ 39 लाख रुपये का बकाया विद्युत परिषद् पर चल रहा है । इस प्रकार से आज स्थिति ऐसी है कि कुल मिला कर सात, साढ़े सात सौ करोड़ रुपये का बकाया है । सरकार कहती है और हम सभी मानते हैं कि जो ऋण दिया जायगा वह प्रगति और विकास के लिये दिया जायगा परन्तु क्या यह स्थिति अच्छी कही जा सकती है कि सरकार ऋण तो देती चली जाय और उसकी वसूली का कोई प्रबन्ध न करे? अगर यही स्थिति रही तो एक दिन आ जायगा कि बराबर देते चले जायेंगे और उनकी वसूली में प्रगति नहीं हुई तो आर्थिक स्थिति पहले से भी बिगड़ती जायगी और जहां इस तरह से पैसे का दुरुपयोग होगा, वहां प्रगति का कोई काम न हो सकेगा । इससे छोटे उद्योग धंधों के कामों में भी बाधा पड़ती है ।

बिक्री-कर की बकाया धनराशि की वसूली के लिये केवल चेकपोस्ट लगाने के अतिरिक्त माननीय मन्त्री जी ने ऐसी कोई क्रांतिकारी बात नहीं सुझायी है जिससे यह विश्वास हो सकता

जिससे यह पता चल सके कि सरकार इस बकाये को और जो करावंचन हो रहा है उसको रोकने के लिये दृढ़ संकल्प है। इसी बकायें में विद्युत शुल्क 1 अप्रैल, 1972 को एक करोड़ 50 लाख 85 हजार बकाया है और चीनी मिलों पर 8 करोड़ 14 लाख रुपया बकाया है। बहुत से किसानों का करोड़ों की संख्या में इन चीनी मिलों के ऊपर गन्ने का दाम बकाया है और सरकार नारा लगाती है कि वह किसानों की हितैषी है तो हम जानना चाहते हैं कि वह चीनी मिलों के सहकारीकरण को क्यों नहीं घोषणा करती है? हम सरकारीकरण के पक्ष में नहीं हैं। यदि यह कर दिया गया तो इससे किसी को लाभ नहीं होगा। इसीलिये हम कहते हैं कि चीनी मिलों का सहकारीकरण कीजिये। तुरन्त उनको सरकार अपने हाथ में ले, इसकी हम आवश्यकता नहीं समझते कि उनको कोई मुआवजा दिया जाय क्योंकि उन्होंने काफी मुनाफा कमा लिया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या यह जनसंघ की नीति है कि चीनी मिलों को बिना मुआवजा के सहकारीकरण कर दिया जाय ?

श्री कल्याण सिंह--

जी हां, हम चाहते हैं कि चीनी मिलों का सहकारीकरण हो।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

क्या जनसंघ की नीति है कि बिना मुआवजे के इनका सहकारीकरण किया जाय?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

मुआवजे का सवाल नहीं है। आप जनरल क्यों पूछते हैं? पैसे पूछिये और इस पर डिबेट कीजिये।

श्री कल्याण सिंह--

जितना भी बकाया है, चाहे वह विद्युत परिषद् के ऊपर हो या चीनी मिलों के ऊपर हो। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि बकाये को वसूल करने के लिये एक कलेक्शन सेल बनाया जाय। आप सारा बकाया रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट को वसूल करने के लिये दे देते हैं और वह वसूल नहीं कर पाता है। इसलिये अलग से एक कलेक्शन सेल बकाये की वसूली के लिये स्थापित करने की कृपा करें।

मन्त्री जी ने अपने भाषण में इस बात पर कतई प्रकाश नहीं डाला है कि प्रदेश में बिक्री-कर में करावंचना को रोकने के लिये कौन-कौन से कदम उठाये जा रहे हैं। करावंचना क्यों होता है? क्या इसके लिये व्यापारी वर्ग को गाली देकर इतिश्री कर लेना चाहिये? क्या सारा व्यापारी वर्ग बेईमान है? क्या उनको हेय दृष्टि से देखा जाना चाहिये? हो सकता है कि कुछ प्रतिशत ऐसे व्यापारी हो सकते हैं जो बेइमानी करना चाहते हों लेकिन अधिकांश में इस सरकार के दोष-पूर्ण नियम इस बात के लिये उत्तरदायी हैं जो ईमानदार से ईमानदार व्यापारी को बेइमानी करने के लिये विवश कर देते हैं।

करावंचना के कुछ प्रमुख कारण मैं बताना चाहता हूं। एक तो एक प्रतिशत से दस प्रतिशत की जो दर लगा रखी है वह करावंचन को प्रोत्साहन देती है। आपका बहुसूत्रीय बिक्री-कर भी इसका एक प्रमुख कारण है। अधिकारीगण भी इसके लिये उत्तरदायी हैं।

[श्री कल्याण सिंह—]

आय-कर में जो छट दी गई है वह बहुत ही कम है। इतनी धनराशि से काम नहीं चल सकता है। हम मांग करते हैं कि इसको 6 हजार होना चाहिये। माल के यातायात पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। कर की ऊंची दर भी इसका एक कारण है। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों में कर की दर नीची है और हमारे यहां काफी ऊंची है। जैसे दिल्ली में प्रसाधन की वस्तुओं पर 7 प्रतिशत बिक्री-कर लगता है और हमारे यहां दस प्रतिशत लगता है तो माल यहां चोरी-छिपे आयेगा और जब माल चोरी-छिपे आयेगा तो बिक्री-कर का इवेजन होगा। जब बिक्री छिपती है तो बिक्री-कर भी छिपता है। बिक्री तब ही छिपती है जब अनवाउचर्ड बिक्री और खरीद होती है और यह अनवाउचर्ड और अनअकाउन्टेड बिक्री तभी सम्भव है जब कि ट्रांसपोर्ट पर आपका कोई कन्ट्रोल न हों। अन्तर राज्य व्यापार के लिये एक सी0 फार्म होता है लेकिन उसका प्रयोग होता है या नहीं, इसके चेक करने के लिये आपने कोई कोशिश की है? हमारा सुझाव है कि आप पहले डेलीवरी और डिस्पेच की कंट्रोल करें। होता यह है कि फिकटिशस नाम से माल भेज दिया जाता है और फर्जी नाम पर ही माल डेलीवर भी हो जाता है और बिक्री-कर की धनराशि इस तरह से इवेड हो जाती है। आप इस चीज को कम्पलसरी कर दें कि ट्रांसपोर्ट एजेंसी कोई डिस्पेच नहीं लगी जब तक कि व्यापारी ने अपना बिक्री-कर का रजिस्ट्रेशन नम्बर न दिया हो और साथ में उसका नम्बर भी न दिया हो कि जिसको माल डेलीवर होना है। यह दोनों ही स्टेज पर आप कम्पलसरी कर दें।

आज करावंचन के कारण ही सारे देश की अर्थ व्यवस्था जर्जर होती जा रही है और चरमरा रही है और हर जगह बाहर और यहां सदन में बार-बार यह चीज आती है कि एक अलग से काले धन की एकनामी यहां चल रही है। यही करावंचन का धन है जो काले धन में परिवर्तित हो जाता है। आप अन्दाजा लगायें कि सन् 65 में हमारे देश में काला धन 800 करोड़ था, जो सन् 71 में बढ़कर 1,400 करोड़ हो गया और अब तो वह 17–18 सौ करोड़ तक पहुंच गया है। जहां इतनी बड़ी संख्या में काला धन हो वहां की एकनामी कभी भी एक विकसित ढंग से नहीं चल सकती।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में कुछ कठिनाइयां आती हैं जिनकी तरफ मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। बिक्री-कर के बारे में बार-बार सुनवाई को टालना व्यवसायियों के लिये दिक्कत पैदा करता है, लेखों की अनिवार्यता मनमानी अस्वीकृति भी एक कारण है कि व्यापारी सही हिसाब देते ही नहीं। कोई भी व्यापारी चाहे कैसा भी सही लेख बनाये लेकिन एक धारणा बना ली गई है कि व्यापारी नीयत से बेईमानी है ही। कोई निश्चित तरीका या आधार नहीं है जो अधिकारियों की व्हिम में आया, कर दिया, वैसे ही कह देते हैं कि बिक्री इससे दुगुनी हो ही लेकिन उन का यह कहना किस आधार पर आधारित होता है वह वह जानें या भगवान जानें।

इसके अतिरिक्त असेसमेन्ट के मामलों में बहुत विलम्ब होता है। मैं इस संबंध में कुछ सुझाव दूंगा। आपके बिक्री-कर विभाग में यह नियम बना है सेक्शन 7 के मातहत कि 4 साल तक बिक्री-कर का असेसमेन्ट कराये रहा जा सकता है। आपने आय-कर विभाग से इस सम्बन्ध में कोई चीज सीखने का प्रयत्न नहीं किया। आपको कदाचित् मालूम होगा कि आय-कर में इस 4 साल की अवधि को घटाकर 2 साल कर दिया गया है। इसका परिणाम यह होता है कि 4 साल में फर्म फेल हो गई, दूसरी जगह चली गई या है तो नाम बदल गया, आपका विभाग उसे ढूंढता रह जाता है और फर्म का ही पता नहीं लगता। बकाया के संबंध में कितने ही केसेज ऐसे होंगे जिनमें फर्म ही ट्रेसेबिल नहीं होतीं कि वह कहां चली गई इस 4 वर्ष की अवधि को घटा कर आप 2 वर्ष कर दें। इस 4 साल की छूट को व्यापारी को देने के माने हैं कि 4 साल तक व्यापारी आपके बाबुओं को और अफसरों को, जैसा उनकी सब सत्यानिष्ठा है, खुशकर के बेचते रहते हैं, वह आज बादशाहत कर रहे हैं। आज हाल यह है कि अगर किसी को सेन्सटैक्स, इन्कम टैक्स या अक्साइज या विभाग को नौकरी मिल जाय तो अधिकांश लोग ऐसे हैं जो समझते हैं

देश का राज्य मिल गया। और राजा बने बैठे हैं। उनकी इमानदारी जैसे संदिग्ध है उसको देखते हुए कोई व्यापारी जायगा तो 100-200 रुपया दे आयेगा और फाइल दबी रह जायगी। इस प्रकार से एक व्यापारी 4 साल तक सेल्स टैक्स देने से बचा रहेगा और कभी फिर जब टैक्स लगेगा तो तब तक फर्म ही टूट गई होगी। इसलिये इसे 4 वर्ष के स्थान पर असेसमेन्ट के लिये 2 वर्ष कर दिया जाय जैसा कि इन्कम टैक्स विभाग ने कर भी दिया है।

रिमांड केसेज भी वर्षों पड़े रहते हैं। आप उनमें किसी भी प्रकार की शीघ्रता नहीं बरतना चाहते हैं। केसेज फाइलों में दबे पड़े हुए हैं क्योंकि आपने कोई टाइम लिमिट नहीं रखा है। जितने भी रिमांड केसेज हैं, उनका निपटाने के लिये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का अवधि दी जाय, इससे अधिक नहीं। भले ही आपका स्टाफ को बढ़ाना पड़े। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कर को वसूल नहीं कर सकते हैं और करावंचना को भी रोक नहीं सकते हैं। जैसा कि इन्कम टैक्स ने कर दिया है आप भी 2 1/2 सौ रुपये के केसेज को समरली डिस्पोज औफ करें। आपके लाखों के केसेज तो पड़े रहते हैं लेकिन आपके विभाग वाले 200 या 250 रुपये के केसेज को लेते रहते हैं क्योंकि उन्हें एमाउन्ट नहीं दिखाना है बल्कि यह दिखाना है कि उन्होंने कितने केसेज कर दिये हैं। नसबन्दी के केसेज की भांति उन्हें भी केवल केसेज की संख्या देनी पड़ती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जिस प्रकार से इन्कम टैक्स वाले 15,000 रुपये तक के जो रिटर्न्स दे देते हैं, उनके हिसाब-किताब समरली डिस्पोज आफ कर देते हैं। इसी कार से इन छोटे-छोटे केसेज को सेल्स टैक्स वालों को भी समरली डिस्पोज औफ कर देना चाहिये। इससे समय बचेगा और जो बड़े-बड़े केसेज पड़े हुए हैं, उनको आसानी से निपटाया जा सकेगा।

क्लोज्ड फर्म्स के मामले को आप देखें, आज कोई फर्म बन्द करना चाहता है और वह आपको लिखता है कि वह अपनी फर्म को बन्द कर रहा है, उसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इसको चलाये। आपका विभाग कोई शीघ्र निर्णय नहीं कर पाता है, परिणाम यह होता है कि अपनी फर्म बन्द करके दूसरे स्थान पर चला जाता है और फिर आपके विभाग के अधिकारी उन्हें ढूंढते फिरते हैं। मेरी प्रार्थना है कि जितने भी क्लोज्ड फर्म्स के मामले हैं, आप तुरन्त निर्णय कराने की कोई व्यवस्था करा दें?

रिफंड्स के जहां तक मामलों का सम्बन्ध है आप आदेश देने की कृपा करें कि जब फाइल में अपील पर आदेश हो जाते हैं तब फिर रिफन्ड करने में कोई देर नहीं होनी चाहिये। ऐसे केसेज 2-3 साल तक एडजस्ट नहीं हो पाते हैं--- और फिर वह कलक्टर से मन्जूरी प्राप्त करने के लिये उन्हें रेफर किये जाते हैं। आपको इसके लिये एस० टी० ओ० को अधिकार देना चाहिये कि जैसे ही आदेश आयें, तुरन्त ही रिफन्ड करने के आदेश होने चाहिये, आप इससे व्यापारियों को राहत दे सकते हैं।

यह कहां का इंसाफ है कि सरकार का अगर एरियर रह जाता है तो सरकार 18 प्रतिशत की दर से सूद लेती है और अगर किसी का ज्यादा जमा हो जाय, पहले तो उसे कोई सूद दिया नहीं जाता है लेकिन अब वह शायद 6 प्रतिशत कर दिया है। मन्त्री जी स्वयं बतायें कि यह कौन-सा न्याय है? मैं मांग करता हूं कि जब आप 18 प्रतिशत लेते हैं तो जिसका इक्सेस जमा हो गया है, आप उसको भी 18 प्रतिशत दें। इसका यह लाभ होगा। ये जो आपके विभागीय अधिकारी हैं, जब ये समझ जायेंगे कि इनको भी 18 प्रतिशत देना पड़ेगा, तो उससे रेवेन्यू में क्षति

[श्री कल्याण सिंह–]

होगी और वे अधिक सतर्क होंगे। आप 18 प्रतिशत लें और जनता का अगर ज्यादा जमा हो जाता है, आपके अधिकारियों की अक्षमता या गलती की वजह से, तो उसको 6 प्रतिशत द, मैं नहीं समझता कि इसमें क्या नैतिक बल है। इसको समान स्तर पर लाना चाहिये।

मैं मन्त्री जी का ध्यान पर्चेज टैक्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। तिलहन, गल्ला, गुड़ और घी के ऊपर पर्चेज टैक्स है, सेल्स टैक्स नहीं है। होता यह है कि किसी व्यवसायी ने इलाहाबाद में तिलहन, गल्ला, गुड़ अथवा घी खरीदा और उस पर मुहर लगाकर दे दिया कि "टैक्स पेड"।

अब कोई मेरठ पहुंच गया वह तो कागज दिखा देगा कि "टैक्स पेड" है। आपके विभाग वाले छानबीन करते रहेंगे कि यह टैक्स पेड भी किया गया है कि नहीं। तो पर्चेज टैक्स को समाप्त कीजिये इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, आपका। आपने जो आयल सीड्स, फूड ग्रेन्स, गुड़ और घी पर पर्चेज टैक्स लगा रखा है, इसको समाप्त करके सेल्स टैक्स एक पदीय लगाइये। यूनीफार्म लगाइये, ताकि उसमें गड़बड़ी की गुन्जाइश न रहे। आपके विभाग के नियम साल भर में, या कभी-कभी 6 महीने में बदल जाते हैं। इससे भी जनता और व्यवसायियों को कठिनाई होती है। कम से कम एक वर्ष का मौका दें। कोई अमेन्डमेन्ट लाते हैं तो एक वर्ष लागू रखें। आपके विभाग के अधिकारी पहले से ही अच्छी तरह से सोच लें ताकि एक वर्ष के अन्दर कोई संशोधन लाने की आवश्यकता न पड़े।

दूसरी बात मैं मन्त्री जी से, आपके माध्यम से, यह प्रार्थना करूंगा कि जितनी टैक्स की दर कम होगी, आपकी वसूली भी उतनी ही अधिक होगी। जितनी ज्यादा दर होगी, उतना ही ज्यादा इवेजन होगा, उतना ही कम टैक्स वसूल होगा। हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा कर लगाये जाते हैं और हिन्दुस्तान में ही सबसे कम पैसा टैक्स से वसूल किया जाता है। तो जो टैक्स लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसमें टैक्स की दरें कम करें। उससे इवेजन के चान्सेज कम होंगे और वसूली ज्यादा होगी।

बिक्री-कर के सम्बन्ध में एक बात पुनः कहना चाहता हूं कि जितने भी पर्चेजर या सेलर हैं, माल की बुकिंग करते वक्त हर ट्रान्सपोर्ट एजेंसी के लिये यह कम्पलसरी कर दिया जाय कि उसमें मुहर लगेगी। जिसको वे गुड्स डिलीवर होती, है, उस कम्पनी का रजिस्ट्रेशन नम्बर साथ ही साथ रेलवे या जो भी मोटर व्हीकल या ट्रांस्पोर्ट एजेंसी हों, उनको दर्ज किया जाना चाहिये कि जिससे बनावटी नामों में जो गुड्स की बुकिंग और डिलेवरी होती है, वह रुके और इससे बिक्री-कर में जो इवेजन हो रहा है, वह रुके।

एक नीति संबंधी बात मैं और बता देना चाहूंगा और वह यह है कि आपने बहुसूत्रीय कर लगा रखे हैं भिन्न-भिन्न आइटम पर भिन्न-भिन्न दरों से। इसका आप एकपदीय कर करने की कोशिश करें। सिंगल प्वाइन्ट लगाये, तो इससे रेवेन्यू बढ़ जायेगा। इवेजन का एक प्रमुख कारण यह भी है कि हमारे पड़ोसी राज्यों में सेल्स टैक्स की दरें कम हैं। मुझे याद है सन् 1971 में जब इसी मद पर बहस हो रही थी मैं उसकी कार्यवाही पढ़ रहा था तो श्री राजमंगल पांडे ने सुझाव दिया, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपनी बात सरकार से कहें क्योंकि हम तो विरोध पक्ष के हैं, और हमारी बात सरकार सुनेगी नहीं, कि जब तक सेन्ट्रली यूनीफार्म्ड दरें सेल्स-टैक्स की नहीं होंगी, तब तक इवेजन नहीं रुक सकता। इसलिये मेरा निश्चित सुझाव यह है कि सेल्स टैक्स की दरें कम कीजिये आपका इवेजन रुकेगा और इवजन रुकने पर राजस्व की वृद्धि होगी।

इसी प्रकार मन्त्री जी ने कितनी ही मदों की चर्चा की है। स्थानीय निकायों को ऋण, सहकारिता संस्था को ऋण, किसानों को अग्रिम देने की भी बात है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न प्रकार के आप कारपोरेशन्स बना रहे हैं, उनको भी ऋण देने की बात है। आप ऋण तो

देते चले जा रहे हैं, कभी आपने यह भी सोचा कि जिन उद्देश्यों के लिये यह ऋण दिया जाता है, उनकी भी पूर्ति हो रही है अथवा नहीं। क्या सहकारिता विभाग ने, जो ऋण आपने दिया है, उससे किसानों को और देहात के आदमियों को सुविधा दी है। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि बकाये की पष्टि से कोआपरेटिव सोसाइटीज दयनीय अवस्था में है। वहां का जो कोआपरेटिव सुपरवाइजर्स है वह मालिक बना बैठा है और आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते क्योंकि वह सरकारी कर्मचारी नहीं है। हम जब प्रश्न करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि वह तो सहकारी संस्था है और हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकते। मेरा यह विचार है कि आपके यहां दो ही प्राणी ऐसे हैं जिनके खिलाफ संविधान में उनको कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता—एक तो हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति और दूसरा यह कोआपरेटिव सुपरवाइजर। राष्ट्रपति को पार्लियामेंट इम्पीच कर सकती है, न्यायालय में दण्ड नहीं दिया जा सकता। इसी प्रकार सुपरवाइजर को आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं पूछना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं को जो ऋण आपने दिया उसका कभी आपने विवेचन किया? सहकारी संस्थायें फर्जी लोगों को ऋण दे देती है और किसान को तब पता लगता है जब उसके पास सम्मन जाता है कुर्की का।

इसी प्रकार किसानों को अग्रिम देने की बात है। इस बार तो अग्रिम कम कर दिया गया है। मालूम नहीं क्यों? आपका कहना यह है कि सहकारिता के माध्यम से खाद के लिये आप तकाबी दिलवा रहे हैं, उससे किसानों को राहत मिलेगी। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि वह किसानों को अग्रिम दे ताकि वह सिंचाई की व्यवस्था कर सके। आपका कहना यह भी है कि लघु उद्योग कारपोरेशन बनाया है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों को आप रोजगार देंगे। यू० पी० स्टेट एग्रो-इन्डिस्ट्रयल कारपोरेशन से भी छोटे-मोटे उद्योग खुलवा देंगे। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि आप यह जो छोटे-मोटे उद्योग की व्यवस्था कर रहे हैं यह आप ढहती हुई अर्थ व्यवस्था में कच्ची मिट्टी से छेद बन्द करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपने इस बात का कोई मास्टर प्लान बनाया है कि आपके प्रदेश में कितने शिक्षित नवजवान बेरोजगार हैं, कितने टेकनिसियन्स बेरोजगार हैं, कितने इन्जीनियर्स बेरोजगार हैं?

माननीय, आज स्थिति विस्फोटक हो चुकी है। नवजवान के सब्र का प्याला भर चुका है। वह बसें जलाता है, कार्यालय फूंकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वह अपनी जवानी के दिनों में कुछ कर-गुजरना चाहता है और अगर उसकी शक्ति को संरचना के काम में नहीं लगाया जाता तो इन विध्वंस के कार्यों से उसको कोई शक्ति नहीं रोक सकती। न आप रोक सकते हैं और न केन्द्र में प्रधान मन्त्री। इसलिये मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस बात का पता लगाने की कोशिश करें कि हमारे प्रदेश के अन्दर कितने बेरोजगार हैं—शिक्षित और अशिक्षित देहातों में और शहरों में और इन सबको रोजगार देने की व्यवस्था की जाय। और अगर आप चाहें तो इन शिक्षित बेरोजगारों से आप उनकी डिग्री जमानत पर ले लें क्योंकि उनके पास जमानतें देने के लिये कोई सम्पत्ति तो है नहीं....

श्री त्रिलोक चन्द्र (जिला बुलन्दशहर)—

माननीय, कोरम का अभाव है।

(कोरम पूरा होने पर)

श्री कल्याण सिंह—

इसमें एक चीज का और अभाव अखरता है और वह यह कि जो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, सक्षम नहीं हैं, उनके लिये आवास के लिये ऋण की व्यवस्था नहीं की गयी है जो कि की जानी

[श्री कल्याण सिंह–]

चाहिये थी। जिनके पास जीवका का साधन नहीं है और आज भी जो नीले आकाश के नीच सोते हैं उनके लिये दीर्घ कालीन ऋण की कोई व्यवस्था की जानी चाहिये थी।

मान्यवर, अब मैं उस आइटम पर आ रहा हूं जिसकी चर्चा आज इस प्रदेश में और इस सदन में है और वह है आपका सफेद पालतू हाथी, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्। यह सफेद हाथी जनता की गाढ़ी कमाई को चूस रहा है। मान्यवर, यह सभी जानते हैं कि आज के विकास के युग में विद्युत का कितना महत्व है और मैं तो यह मानता हूं कि किसी देश या प्रदेश के उत्थान के लिये दो चीजें बहुत आवश्यक हैं और वे हैं सड़क और शक्ति यानी बिजली। सड़क और बिजली किसी भी प्रदेश के आर्थिक जीवन में वही रोल अदा करती है जो रोल रक्त शिरायें हमारे शरीर में अदा करती हैं। आज बिजली की स्थिति हमारे प्रदेश में यह है कि चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। बिजली की कटौती भी की जा रही है। बिजली बोर्ड के द्वारा करोड़ों रुपये की क्षति हो रही है और जनता के ऊपर रोज-रोज नयी-नयी दरें बढ़ायी जा रही हैं। मैं इसका चित्रण आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा कि बिजली की क्या दुर्गति हो रही है और उसके माध्यम से जनता की क्या दुर्गति हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहूंगा। यदि वे उन्हें पसन्द आयें, उनको जन उपयोगी समझें तो मैं आशा करता हूं माननीय मन्त्री जी उन्हें तुरन्त स्वीकार करेंगे और जो सुझाव उन्हें स्वीकार न हों उनके कृपया कारण बतलाने का कष्ट करेंगे। अगर उन्हें स्वीकार न करने के कारण बता देंगे तो हम अपने को संशोधित कर देंगे, हो सकता है हम गलती कर रहे हों। आपका बहुमत है, आप हां तो करा ही लेंगे। जनतंत्र में यदि सरकार का 99 प्रतिशत का बहुमत हो और अगर एक आदमी की बात सही हो, तो उसको मानना चाहिये और अगर नहीं मान रहे हैं तो कारण बता दें। मान्यवर, मैं इस विद्युत बोर्ड का पोस्टमार्टम करना चाहता हूं और कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

सच बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश ने बिजली की खपत की कोई योजना नहीं बनायी, आज नहीं बहुत प्रारम्भ से। यह मैं मानता हूं कि यह खता हमारे विद्युत मन्त्री जी की नहीं है और न आज की वर्तमान सरकार की ही है। 25 साल पहले आपने बिजली की सही खपत का आंकलन नहीं किया था और इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बीच के चन्द महीनों को छोड़ कर उसी पार्टी की सरकार रही है जिसकी कि आज है। माना आप बिजली के मन्त्री नहीं होंगे, और कई रहे होंगे—नीतियां तो आपकी सरकार की रही होंगी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से तिवारी जी को स्मरण कराऊं। 25–11–72 को विद्युत स्थायी समिति की मीटिंग कोटा (राजस्थान) में हुई थी। जब हमारे विद्युत मन्त्री जी ने देखा कि वे चारों ओर से घिर गये हैं तो उन्होंने कहा कि यह कसूर हमारा नहीं है बल्कि 25 साल पहले प्लान बनाने वालों का है। उन्होंने सही आंकलन बिजली की खपत का नहीं किया।

इसी प्रकार से 25 साल बाद आने वाली पीढ़ी से जो भी उस समय मिनिस्टर रहेंगे वे कह देंगे कि कसूर हमारा नहीं है बल्कि सन् 1973–74 के अन्दर जो मिनिस्टर थे उन्होंने सही ढंग से योजना नहीं बनायी थी। वर्षानुवर्ष जनता को बेवकूफ बना कर, थोती तर्क देकर, उसका कोई भला नहीं करने जा रहे हैं। इससे प्रदेश का और देश का भी कोई भला नहीं होने जा रहा है।

सन् 1951 में बिजली का उत्पादन 179 मेगावाट था जो बढ़कर चौथी प्लान में 1310 हो गया। यह वद्धि आठ गुनी है। इस आठ गुनी वृद्धि के लिये सरकार वाह वाही ले सकती है मगर खपत कितनी है? चौथी योजना में अखिल भारतीय वार्षिक औसत खपत प्रति व्यक्ति 78 किलोवाट घंटा थी जबकि प्रान्तों में थी: किलोवाट घंटा

पंजाब	165 ,,	,,
महाराष्ट्र	137 ,,	,,
पश्चिमी बंगाल	118 ,,	,,
तामिलनाड	115 ,,	,,
उत्तर प्रदेश	50 ,,	,,

आपने बिजली बढ़ायी तो खपत क्यों नहीं बढ़ी ? इसका अर्थ यह हुआ कि जो बिजली का उत्पादन बढ़ा उससे कई गुनी खपत बढ़ी जिसका अन्दाजा प्लान बनाने वालों ने नहीं किया।

चौथी प्लान में 522 करोड़ रुपये की योजना बनायी, मगर इसके लिये 375 करोड़ रुपये की योजना की स्वीकृति मिली है। इसका परिणाम क्या होगा? इसकी स्वीकृति न मिलने के कारण सम्भावित वार्षिक खपत प्रति व्यक्ति होगी:

अखिल भारतीय	..	..	.. 150	किलोवाट घंटा
पंजाब ..	..	..	.. 270	,, ,,
महाराष्ट्र	..	..	.. 228	,, ,,
पश्चिमी बंगाल	..	..	.. 154	,, ,,
गुजरात	..	..	.. 218	,, ,,
तामिल नाडू	..	..	.. 199	,, ,,
उत्तर प्रदेश	..	..	.. 90	,, ,,

जब बिजली की खपत का औसत प्रति व्यक्ति इतना नीचे होगा, आप लाख आंकड़ों से समझाने की कोशिश करें, इस तरह से प्रदेश की प्रगति नहीं की जा सकती है। खपत नहीं बढ़ेगी तो प्रदेश की प्रगति नहीं हो सकती है। 1970–71 के बिजली के खपत को देखा जाय तो अखिल भारतीय 89 यूनिट प्रति व्यक्ति है जबकि उत्तर प्रदेश का केवल 59 यूनिट प्रति व्यक्ति है। चौथी योजना के अंत में अखिल भारतीय खपत 170 होगी जबकि उत्तर प्रदेश की 75 होगी। दूसरे प्रदेशों की खपत इसके मुकाबले में बहुत अधिक होगी। पांचवीं योजना के अन्त में 80 : 81 में अखिल भारतीय खपत 259 से 300 यूनिट होगी जबकि अपने प्रदेश का 80 : 81 की खपत का कोई अन्दाजा ही नहीं लगाया गया है।

आज सदन में बिजली की कटौती पर बहुत चर्चा हुई। मिर्जापुर के एक माननीय सदस्य, रामबचन यादव, ने कहा कि देहातों में बिजली नहीं पहुंच रही है। किसान ने पैसा लगाकर खाद और बीज खरीदा और ट्यूबवेल लगाया लेकिन उसको गेहूं सींचने के लिये पानी ही नहीं मिला है। इसके लिये दोषी किसान नहीं है। उसने तो कर्ज लेकर ट्यूबवेल लगाया था, अपनी बहू-बेटी के गहने गिरवी रक्खे थे। फसल कट चुकी है लेकिन उसकी मढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है। कुछ दिनों में बारिश आ जावेगी और वह करेन्ट के अभाव में मारा जावेगा। क्या सरकार ने किसान की पैदावार में हुई क्षति का अनुमान लगाया है? इस वर्ष किसान की पैदावार कम से कम 40 प्रतिशत कम हुई है। जितना पानी फसल को लगना चाहिये था वह नहीं लग सका है। परिणाम यह हुआ है कि कम से कम 40 प्रतिशत पैदावार कम हुई है। आप कहते हैं कि कटौती इसलिये करनी पड़ रही है क्योंकि बिजली की पैदावार कम है। वह इसलिये कम है क्योंकि इन्द्र देवता आपसे कुपित हैं। सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है कि वर्षा नहीं हुई और रिहन्ड डैम नहीं भरा जा सका। इस कारण बिजली का उत्पादन गिर गया लेकिन मान्यवर सरकार का यह कहना सही नहीं है। यह तर्क विद्युत् परिषद् और जो अभियन्तागण हैं उन्होंने अपनी चमड़ी बचाने के लिये दिया है।

इस बिजली की कटौती के कारण कृषि का उत्पादन गिर गया है आर औद्योगिक संस्थानों पर बहुत खराब असर पड़ा है चुर्क सीमन्ट फैक्टरी में 1400 टन रोज का उत्पादन था। अब यह केवल 400 टन ही रहा गया है। इस प्रकार 1000 टन प्रति दिन उत्पादन गिर गया है। इसी प्रकार से देश में औद्योगिक संस्थानों में 30 करोड़ मासिक का उत्पादन कम हो रहा

[श्री कल्याण सिंह]–

है। इसका परिणाम महंगाई, बेरोजगारी और भुखमारी होगी। इससे असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है। मान्यवर, इस सरकार की चोरों से कुछ साँठगांठ मालूम होती है। चोरों को भी अंधेरा अच्छा लगता है और इस सरकार को भी अंधेरा अच्छा लगता है। प्रधान मंत्री जब चुनाव लड़ने निकली थीं तो कहा गया था कि इन्दिरा जी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। लेकिन अब उनके बल्ब फ्यूज हो गये हैं, नई रोशनी के कारण ट्यूबवेल भी नहीं चल रहे है। हां कुछ पूंजीपतियों की इसमें अवश्य बन आई है। इसमें विशेष रूप से पूंजीपतियों के 75 परिवार आते हैं जिसके पोषण करने में यह सरकार लगी हुई है, क्योंकि इनके पैसे से कांग्रेस चलती है। इसका परिणाम बहुत खराब होने वाला है।

बेरोजगारी की स्थिति क्या है ? कितनी क्षति हो रही है ? आज साढ़े तीन लाख लोग बेरोजगार हैं बिजली की कटौती के कारण। 28 लाख काम के घंटे रोज बेकार हो रहे हैं। आपने अनुमान लगाया है कि कितनी क्षति हो रही है ? कभी ठंडे दिल से सोचा है कि क्यों कटौती करनी पड़ती है, क्यों उत्पादन कम हुआ है ? रेणु सागर पावर स्टेशन पर बिजली 90 प्रतिशत बन रही है और आपका जो विद्युत परिषद् का पावर स्टेशन है वह बना रहा है बिजली 50 प्रतिशत। यह अन्तर क्यों ? एक ही स्थान पर एक संस्थान 90 प्रतिशत बिजली बनाता है और दूसरा 50 प्रतिशत, तो क्या इसे मैं वर्षा की कमी कहूं या इन्द्र देवता का कोप मान लूं? या जो भ्रष्ट अधिकारी, अकुशल अधिकारी, अदक्ष अधिकारी इस प्रदेश को पीछे ले जाना चाहते हैं ऐसे अधिकारियों का दोष है कि विद्युत उत्पादन घट रहा है? इसी तरह से उत्तर प्रदेश की कुल उत्पादन क्षमता 1572 मेगावाट थी और उत्पादन हो पा रहा है साढ़े नौ या 10 सौ मेगावाट ? यह स्थिति क्यो है? ओबरा थरमल से जबकि वह 250 मेगावाट बिजली बनाने की क्षमता है, केवल 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है।

ओबरा हाइडिल में 99 मेगावाट की क्षमता है और उत्पादन हो रहा है कवल 66 मेगावाट। रिहंड में 300 मेगावाट की क्षमता है और उत्पादन हो रहा है 180 मेगावाट। माताटीला की क्षमता 30 मेगावाट की है और उत्पादन है 20 मेगावाट का। पनकी में 64 मेगावाट की क्षमता है और उत्पादन हो रहा है 59 मेगावाट का। कानपुर में 75 की क्षमता है 47 मेगावाट का उत्पादन हो रहा है। हरदुआगंज और पनकी के जो पावर स्टेशन्स हैं, मशीनों की मरम्मत न होने से, सफाई न होने के कारण वहां 350 मेगावाट क्षमता की मशीनें बेकार पड़ी हैं जो कि विद्युत उत्पादन में सहायक सिद्ध हो सकती थीं। तो मैं कैसे मान लूं कि वर्षा न होने के कारण उत्पादन घट रहा है। थरमल प्लांट्स में कौन सी पानी की और डैम्स की आवश्यकता पड़ती है आपका जो विद्युत बोर्ड है, जो उसकी नीतियां हैं और सरकार की नीतियां हैं यह उसी का दुष्प्रभाव है। कुछ राजनीतिक कारण भी हैं।

अभी यू0पी0 और हिमांचल प्रदेश का झगड़ा चल रहा है यमुना जल विद्युत योजना क कारण। मैंने पता लगाया तो मालूम हुआ कि 1948 से यह झगड़ा चला आ रहा है और 21 नवम्बर, 1972 को आपने फैसला किया है कि इस योजना के अन्तर्गत जो जमुना जल विद्युत योजना है, इसके अन्तर्गत जो बिजली बनेगी उसका 25 प्रतिशत हिमांचल प्रदेश को दिया जायगा और यदि हिमांचल प्रदेश न लेना चाहे तो उसको भी उत्तर प्रदेश को बेंच देगा। समझौते में आपने क्या किया, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना है। केवल एक सवाल पूछूंगा कि इस छोटे से काम में आपको 24-25 साल क्यों लगे ? क्या इसको मैं शासन की दक्षता का, कुशलता का प्रतीक मान लूं कि जरा से निर्णय में 24–25 साल लग जायं ? इसी तरह से महराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में नर्बदा से बिजली उत्पादन के संबंध में कुछ झगड़ा 25 वर्षों से चल रहा है और उसके कारण बिजली के उत्पादन पर कुप्रभाव पड़ रहा है, इससे 4 अरब वार्षिक की क्षति हो रही है यह वर्षा की कमी के कारण इतना नहीं बल्कि मुख्य मंत्रियों के आपसी

झगड़ों के कारण हो रहा है । इन्द्र देवता थोड़े से दोषी हैं, लेकिन उनसे ज्यादा आपका विद्युत परिषद् और आपकी नीतियां और आपका विभाग दोषी है और ज्यादा दोषी है राजनीतिक नेता जो जरा-जरा सा निर्णय लेने के लिये 24-24, 25-25 वर्ष ले लेते हैं ।

खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। कौन ऐसी बड़ी बात थी कि हिमांचल प्रदेश से समझौता करने के लिये आपने 24/25 साल ले लिये ? गत दिनों हड़ताल हुई । अनुमान यह है कि 5 करोड़ रुपये रोज की क्षति हुई है । अब पता नहीं कितने अरब की हुई होगी । हमारे मंत्री जी का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स का झगड़ा न उठाया जाय । हमें कोई शौक नहीं है इस झगड़े को उठाने का । हम यह जानना चाहते हैं कि हड़ताल हुई और 5 करोड़ प्रतिदिन की जन धन की क्षति हुई । क्या आप में इतना नैतिक साहस है कि एक कमीशन नियुक्त कर दें यह जानने के लिये हड़ताल के लिये जिम्मेदार कौन है ? क्या आपकी नीतियां या आप स्वयं या आपके आई० ए० एस० आफिसर्स या इंजीनियर्स उसके लिये जि मेदार हैं ? मैं मांग करता हूं कि एक हाई पावर कमीशन की नियुक्ति की जाय जो इस हड़ताल के कारणों की पूरी तरह से छानबीन करें । मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने अन्ततोगत्वा सही बात मान ली और बोर्ड का चेयरमैन एक इंजीनियर को बनाया, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है । खासतौर से साल भर तक तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा जब तक कि यह न देख लूं कि उनके आने के पश्चात् इस विभाग में प्रगति क्या होती है, भ्रष्टाचार कहां तक मिटता है।

श्री चन्द्रभान शर्मा—

अभी कह लेने दीजिये । साल भर के बाद यह यहां रहें या न रहें ।

श्री कल्याण सिंह—

हम जरूर होंगे आप अपनी चिन्ता कीजिये । आपने 50 प्रतिशत इंजीनियर वहां रख दिये । जब यह बात उचित थी तो इतने बड़े आन्दोलन की नौबत आपने क्यों आने दी ? क्या आप दूसरे विभागों के लोगों को भी यह प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं कि जब तक सत्याग्रह नहीं होता, करोड़ों की क्षति नहीं होती, तोड़ फोड़ नहीं होती तब तक सरकार सही बात मानने के लिये तैयार नहीं है । मेरा निश्चित आरोप है कि सरकार मानती तो है लेकिन बहुत कुछ जन-धन की क्षति हो जाने के बाद विवेक तो यह कहता है कि आपको सही बात पहले दिन ही मान लेनी चाहिये और अगर उनकी बात गलत है तो आपको झुकना नहीं चाहिये। आन्दोलन एक दिन में खड़ा नहीं हो गया । उन्होंने आपको विधिवत् नोटिस जारी की थी । लेकिन आप जमे थे कि हमारी सरकार नहीं झुकेगी । इसमें झुकने या न झुकने का कहां सवाल था ? एक सही मांग थी बोर्ड की कि उसका प्रबन्ध इंजीनियर के द्वारा होना चाहिये । आपने उसको माना तो लेकिन तब माना जब अरबों की जन-धन की क्षति हो चकी थी । आपके इस मांग को मान लेने से इंजीनियर एक हद तक संतुष्ट तो हैं लेकिन अभी भी उनके अन्दर असंतोष उबल रहा है और असंतोष का कारण है आपका विभाग ।

आपने इसी सदन में यह आश्वासन दिया था कि स्टेट्स को ऐंटी कायम रखा जायगा । लेकिन आपने वह नहीं रखा । जो प्रोमोशन्स हो गये थे उनको ज्यों का त्यों बरकरार रखा और जब वायवैला मचा तो आपने उन्हीं प्रोमोशन्स को एक दूसरा रूप दे दिया । आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी करके उनको ज्यों का त्यों रखा । जो सीनियर थे उनका कसूर यही तो था कि उन्होंने हड़ताल में भाग लिया और हड़ताल में भाग लेने के लिये आपने

[श्री कल्याण सिंह--]

और आपके आई०ए० एस० आफिसर ने उनको मजबूर किया और उनसे जो जूनियर थे उनको आफिसर आन स्पेशल ड्यूटी करके उनकी सीनियारिटी को सुपरसीड करके ऊपर बिठा दिया । क्या यह असंतोष का कारण नहीं है ? कि आपने कुछ इंजीनियर को रिश्वतें दीं, स्पेशल एवार्ड्स दे कर साढ़े 7 हजार और 10 हजार के स्पेशल एवार्ड्स दिये गये । आप क्या इस प्रकार इंजीनियर में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाकर उनके मनोबल को गिराने का कुप्रयास नहीं कर रहे हैं ? आपको सारी समस्याओं का अध्ययन करके एक संतोषजनक समाधान देना चाहिये था ।

बिजली की कटौती जो आप कर रहे हैं इसके लिये मैं आपको कुछ सुझाव देना चाहता कि यह किस सीमा तक पूरा किया जा सकता है । एक तो मेरा निवेदन यह है कि आगे आने वाले 25 साल बाद आपके उत्तराधिकारी या हमारे उत्तराधिकारी यह कहकर पिंड छुड़ाने की कोशिश न करें कि तिवारी जी ने अच्छी योजना नहीं बनायी थी । अतः पूरे प्रदेश की बिजली की आवश्यकता के लिये आप मास्टर प्लान तैयार कराइये कि आने वाले 25 सालों में और उससे आगे तक कितनी बिजली की आवश्यकता इस प्रदेश को होगी और उसके अनुसार पावर जनरेशन को बढ़ाने की योजना बनाइये । इसी प्रकार से पावर जनरेटर्स को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है । इनको प्रोत्साहन दिया जा सकता है । इलैक्ट्रीकल्स के द्वारा ऐसे पावर जेनेरेटर्स का निर्माण कराया जा सकता है । इसके लिये सरकार को करना यह होगा कि डीजल पर से ड्यूटी समाप्त करनी होगी ताकि बिजली कम कीमत पर तैयार की जा सके । इन पर विद्युत शुल्क को भी समाप्त करना होगा । इसके साथ-साथ आपको इन जेनेरेटर्स को बनाने वालों को कर्जा भी देना होगा । साथ ही, केन्द्र से यह भी प्रार्थना करना चाहिये कि उत्तरी भारत में जो ट्रेंस बिजली से चल रही हैं उनको डीजल से चलाया जाय और उनसे जो बिजली बचे उसे अन्य आवश्यक कामों में लगाया जाय ।

इसके अतिरिक्त, जहां तक रिहन्ड की बात है, मुझे बताया गया कि वहां का पानी का स्तर 880 फीट होना चाहिये जो कि लगभग 850 फीट के ही है । मुझे पता चला है कि भाखड़ा और नागार्जुन बांध में होता यह है कि वहां का पानी बिजली पैदा होने के बाद जो बाहर जाता है उसी पानी को फिर पंपों के द्वारा जलाशय में वापस डाल दिया जाता है । क्या यह चीज अपने यहां भी रिहन्ड में संभव नहीं है ? आप इस पर भी विचार करने की कृपा करें ।

किसानों को जो बिजली दी जाती है उसमें आप कटौती न करें । हिंडालकों और कनौरिया कैमिकल्स को जो बिजली दी जाती है उसमें आप कटौती करें । मुझे पता चला है कि आप इनको और अतिरिक्त बिजली देने जा रहे हैं । अगर यह बात गलत हो तो आप कृपया बतायें । किन्तु अगर यह सही है तो इससे अधिक खेदजनक बात कोई और हो नहीं सकती कि एक तरफ किसान बिजली के अभाव में दम तोड़ रहा है, उसकी फसल सूख रही है दूसरी तरफ आप इनको और अधिक बिजली देने जा रहे हैं । मान्यवर, जो सन् 59 में एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी यह है कि अगर रिहन्ड का जल स्तर नीचे गिर जायेगा तो बिजली में कटौती की जा सकती है । संविद सरकार ने चौधरी चरण सिंह जी के जमाने में यह कटौती की भी थी । यदि आवश्यकता है तो 60 प्रतिशत तक आप उनकी बिजली कट कर दीजिये । किसान को बिजली अधिक दीजिये ताकि उसकी फसल कट कर घर में आ सके।

ट्रांसफार्मरों की चोरी, ताम्बे की चोरी बिजलियों के यूनिटों की चोरी, स्टोर से सामान की चोरी जो हो रही हैं इनको रोकने की ओर ध्यान दीजिये । अभी आपके विभाग की तरफ से एक आर्डर निकला था कि जो लोग मोटर-प्लेट्स गलत लगाये हुये हैं वे यदि सही करा लेंगे तो उनको कोई दंड नहीं देना होगा । इसके फलस्वरूप लगभग 573 लोगों ने अपनी मोटर-प्लेट्स को ठीक करवाया । यह लोग अभी तक ज्यादा पावर इस्तेमाल कर रहे थे और कम पावर का मोटर-प्लेट लगाकर बिजली की काफी मात्रा में चोरी कर रहे थे ।

मैं समझता हूं ऐसे और जाने कितने मामले अभी होंगे । मैं पूछना चाहता हूं कि आपके अधिकारी और कर्मचारी क्या करते रहे ? इतने मामलों को अब तक क्यों नहीं पकड़ा गया ? अभी न जाने कितने लोग होंगे जो इस तरह से कम पावर की प्लेट्स लगाकर बिजली की चोरी कर रहे होंगे ।

(इस समय 3 बजे अधिष्ठाता, श्री राम सिंह पीठासीन हुए।)

आपने क्या व्यवस्था की उसको रोकने के लिये?

मान्यवर, इसी तरह से जो अपव्यय हो रहा है लाइन पर, उसके बारे में सरकार का कहना है कि ग्रिड लाइन पर से 20.06 प्रतिशत का अपव्यय हो रहा है, जबकि मेरा ख्याल है कि यह 25 प्रतिशत से कम करेंट का अपव्यय नहीं हो रहा है । इसको रोकथाम के लिये आप सक्रिय उपाय करें हाई टेंशन लाइन बनाकर तथा और दूसरे तरीकों से । ताकि इस 25 प्रतिशत के लास को रोका जा सके । जो विभाग में अपव्यय हो रहा है, उसके लिये विद्युत परिषद् के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि आज उत्तर प्रदेश में लगभग 40 करोड़ रुपये का सामान डम्प पड़ा हुआ है, जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है । इससे मुझे बड़ा कष्ट होता है। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस सरकार को चलाने वाले लोगों का दिल किस धातु का बना हुआ है इतने अपव्यय के बाद भी उनका हृदय नहीं पसीजता है, उनका दिल फट नहीं जाता है ।

परचेज सेक्शन में जो आपकी धांधली चल रही है, उसका कुछ कहना नहीं । उल्टे सीधे टेण्डर लिये जायेंगे, कुछ फार्मों को मोनोपोली दे दी गई है, जिनमें अफसरों की पूरी सांठ-गांठ रहती है। परचेज सेक्शन में लाखों करोड़ो रुपये का गड़बड़ घोटाला है। मैं जोरदार मांग करता हूं कि इस लूटमार की जांच कराने के लिये एक हाई पावर कमीशन की स्थापना की माननीय मंत्री जी घोषणा करें । इस बोर्ड को जो क्षति हुई है, वह वर्ष 1969-70 में 29.70 करोड़ रुपये की है । बोर्ड का बकाया है 12 करोड़ का । हिण्डालको जो सबसे "गरीब" आदमी की संस्था है उन पर आपकी विद्युत् परिषद् का 3 करोड़ का बकाया है । और जो आपके दूसरे नम्बर पर सबसे "गरीब" हैं-कनौरिया कैमीकल्स उन पर दो करोड़ रुपये का बकाया है । इसी तरह से जो बड़े-बड़े कारखानेदार हैं उन पर 7 करोड़ रुपये का बकाया है । यह जन-धन की खुली होली नहीं खेली जा रही है । तो क्या है ?

अब मैं रेट्स के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं । अब तक आपके विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है कि यह अनुमान लगाया जा सके कि एक यूनिट बिजली पर खर्च क्या होता है। अभी तक प्रायः अन्दाज से खर्चा लगता चला आ रहा है। उसी के आधार पर आपका विभाग सिंचाई आदि के लिये किसानों को दी जाने वाली बिजली की दर बढ़ाता चला आ रहा है । जो रनूकूट में प्राइवेट पावर स्टेशन है, उसमें प्रति यूनिट बिजली का उत्पादन खर्च क्या है उससे आपके उत्पादन खर्च की तुलना की जाये, तो पता चलता है कि यह उत्पादन लागत आपके यहां ज्यादा है । आप इस पर विचार करें कि यह ज्यादा क्यों आ रही है ? इससे क्या यह स्पष्ट नहीं होता है कि आपके कर्मचारी अक्षक्ष्य, अकुशल और अकर्मण्य हैं तथा लापरवाही और उदासीनता के साथ काम नहीं कर रहे हैं ? क्या कारण है कि जहां भारत में विद्युत दरें साढ़े 11-12 पैसे प्रति यूनिट है और दूसरी तरफ आपके यहां 14-15 पैसे के आसपास पड़ती है । जब कि आप बड़े-बड़े कारखानेदारों को उत्पादन लागत से भी कम दर पर बिजली दे रहे हैं । गरीब से अधिक दर का लिया जाना और मालदार से कम दर का लिया जाना और अधिक सुविधायें देना, क्या यही आपका समाजवाद है ? यदि यही आपका समाजवाद है तो यह समाजवाद आपको मुबारक हो ।

[श्री कल्याण सिंह]

आपने यह भी कर दिया कि जो नये कारखाने खोलेंगे उनको न केवल सस्ती दर पर बिजली दी जायगी, बल्कि बिजली शुल्क पर 3 साल तक उन्हें छूट दी जायेगी. मेरा कहना है कि 50 प्रतिशत आपने किसानों पर बिजली की दरें बढ़ा दी हैं। इतनी अधिक वृद्धि आपने केवल एक वर्ष की अवधि में की है। 31 दिसम्बर, 1971 को और उससे पहले 12 सौ रुपये किसान के जाते थे मिनिमम गारेन्टी के रूप में, किन्तु यद्यपि आपने मिनिमम गारेन्टी को वापस किया, उसके स्थान पर 1 जनवरी, 72 से 3 पैसे प्रति यूनिट की बिजली की दर बढ़ा दी और 3 रुपये प्रति हार्स पावर कम सरचार्ज लगा दिया। बिजली का रेट ठीक 50 प्रतिशत बढ़ गया है, दिसम्बर, 1971 तक। आपने संशोधन किया कि तीन पैसा फी यूनिट बिजली का रेट बढ़ायेंगे, 1200 पर 240 हो गया। तीन रुपये प्रति हार्स पावर प्रति मास के हिसाब से सरचार्ज बढ़ा दिया जो 10 हार्स पावर पर एक वर्ष में 360 रुपये हो जाता है। इस प्रकार से 240 और 360 मिलकर 600 रुपये हो गये। इस प्रकार 31 दिसम्बर, 1971 को जो केवल 12 सौ रुपये देने होते थे, उसके मुकाबले में पहली जनवरी, 1971 से 12 सौ के स्थान पर 1,800 रुपये देने पड़ गये। इस प्रकार बिजली का रेट पचास प्रतिशत बढ़ गया। इसमें मीटर का खर्च अभी अलग है।

कई बार चर्चा आ गयी है कि बिड़ला जी के हिंडालकों को बिजली दी जा रही है। 5 हजार किलोवाट बिजली 1.997717 पैसे फी यूनिट की दर से मिलती है। कनौरिया केमिकल्स को 6 हजार 5 सौ किलोवाट बिजली दी जायगी ढ़ाई पैसे फी यूनिट के हिसाब और अतिरिक्त 1500 किलोवाट 5 पैसे फी यूनिट के हिसाब से दी जायगी।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

5 हजार मेगावाट ?

श्री कल्याण सिंह—

5 हजार किलोवाट बिजली दे रहे हैं।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

बिलकुल गलत है।

श्री कल्याण सिंह—

मेगावाट नहीं किलोवाट होगा। इससे जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं इस लगभग एक करोड़ रुपये की वार्षिक क्षति हो रही है। उसको पूरा किया जा रहा है हम जैसे छोटे-छोटे गरीब किसानों के ऊपर बिजली की दरें बढ़ा कर। आप क्यों नहीं बिड़ला के हिंडालकों की दरें बढ़ाते हैं। आप कहते हैं कि ऐग्रीमेंट हो गया। प्रीवीपर्स के लिये भी तो ऐग्रीमेंट था। उससे बड़ा यह ऐग्रीमेंट नहीं है। अगर उसके लिये संविधान में संशोधन लाया जा सकता है तो इस ऐग्रीमेंट को भी तोड़ा जा सकता है। अगर उसके लिये संविधान में संशोधन करने का औचित्य हो तो कीजिये। मैं समझता हूं कि उन्होंने काफी पैसा कमा लिया है, कनौरिया और हिंडालको वालों ने। इस प्रदेश की मांग है कि सरकार उसको अपने हाथ में ले। वह मूलभूत इन्डस्ट्री है। इसके द्वारा ही बिजली के तारों की खिचाई होती है। आप कहेंगे कि इसलिये बिजली दे रहे हैं। कृषि के लिये हम प्राथमिकता चाहेंगे बिजली की। हिंडालकों का राष्ट्रीयकरण जरूर किया जाना चाहिये। मूलभूत उद्योग धंधा के रूप में वह लिया जा सकता है।

ग्रामीण उद्योगीकरण के संबंध में माननीय मंत्री ने बड़े विरोधाभास पूर्ण आंकड़े दिये हैं। कुल गांवों की संख्या 1 लाख 12 हजार 624 है। चौथी पंच वर्षीय योजना के प्रारम्भ तक 12 हजार 9 सौ 26 गांवों का विद्युतीकरण हुआ। उसके बाद 12 हजार 515 अतिरिक्त गांवो में विद्युतीकरण होगा। 1972—73 में हरिजन बस्तियां 2563 स्वास्थ्य केन्द्र 59। इस तरह से 28 हजार कुछ गांव होते हैं। इससे 84 हजार 620 गांव के आस पास बचते हैं। 24 अगस्त 1971 को माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि 1979 तक

प्रत्येक गांव का विद्युतीकरण कर देंगे। (व्यवधान) निर्णय किया है, प्रयास नहीं। मेरे पास रखा हुआ है। श्री नारायण दत्त तिवारी, इस नाम से लिखा है। पेज 997, 24 अगस्त 1971 की इस विधान सभा की कार्यवाही है।

श्री नारायण दत्त तिवारी––

करेक्टेड या अनकरेक्टेड ?

श्री कल्याण सिंह––

ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इसलिये मान लेता हूं कि करेक्टेड ही है।

"हमने अपने बजट में सारी विद्युत् प्रणाली को बदलने का निश्चय किया है। हमने यह निर्णय किया है, 1979 तक पंचम पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचा दें।" तो आपने यह निर्णय किया था, प्रयास करेंगे इस गोल भाषा को इस्तेमाल नहीं किया है। अब आप कहते हैं कि 60 प्रतिशत बिजली पहुंचा पायेंगे।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी––

मैं माननीय सदस्य को बतला दूं कि सरकार जो निर्णय करती है कोई जरूरी नहीं है कि वह उसे पूरा करे।

श्री कल्याण सिंह––

जो गति ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली देने की चल रही है वह बहुत धीमी है, उसे तीव्र किया जाय। हरिजन बस्तियों को बिजलीकरण की बात कही गयी थी लेकिन अनेकों तहसील व गांव ऐसे हैं जहां हरिजन बड़ी संख्या में रहते हैं लकिन वहां बिजली पहुंचाने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। अब उपभोक्ता को जिस प्रकार आप बिजली देते हैं उसकी ओर भी सरकार का ध्यान दिला दूं। कनेक्शस मंजूर हो जाने के बाद कितने चक्कर उपभोक्ता को लगाने पड़ते हैं। पहले वर्ष सर्वे कराने के लिये, फिर एस्टिमेट तयार करने के लिये, फिर टर्म्स ऐण्ड कंडीशन्स दिये जाने के लिये, फिर एग्रीमेंट की तारीख मुकर्रर करने के लिये सैकड़ों चक्कर कं यूमर को लगान पड़ते हैं। आखिर में लाइन खींचने के लिये और कनेक्शन दिये जाने के लिये अच्छी खासी रकम आपके अधिकारियों तथा कर्मचारियों को दी जाती है। मेरा निवेदन है कि आपको इन सब बातों के लिये एक टाइम लिमिट नियत कर देना चाहिये कनेक्शन स्वीकार किये जाने से लेकर कनेक्शन दिये जाने की तिथि तक, भले उसमें 6 महीने की अवधि अधिक हो। इससे उपभोक्ता बड़ी परेशानी से बच जायगा और जो भ्रष्टाचार विभाग के अन्दर चल रहा है वह भी काफी सीमा तक खत्म हो जायगा।

बोर्ड के जो कार्य-कलाप रहे हैं। और परचेजेज में बड़ा गोलमाल हुआ है उसके लिये एक हाई पावर कमीशन जांच के लिये नियुक्त किया जाय जो यह जांच करेगा कि बिजली कम क्यों पैदा होती है, करोड़ों रुपयों का माल क्यों डम्प पड़ा हुआ है और उसके लिये कौन जिम्मदार है और वह कमीशन सदन को रिपोर्ट दे जो इस पर विचार करे। बोर्ड का गठन एक वाणिज्य संस्था के रूप में होना चाहिये और इसको लाभ पर चलना चाहिये और यह कार्य भी उस कमीशन को सौंपा जा सकता है। मैं बोर्ड के प्रशासन के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। तीन-चार साल के बाद भी आप अधिकारियों का ट्रांसफर नहीं करते और 4 6 साल के बाद भी जब कोई अधिकारी एक ही स्थान पर रुका रहता है। तो उसके निहित स्वार्थ पनप जाने अनिवार्य हैं। लेकिन आपके विभाग में नीति यह चल रही है कि आप उसे हटायेंगे नहीं वरन् उसे प्रमोशन देंगे।

[श्री कल्याण सिंह]

मैंने लगभग एक वर्ष पूर्व असेम्बली में एक प्रश्न किया था कि अलीगढ़ सर्किल में कितने रुपयों की चोरियां हुई तो जवाब मिला 36 लाख रुपये की लेकिन आपने उसके लिये किसी को दंड नहीं दिया बल्कि एस0 ई0 को चीफ बना दिया। जब इतनी चोरी हुई तो आपने उसका कोई जवाब तलब नहीं किया। इसके बजाय आपने उसे प्रमोशन पोस्ट दे दी। मैं आपके सामने ऐसी-ऐसी मिशालें प्रस्तुत कर सकता हूं जिनसे कि साफ हो जाता है कि इस विभाग के अन्दर कितना भ्रष्टाचार फैला हुआ है। एक कमचारी जो 19 सालों से एक ही स्थान पर काम कर रहा है। इस अवधि में उसका 5-6 बार स्थानान्तरण हुआ और 5-6 बार ही उसका तबादला कसिल हुआ। और खेद की बात तो यह है कि हमारे मंत्रि स्तर के लोग इस स्थानान्तरण के रुकवाने के मामले में अपना हाथ बटाये हुये हैं। मैं यह नहीं कहता कि यह सच है अथवा झूट है लेकिन यह एक हमारे क्षेत्र के लाइन-मैन हैं। इस पद पर उसको 18 साल हो गये हैं। और कम से कम 4-5 लाख रुपया इन्होंने कमा लिया होगा...

श्री वीरनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

आप एक डेढ़ घंटे से बोल रहे है, हमें भी तो बोलने दें .....

श्री कल्याण सिंह---

मैं अर्ज कर रहा हूं कि वह व्यक्ति केवल एक लाइन मैन है। वह हमसे कहता है कि मैं तो फिर से अपना तबादला रुकवा लिये हूं और रुक गया है। हम देख रहे हैं। विभाग ने उसे मुअत्तल किया और उसका कहना है कि मंत्री जी ने बहाली के आदेश कर दिये हैं। वह कहता है कि वहां पर तो नकद नारायण चलता है। नकद नारायण के सामने तो मंत्री जी झुकेंगे ही। इसके सामने नहीं झुकेंगे तो किसके सामने झुकेंगे (व्यवधान)। अधिष्ठाता महोदय, मेरे पास लिखते-लिखते एक पूरी फाइल हो गई है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने कितनी बार सरकार को भी लिखकर भेजा।

श्री अधिष्ठाता---

आपने अपनी बात कहने में मंत्री जी को भी जोड़ा। तब यह मुनासिब हो जाता है कि आप उस व्यक्ति का पूरा नाम पता बता दें या लिखकर दे दें।

श्री कल्याण सिंह---

नाम नोट कर लें। वह अतरौली सब डिवीजन में लाइन मैन है और बीरबल सिंह उसका नाम है। 18 वर्ष स वह इस पद पर वहां काम कर रहा है। उसके सबंध में कई बार मैं लिख भी चुका हूं लेकिन रोना इसी बात का है कि कोई कार्यवाही नहीं होती। अब की बार उसने अपनी बात में मंत्री जी का नाम जोड़ा है। मैं किसी की इन्टेग्रिटी पर संदेह नहीं करता किन्तु ऐसी बात उसने कही है। मैं कहता हूं कि क्यों नहीं विभाग एक नीति बना लेता है कि एक निश्चित अवधि के अन्दर कोई भी कर्मचारी या अधिकारी स्थानान्तरित कर दिया जायगा। विशेष परिस्थितियों में आप उस अवधि को बढ़ा सकते हैं कि किसी क बच्चों आदि की पढ़ाई का भी मामला होता है इसलिये विशेष परिस्थितियों में आप टाइम लिमिट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिये किसी कर्मचारी को 18 साल तक एक ही स्थान पर बनाये रखना भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होगा। इससे निश्चित रूप से आपके विभाग का अनुशासन गिरेगा, आपकी बदनामी होगी जैसे कि आज हो रही है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।

श्री चन्द्रभान शर्मा---

श्रीमन्, पहले उनके कटौती के प्रस्ताव की तायीद होनी चाहिये।

*श्री रामपाल सिंह (जिला बिजनौर)—

श्रीमन्, सेल्स टैक्स के संबंध में जो माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी ने सेल्स टैक्स के 9 करोड़ रुपये से अधिक वसूल कराये हैं और अन्य की वसूली के लिये जो चेक पोस्ट कायम किये हैं उससे निश्चित ही सरकार के वित्तीय साधनों में वृद्धि होगी। सेल्स टैक्स के सिलसिले में सभी लोग जानते हैं कि नम्बर 1 और नम्बर 2 रजिस्टर रखे जाते हैं। वे अगर न रखे जायं, इन पर रोक लगा दी जाय तो नये टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी के इस कदम का स्वागत करता हूं। और आयन्दा और भी सेल वे आर्गनाइज करें, एक्टिवाइज करें ताकि टैक्स की चोरी रोकी जा सके और वसूली भी हो जाय। कुछ स्थगन आदेश जो आये हैं उनके लिये हम एडवोकेट जनरल और दूसरे लोगों स जो हाई कोर्ट वगैरह में काम करते हैं, उनसे कहगे कि स्थगन आदेश को रद्द करावें ताकि वसूलियाबी हो सके।

कोआपरेटिव व दूसरी संस्थाओं को जो ऋण दिये जाते हैं, जैसे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन है जिसके जरिये हम समाजवाद लाना चाहते हैं, और कोआपरेटिव की जो छोटी-छोटी एजेन्सियां हैं जिनके जरिये हम ऋण का बटवारा करते ह कि छोटे-छोटे उद्योग धंधे चलें, परन्तु आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि जैसे हमारे कोआपरेटिव का ही लैंड डेवलपमेंट बैंक है जिसके जरिये हम किसानों को ऋण देते हैं तो ऋण देने वाली एजेंसी को यह भी देखना चाहिये कि वह ऋण किसानों क हित में लगे। आज स्थिति यह है कि लैंड डेवलपमेंट बैंक से जो ऋण किसानों को मिलता है वह किसानों को सीधे चेक न देकर एक निश्चित दूकानदार को दे दिया जाता है। नतीजा यह है कि दूसरी जगह मोटर, पम्पिंग सेट या ट्रैक्टर वगैरह लेने से जो उसे 5 या 7 हजार रुपय बच सकता था वह उसे बच नहीं पाता और उसका फायदा दूकानदार ही उठा लेते हैं। किसी-किसी केस में तो ऐसा भी हुआ है कि दूकानदार के पास सीधे चेक बैंक से पहुंच गया और डीजल पम्पिंग सेट किसान तक पहुंच भी नहीं पाया और ऋण की वसली होने लगी। सरकार को चाहिये कि इस चीज को रोकने के लिय वह जोरदार कदम उठाये।

हमारे यहां बिजली की बहुत कमी है। हमने एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन को ऋण दिया और उसके माध्यम से जगह-जगह डीजल पम्पिंग सेट्स दिये गये, फर्टिलाइजर दिय गये, अगर कहीं मोटर खराब हो गया है तो दो रुपये के पुज के दाम 10 रुपये वसूल किये जाते हैं और अक्सर वे खराब होते रहते हैं इसलिये माननीय मत्री जी को चाहिये कि वे इस तरह के निवेश द कि ज्यादा से ज्यादा डीजल पम्पिंग सेट्स एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन के जरिये किसानों को दिये जायं। आज बिजली की कमी है और वह कमी इसलिये है कि एक अभूतपूव सूखा पड़ा है, बारिश बिलकुल नहीं हुई और इसका अन्दाज कोई नहीं लगा सकता था कि मौसम इस प्रकार से भी होगा। यह कहा गया कि हमारा प्लान फेल होगा। आयन्दा भी माननीय मत्री जी का प्लान फेल हो जाय। इसका कोई अन्दाजा नहीं किया जा सकता। आज मौसम खराब है, बारिश बिलकुल नहीं हुआ, पूर भारतवर्ष में इस प्रकार का सूखा पड़ा है फिर भी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी न जो कदम उठाया है उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामपाल सिंह]

सदन के सामने माननीय मंत्री जी ने जो स्पीच दी उसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा है कि ओबरा व दूसरे स्थानों पर बिजली के उत्पादन को 320 मगावाट तक बढ़ाने की स्कीम है। अगर 320 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो गया और बाहर से भी कुछ बिजली मिल गयी जिससे प्रदेश की बिजली की कमी दूर हो सके जो उसके लिये भी ये बधाई के पात्र हैं। नरोरा में एक ऐतिहासिक घटना हुई कि वहां पर एटामिक इनर्जी की स्थापना का काम शुरू हो गया है। उससे भी हमारे यहां की बिजली की कमी आयन्दा पूरी हो सकेगी। टेहरी डैम योजना भी शुरू हो चुकी है। सभी को मिलाकर सरकार ने एक निश्चित अच्छा कदम उठाया है। बिजली के मामले में तो कोई कटौती का प्रस्ताव होना ही नहीं चाहिये। अगर कटौती का कोई प्रस्ताव हो तो उसे भी विदड्रा कर लेना चाहिये। कटौती प्रस्ताव के प्रस्तावक महोदय द्वारा तो यह प्रस्ताव होना चाहिये कि बिजली के लिये और धन बढ़ाया जाय। हमारे यहां एक स्ट्राइक हुई, बे वक्त स्ट्राइक हुई। सब जानते हैं कि एक बहुत ही मामूली बात के लिए स्ट्राइक हुआ था व पहले भी इस बोर्ड के श्री एस०एन० सिंह टेक्निकल हैण्ड रहे हैं और फिर दुबारा मंत्री जी ने चीफ इंजीनियर को बोर्ड का चेयरमैन कर दिया है। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जो पहले न हुई हो। मैं कहता हूं कि बोर्ड में आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिये।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

पहले सरकार का परिवर्तन कीजिये।

श्री रामपाल सिंह—

वह तो जनता के हाथ में है। आप कोशिश कीजिये। पहली अप्रैल, 1959 को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वजूद में आया। यह मजाकिया वाले दिन में वजूद में आया। इसको फूल्स डे कहते हैं। इसलिये इससे कोई आशा नहीं की जा सकती है। इसमें जरूर परिवर्तन किया जाय। मुझे विश्वास है कि मंत्री जी जरूर इसमें परिवर्तन करेंगे और उन्होंने कुछ किया भी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

पहली अप्रैल आने वाली है।

श्री रामपाल सिंह—

हमें इस स्ट्राइक में बड़ी भारी सफलता मिली। इसको बड़ी अच्छी तरह से हैंडिल किया गया। इसको हम सब जानते हैं और उसके लिये हम सभी को मंत्री जी को बधाई देना चाहिये। इसमें नुकसान जरूर हुआ है। इसमें जैसा कि कहा जाता है कि ब्यूरोक्सी और टैक्नोक्रट्स की कोई लड़ाई नहीं थी। इससे पहले भी श्री एस० एन० सिंह बोर्ड के चेयरमैन का कार्य कर रहे हैं उनके जमाने में कोई खास बात नहीं हुई।

इसमें कमियां भी जरूर हैं और उनकी ओर में इशारा करना चाहता हूं हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होना चाहिये। हमारे यहां बिजली की शार्टेज है लेकिन यदि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा हो तो काम अच्छी तरह से चल सकता है। ये लोग जिनसे पैसा मिल सकता है उनको ये लोग 8/8 घंटे बिजली दे देते हैं और जिनसे पैसा नहीं मिलता है उनको कम बिजली देते हैं। गेहूं के प्रोडक्शन में इस साल बहुत कमी है और 5-6 दिन में हमारे यहां इसकी कटाई शुरू हो जायेगी। इसलिये अगले 20-25 दिन 6 घंटे के बजाय अगर हो सके तो 24 घंटे बिजली दी जाय और यदि यह संभव न हो तो कम से कम 12 घंटे बिजली दी जानी चाहिये। यह किसानों के लिये बड़े फायदे की बात होगी।

हमारे प्रस्तावक महोदय कह रहे थे कि जो बिजली सैंक्शन होती है उसमें बहुत देर होती है। मेरे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि बराबर एस० टी० लाइन बार लोगों के एस्टी-

मेट घटा-बढ़ा दिये गये । अगर मंत्री जी इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं । लेकिन अगर हम आप इनकी मदद करेंगे और यह अपनी मशीनरी सतर्क करेंगे और एक्जम्पलरी एक्शन लेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी । किसी का एस्टीमेट कम कर दें और किसी का ज्यादा कर दें तो यह चीज नहीं होगी । लाइन इंस्पेक्टर वगैरह यह चीज करते रहते हैं । अगर मंत्री जी कहेंगे तो मैं भी ऐसी मिसालें दे सकता हूं ।

मंत्री जी कहेंगे तो मैं इस की मिसालें भी दे सकता हूं । आप इसके लिये विजिलेंस कायम करें क्योंकि वहां बहुत ज्यादा गबन हुआ है वहां यह हुआ है कि 500 और 600 रुपये ले लेकर चार-चार हजार और पांच-पांच हजार रुपया लोगों का घटाया गया है । समय का इतना सवाल नहीं है लेकिन इस तरह की चोरी को सरकार रोके, इसके लिये आप विजिलेंस लगायें और इस को फौरन चेक करें । पहले तो ट्रांसफार्मर जिसके चार्ज में होते हैं वह अड़ंगा लगाते हैं, एलेक्ट्रिशियंश की भी यही हालत है । पहले तो ट्रांसफार्मर नहीं देते और वह लग भी गया तो मीटर देने वाले मीटर नहीं देते । शुरू से ही एस्टीमेट बनाने में, ट्रांसफार्मर देने में मीटर देने में हर जगह गड़बड़ होती है।

इसके अलावा, जब बिजली लग जाती है और बिजली के जो बिल बनते हैं वह एक-एक हजार और दो-दो हजार के अधिक भेज दिये जाते हैं जबकि वहां तक मीटर भी नहीं पहुंचता । मीटर रीडर जाकर देखते तक नहीं और फर्जी रीडिंग ज्यादा कर करके लिखकर भेज देते हैं और बाद में पैसा लेकर बिल्स को ठीक करते हैं, बिलिंग की बहुत ज्यादा गड़बड़ है । हमारी एक पावर एंड इरिगेशन कमेटी है जिसके कलेक्टर साहब चेयरमैन हैं । उन्होंने बताया कि हम ने एक फ्रिज लगाया और हमारा बिल भी गलत भेज दिया गया । हमारे साथी श्री शिव महेंद्र सिंह जी उन्होंने भी कोई छोटी-मोटी चीज लगाई और उसका बिल भी गलत भेज दिया गया, इन्कवायरी भी की गई लकिन आप यह देखें कि जब विधायक और कलेक्टर के भी बिल गलत हो सकते हैं तो बेचारे साधारण कन्जयूमर की क्या हालत होगी । इसलिये मेरा निवेदन है कि बिलिंग के तरीके पर चेक रखकर पूरी तरह से ठीक किया जाय ।

इसके अलावा जो लोग कार्मशियल स्कीम्स के लिये पैसा लेते हैं और फिर उसको रिफण्ड करते हैं उन को बड़ी परेशानी होती है,उन को दौड़ना पड़ता है, बार-बार तारीख डाली जाती है और रिफण्ड नहीं किया जाता है इन तमाम दिक्कतों को दूर करना चाहिये ।

जहां तक लाइन सोर्सेज का सवाल है वह हमारे प्रदेश के एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में सबसे ज्यादा है । लेकिन यह 3 रुपया प्रति हार्स पावर जो लगाया गया है वह बहुत ज्यादा है। हिंडालको का जिक्र बार-बार आता है कि उसको बहुत सस्ती बिजली दे दी गई, हो सकता है कि प्रदेश में एक उद्योग के लिये वह किया गया है, उस को आप किसी हद तक जस्टिफाई कर सकते हैं कि लेबर को काम मिल रहा है और एक उद्योग पनप रहा है । मिनिमम गारंटी समाप्त करने के बाद इस तरह से 3 रुपया प्रति हार्स पावर लेने का कोई औचित्य नहीं है । हालत यह है कि आज जो ईमानदार कन्जयूमर्स हैं वही सफरर रहते हैं लेकिन जो कन्यूमर बिजली के मीटर रीडर से मिल क्लर्क से मिले रहते हैं वह फायदा उठाते हैं । कहीं कहीं ऐसा भी है कि फिक्स चार्ज ले लिये जाते हैं और मीटर हटा लिया जाता है कि साल भर का इतना औसत होगा उतना ले लेते हैं । इस संबंध में विचार करने की जरूरत है कि यह चोरी कैसे दूर की जा सकती है उसे रोका जाय तो काफी लाभ बिजली बोर्ड का हो सकता है और काफी सुधार हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इन अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

*श्री चन्द्रभान शर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय कल्याण जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । आज की समस्याओं को देखकर इस बात पर विचार करना बड़ा जरूरी है कि अपने पुराने ढर्रे के मुताबिक यह सरकार जो अपनी स्कीमें बनाती चली जा रही हैं और जिस तरह से वह इस काम को खींचती चली जा रही हैं यही तरीका जारी रहा तो इस शासन का भट्टा जल्द बैठ जायगा । इसका पता नहीं कि यह किस डायरेक्शन में खो जायगी और पता नहीं इसका क्या होगा ? आज कई सूबों में अकाल की ऐसी समस्या है जिसकी वजह से भारत को बड़ी कठिनाई का मुकाबला करना पड़ रहा है ।

हिन्दुस्तान के तीन सूबों के अन्दर अकाल की स्थिति घोषित हो चुकी है और सब जगहों से खबर आ रही हैं कि अनाज और घास के अभाव में जन्तु और इन्सान मर रहे हैं लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार की इस सिलसिले में अभी तक आंखे नही खुली हैं । आज उन्होंने जो बिजली की कटौती की स्कीम बनाई है, इसका उन्हें कोई तजुरबा नहीं है । हमारे इन्जीनियर्स से जिन्होंने एजीटेशन किया था और यह नारा लगाया था कि चूंकि यहां पर आई० ए० एस० एडमिनिस्टेटर्स हैं, उन्हें बिजली के बारे में कोई ज्ञान नहीं है अगर वे हटा दिये जायं तो बिजली की समस्या को हम हल कर देंगे लेकिन कुर्सियों पर बठकर, नीचे के अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर, यह भी उसी तरह से कार्य करने लगे हैं। उनकी काज को लेकर विरोधी दलों के लोगों ने समर्थन किया था और उन्हीं के कारण हमारे विद्युत मंत्री जी यह देखते हुये कि उनके रहते श्री राम कृष्ण त्रिवदी यहां पर बैठे हुय हैं लेकिन फिर भी उन्हें वे यहां पर नहीं रोक सके, अपोजिशन के बल बूते पर निकाले गये हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी राय में आप किसी पदाधिकारी का नाम न लेकर भी यह बात कह सकते हैं ?

श्री चन्द्रभान शर्मा—

आज जो बिजली की समस्या उत्पन्न हुई है और जो कटौती इन्जीनियर्स ने रखी है, हमारे प्रदेश को उल्टा करने की नियत से रखी है । क्या कोई अंकुश ऐसा है, जो इस कार्य को इनसे करवा सकें । पहले 25 प्रतिशत की कटौती की घोषणा की गयी, फिर इसे 40 प्रतिशत कर दिया गया । इस प्रदेश में आप 40 प्रतिशत की कटौती करें, यह कहां का इंसाफ है । माननीय मंत्री जी से जब यह बातें बरदाश्त नहीं हुई तो वह सदन से बाहर चले गये । आपने 40 प्रतिशत कटौती करके कौन सा इसका पैमाना बनाया है ? काश्तकार को ही निशाना बना लिया है । मुजफ्फरनगर, मेरठ और पश्चिमी जिलों क बारे में मैंने स्वयं मंत्री जी से मिलकर कहा था कि आप एक ओर तो यह कहते हैं कि हाई ईल्डिग वैराइटी के बीज बोओ ताकि अन्न की पैदावार बढ़े लेकिन उनके लिये 8–8 और 9–9 पानी प्रेस्काइब्ड करते हैं लेकिन फरवरी के अन्त में एग्रीकल्चर के लिये 25 प्रतिशत आप बिजली रखते हैं, 75 प्रतिशत काट देते हैं और जब पूछा कि यह क्यों कर दिया तो वह कह दिया कि अब तो गेहूं की फसल कट रही है, पानी की अब क्या जरूरत है ।

इस प्रशासन में ऐसे ऐसे कृषि के इंचार्ज और प्लानर्स हैं जिन्हें यह भी पता नहीं कि गेहूं का पौधा होता है या पेड़ होता है । उन्होंने जवाब दिया कि गेहूं मुगलसराय की ओर कट रहा है, लखनऊ में क्रांती पड़ गई है । उन्हें यह भी पता नहीं कि हाई ईल्डिग वैराइटी में कितने पानी देने होते हैं । हमारे प्रदेश के पश्चिमी जिले अनरी कहलाते हैं जिनके बल बूते पर इस प्रदेश को फीड किया जाता है, जहां के किसान मेहनत करके अनाज पैदा करते हैं, वहां पर 15

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अप्रैल से गल्ला कटना आरम्भ होता है और 30 अप्रैल तक कटता है । इसके पूर्व भी कभी कभी 2, 3 और 4 पानी देने होते हैं। जब आप 6 घंटे बिजली दे रहे हैं, और उसको भी आपके इंजीनियर 2 फेज जारी करते हैं । आप पिछले 1 1/2 महीने में दिखलावें कि मुजफ्फरनगर, मेरठ और अलीगढ़ 6 घंटे रोज बिजली देकर बिजली की सप्लाई कितने दिन मेंटेन की है । ये 2 फेज चलाकर बिजली खत्म कर देते हैं और शहरों के अन्दर इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे रात में अंधेरे में नहीं रह सकते, बिना हीटर के काम नहीं कर सकते और बिना सिनेमा देखे नहीं रह सकते । रात को बगैर सिनेमा के नहीं रह सकते ।

एक तरफ काश्तकारों को केवल 6 घंटे ही बिजली देते हैं और दूसरी तरफ तीन-तीन और चार-चार शो कर दिये । इसको आप चेक नहीं कर सकते हैं, अगर सरकार की यही नीति रही और अगर सरकार हमारी बात को ध्यान से नहीं सुना तो इस प्रदेश के अन्दर अनाज की एक बहुत बड़ी क्राइसेस आ जायगी, जिसकी इनको खबर नहीं है। खेतों के लिये जब पानी चाहिये था, तो बिजली क्राइसेस हो गयी, उसके बाद हड़ताल हो गयी और आज जबकि अनाज पकने वाला है तो आप रोस्टर बनाकर बैठे हैं । मान्यवर, इससे बड़ी और क्राइसेस होने वाली है, जिसका मुकाबिला आपको करना पड़ेगा और वह यह है कि इस वक्त शूगर केन का सोइंग हो रही है। यह ईख की बुआई के पीक अवर्स है। ईख बोई जा रही है। ईख के बोने के पहले जमीन को पानी देना होगा, फिर उसकी खुदाई होगी। मान्यवर, आपको मालूम है कि ईख के लिये कितना पानी चाहिए। तो आपको इस नजरिये को बदलना होगा। अगर आप बिजली का रोस्टर इसी प्रकार चलाते रहे और केवल 6 घंटे बिजली दिया, या इस विधान सभा के दबाव से 10–15 घंटे भी कर दिये, तो आपकी शुगर केन की काप पर इसका कितना असर पड़ेगा।

आपको खाने में पहले चीनी चाहिए राशन में। गांव में एक किलो पर हेड चीनी नहीं दे सकते, लेकिन आपको एक किलो के बजाय अगर 14 छटांक चीनी कर दी गयी, तो एजीटेशन करने लगेंगे। अगर पानी नहीं देंगे, उनको तो यह चीनी कहां से खायेंगे आप। तो आप बोर्ड में जाकर गम्भीरता से इस बात को सोचिए और तय कीजिए कि अव्वल तो इलेक्ट्रिसिटी की कटौती कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरिस्ट के लिए होनी ही नहीं चाहिए, और अगर आप मजबूर हैं और बिना कटौती किये नहीं रह सकते हैं, तो कम से कम 40 प्रतिशत लीजिये, आप 75 प्रतिशत क्यों काटते हैं। बगैर एल्यूनियम के हिन्दुस्तान जिन्दा रह सकता है, कपड़े में हम चार जोड़े के बजाय 2 जोड़े से काम चला सकते हैं, 10 जोड़ी जते के बजाय तीन जोड़ी जते से हमारा काम चल सकता है, लेकिन अगर कोई क्राइसेस अन्न की आ गयी, जैसाकि आजकल राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में आ रही है, तो मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार को बता देना चाहता हूं अगर बिजली उपलब्ध न की गई काश्तकारों को, तो आप राशन खा नहीं पायेंगे। जो मजदूर और किसान सुबह से शाम तक धूप और पसीने में अपने खेतों में काम करते हैं, अगर उनकी फसल जल गयी और अनाज न पैदा हुआ, तो वे तमाम अनाज को रोक कर बैठ जायेंगे। वह आपको बाजार में नहीं मिलेगा ।

इसलिये यह आपके लिये जरूरी है कि बिजली की समस्या, जो कि आजकल बर्निंग समस्या है, और इसमें कटौती का मामला जिसका सम्बन्ध केवल उत्तर प्रदेश से नहीं, पूरे भारत से है, उस पर आपको सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये। अगर यहां पंखा नहीं, तो हम लोग इकट्ठा होकर बहस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि फैल कर बात करें। लेकिन अगर अनाज की समस्या खराब हो गयी तो देश के अन्दर उथल-पुथल हो सकती

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

है। प्रदेश के अन्दर बंगाल की हालत उत्पन्न हो सकती है। आप अपने कारनामों को थोपना चाहते हैं जनता के ऊपर, लेकिन उनके ऊपर उसी ढंग से गौर नहीं करना चाहते हैं। मैं यह स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि बिजली के बारे में आप गलत नीति बरत रहे हैं। देश के अन्य प्रदेशों में बिजली की समस्या ऐसी नहीं है, जैसी कि हमारे यहां। हरियाणा में सिनेमा हाउसेज बन्द कर दिये। केवल दो घंटे, पंजाब में बिजली जलाने के लिए दिया, लेकिन प्रायरटी दिया कल्टीवेशन को है आज, जैसा कि कल्याण सिंह जी ने कहा आपने मिनिमम गारन्टी तो हटा दी, लेकिन तीन रुपए प्रति हार्स पावर सरचार्ज लगा लिया और मीटर की फीस दुगनी कर दी। क्या अख्तियार है इतना टैक्स लगाने का? टैक्स तो इतना ज्यादा लगा दिया, और बिजली सबसे कम दे रहे हैं उसको, जो कि आपके लिए सामान पैदा करता है।

मान्यवर, यह समाजवादी सरकार नारा देने वाली सरकार, स्वयं अपने यहां खाद पर सेल्स-टैक्स और इक्साइज टैक्स लगाती है। जबकि दूसरे देशों के लोग सब्सिडी देते हैं। यहां पर बिजली की क्राइसेस बचाई जा सकती है, लेकिन जो लोग इसके कर्ता-धर्ता हैं, जिन के हाथ में ऐडमिनिस्ट्रेशन की बागडोर है, जिनकी मांगें पूरी हो चुकी हैं, उसके बाद भी समस्या कम नहीं हुई। इधर आपने टैक्स बढ़ा दिया रेट भी बढ़ा दिया, लेकिन दूसरी तरफ आप चोरी को नहीं रोक पाये। 100 में 95 आदमी अपने-अपने मीटर को पीछे हटवाकर चोरी करते हैं बिजली की और आपकी आमदनी घटती है इससे तो अच्छा यह होगा कि मिनिमम गारन्टी लें कि फी हार्स पावर 100 रु0 या 120 रु0 लेंगे। आपने जब 120 रु0 के बारे में जिलों से रिपोर्ट मांगी तो वहां से होशियार किस्म के लोगों ने यह रिपोर्ट करवा दी कि काश्तकार इसको मानने वाला नहीं है। यह बात वही कहते हैं जो अच्छी श्रेणी के लोग हैं और अपने को बड़ा आनेस्ट और बड़ा अच्छा आदमी कहलवाते हैं। यह लोग खुद बिजली की चोरी करते हैं और कराते हैं। इससे दोनों का फायदा होता है---आफिसर्स का भी और कल्टीवेटर्स का भी। इसलिए काश्तकार के हित में, बोर्ड के हित में, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इस मीटर को उड़ाएं और कुछ न कुछ पावर का हिसाब कर दें कि हम 5 पावर्स पर 200 रु0 लेंगे और 10 पर इतना लेंगे वरना आपका घाटा पूरा न होगा और आप इसी में घुले रहेंगे।

जहां तक सेल्स टैक्स की बात है यह तो बड़े लोगों की बात है, लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने यह निश्चय किया है कि बिड़ला कन्सर्न्स को 50 मेगावाट बिजली देगी। यह वायदा कर लिया है। 50 का मतलब यह है कि 3000 ट्यूबवैल इफैक्ट होंगे और इस बात को सरकार ने छुपाया इस तरह से है, कि मैं अपने अखबार भइयों से कहूंगा कि कम से कम एक सेंन्टेन्स लिखेंगे, कि 220 लेजिस्लेटर्स न सरकार को यह लिखकर दिया है कि बिड़ला जी को बिजली दी जाय.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला देवरिया)---

क्या आपको इत्तिला है कि सरकार ने इस बात को माना है और सरकार ने यह वायदा कर लिया है.....

श्री चन्द्रभान शर्मा---

मैंने तो इत्तिला दी है, सरकार इस बात से इनकार करे। 220 लेजिस्लेटर्स के नाम पर यह शोहरत की जा रही है कि सरकार पर दबाव दिया है कि बिड़ला जी को बिजली दी जाय। मैं यह कहना चाहता हूं कि तमाम के तमाम लेजिस्लेटर्स बिरादरी पर यह कलंक है, यह विधायकों के लिए शर्म की बात है कि हमारे ऊपर यह इल्जाम लगाया जाता है। अगर सरकार टट्टी की आड़ में शिकार खेलने का प्रयास करेगी तो हम ऐसा नहीं होने देंगे..

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह इत्तिला कहां से मिली ?

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैं तो आपको खबर दे रहा हूं ...

श्री अधिष्ठाता--

हिंडालको को बिजली मिले तो न मिले या यह व्यक्तिगत राय हो सकती है। अगर किसी को बिजली मिले तो यह शर्म की बात कैसे हो सकती है।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैंने यह कहा कि यह हमारे लिए शर्म की बात होगी।

श्री अधिष्ठाता--

अच्छा यह होगा कि आप संयत भाषा का प्रयोग करें।

श्री मैनेजर सिंह--

यह इनकी सूचना नहीं है। यह चौधरी भूपाल सिंह की सूचना पर बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

आप जो भी कहें वह अपनी जानकारी के आधार पर कहें।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मैं यह आपके पास भेज दूंगा तो आपको यकीन हो जायगा।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या आपके दस्तखत हैं उस एप्लीकेशन पर।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

मुझे आपका शुबहा है।

श्री रियासत हुसैन--

मैं आपसे पूछ रहा हूं। जब मैं बोलूंगा तो आप मुझसे पूछ लीजियेगा। वैसे यकीन रखिये, मेरे दस्तखत नहीं हैं, आपके जरूर हैं।

श्री चन्द्रभान शर्मा--

कोआपरेटिव सोसाइटीज के लोन के बारे में मन्त्री जी ने कहा है कि हमने काफी फंड्स रखे हैं। मुझे आपके माध्यम से मन्त्री जी से निवेदन करना है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज में बहुत भ्रष्टाचार है। उसको रोकने के लिए पुलिस सेल कायम करना पड़े जब वह जाते हैं तो वह इतनी ताकतवर है कि कागज नहीं दिखलाती और अगर इन्क्वायरी के अन्दर पेश करना चाहते हैं तो पेश नहीं करने देते। इसी तरह से अगर तबादला की बात होती है तो तबादला नहीं होने देते। आपसे प्रार्थना है कि कोआपरेटिव सोसाइटीज और कोआपरेटिव

[श्री चन्द्रभान शर्मा]

विभाग पर रखें कन्ट्रोल और अगर आपके कन्ट्रोल के बाहर रही तो भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकेगा। इससे सरकार की ज्यादा बदनामी होगी और फंड्स का भी मिस्यूज होगा। मान्यवर, एक बात और जरूर कहूंगा कि जब तक पावर की शार्टेज है तब तक कम से कम जो आपकी फर्जी स्कीमें है जो कागजों पर दिखलाने के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को खुश करने के लिए हैं जैसे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की बात है कि एक खंभा गांव के पास पहुंचा दिया। जिससे बजाय फायदे के नुकसान ही होता है, ऐसी चीजों को रोके।

मान्यवर, एक बात और आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जब बिजली की इतनी क्राइसिस है और उसका खेती पर असर पड़ रहा है, कारखाने बन्द हैं तब फिर पाम्प एन्ड शो के जो काम हो रहे हैं उनको क्यों नहीं रोका जाता यो मिसाल के लिए मुजफ्फरनगर जिले में जब से पावर कट हुआ है तब से वहां पावर का कंजम्पशन ज्यादा बढ़ गया है। अगर मन्त्री जी हों तो इस बात को नोट कर लें कि पावर कट होने के बाद कंजम्पशन बढ़ा तो आखिर क्यों? मान्यवर, सोने में सुहागा यह है कि 25 दिन हो गए मुजफ्फरनगर में रात को एग्जीबीशन हो रही है और काफी जगमगाहट रहती है। यह बिजली एग्जीबीशन को दी जा रही है अगर यही बिजली इंडस्ट्री को दी जाती तो कितना फायदा होता।

लेकिन मान्यवर, ये इस प्रकार के कंजम्पशन पर रोक लगाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने पिछले दिनों तक मिनिस्टर की लड़की की शादी के सन्दर्भ में आदेश जारी किये थे तमाम की तमाम स्टेट्स को कि पाम्प एण्ड शो को रोकें और इस तरह के वेस्टेज को रोकें। हमारी सरकार क्या इस काम को नहीं कर सकती? क्या जरूरी है कि वहां पर म्यूजिक कांफरेंसेज और खेलकूद हों और इतनी पावर खर्च हो? हमारे सामने जिन्दगी और मौत का सवाल है। इन शब्दों के साथ में मैं माननीय कल्याण सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)---

मान्यवर, आज बिजली की सब जगह चर्चा है। बिजली की देहात और शहर सब जगह कमी है। इसलिये बजाए और विषयों के इस पर अपने सुझाव दूंगा।

विद्युत् मन्त्री जी ने संकेत किया कि ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट के झगड़े में न पड़ें। ठीक है। मैं इससे सहमत हूं। लेकिन साथ ही साथ मुख्य समस्या को अगर आंख से ओझल कर दिया तो सारी स्थिति के और बिगड़ने की आशंका है। मैं समझ रहा हूं कि 3-4 महीनों से ब्यूरोक्रेट और टेक्नोक्रेट का झगड़ा हो रहा है। हाउस में भी उठा और हमारे कमरों में भी पर्चे आते हैं। मेरे पास एक पर्चा है। समस्या का कोई हल नहीं हुआ। लेनिन रूस के निर्माता थे। मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी का और सदन का उनके कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन्होंने कहा था जब उनसे पूछा गया कि सोशलिस्ट का अर्थ क्या है :---

"Soviet System of Government Plus Electricity."

उन्होंने बिजली को बहुत महत्व दिया था। वैज्ञानिक युग में अगर बिजली नहीं होगी तो सारे उद्योग ठप हो जायेंगे और विकास नहीं होगा। सन् 1965 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपनी सारी शक्ति दे दी थी। एक प्रवृत्ति चल रही है कि आटोनोमस बाडी बना दो, उसे कर्जा वगरह मिल जायगा और सरकार पर उसका अधिक बोझ नहीं पड़ेगा। मैं समझता हूं कि इस नीति म परिवर्तन होना चाहिए। मैं आपके द्वारा मुख्य मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि बड़ी भारी भूल हो रही है। अगर हम मिलिटरी, हैवी इंडस्ट्रीज और फारेन एफेयर्स को भी ट्रांस्फर कर देंगे तब तो हमारी आजादी के लिए खतरा हो जायगा

और हमारा दैनिक जीवन भी अस्तव्यस्त हो जायगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि हृदय परिवर्तन कराओ और अपने साथियों से काम लो। ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स—दो ही जनता के सेवक हैं और दोनों ही में अपनी सुविधाओं के लिए होड़ है। दोनों ही इस बातचीत में पड़े हैं कि किस को ज्यादा सुविधा मिलती है। यह सुविधा का झगड़ा है—जनता की सुविधा का नहीं है, जोकि टेक्सपेयर है। इस पर्चे में लिखा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने टेक्नोक्रेट्स के लिए क्या कहा है, सेंटर के इंजीनियरों ने और प्लानिंग कमीशन ने क्या कहा है। रूस में भी उनको महत्ता दी गयी है, लेकिन वहां पर सिस्टम आफ गवर्नमेन्ट में थोड़ा परिवर्तन है। यहां पर प्रजातन्त्र है। सब के फंडामेंटल राइट्स है। हर आदमी दौड़ कर हाई कोर्ट चला जाता है और ला की शरण लेता है।

मैं मान्यवर, आपके द्वारा माननीय मुख्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां फंडामेंटल राइट्स हैं वहां पर फंडामेंटल डयूटीज भी हों। इस सम्बन्ध में संविधान में तो कुछ नहीं कहा है। वह तो विवेक और शिक्षा पर छोड़ दिया है। ड्यूटीज कोई नहीं करना चाहता है। हर आदमी अधिक से अधिक सुविधायें चाहता है। बोर्ड में यह मनोवृत्ति आ गई है कि ब्यूरोक्रेट यदि उसका अध्यक्ष होगा तो काम नहीं करेंगे। इस तरह से तो झाड़ू लगाने वाला भी कह सकता है। हर आदमी अपने-अपने स्थान पर महत्वपूर्ण है। हमें अपने कर्त्तव्यों के प्रति वफादार होना चाहिए। जो भावना विद्युत परिषद् में चल रही है उससे शासन चलने वाला नहीं है। मेरे पास कल का पायनियर है। इसमें पृष्ठ 5 पर लिखा है कि बैंक रिफ्यूजेज एस० ई० बी० टु आपरेट दिअर एकाउन्ट U. P. S. E. Board। इसमें 68 करोड़ का ओवरड्राफ्ट है। इसकी ब्योरेक्रेट्स पर जिम्मेदारी डाली गई है बैंक उनका एकाउन्ट मेन्टेन करने से मना करता है। इन्जीनियर्स का आदर होना चाहिए लेकिन यदि यही मनोवृत्ति रहेगी तो कैसे काम चलेगा। रूस में टेक्नोक्रेट का आदर है लेकिन वहां पर कर्मचारी को शूट (गोलीमार) करने का भी अधिकार है।

हमारे यहां तो डेमोक्रेसी है। हम किसी को शूट नहीं कर सकते हैं। तो यह लोग आपस में होड़ लगाकर प्रदेश को बर्बाद न करें। यह लोग टैक्सपेअर की मुसीबत पैदा न करें। 4, 5 करोड़ रोज का नुकसान हुआ है। उस समय किसान के लिए पानी की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उस समय हमारे टेक्नोक्रेट्स हड़ताल पर थे। भगवान की कृपा हुई और पानी बरस गया लेकिन गो स्लो की मनोवृत्ति अभी जारी है। मैं इस सम्बन्ध में गोरखपुर की मिसाल देना चाहता हूं। वहां एक सुपरिंटेंडेंट ने स्ट्राइक के दिनों में बहुत काम किया और हड़ताल के बावजूद गोरखपुर को बिजली दी। सारे इन्जीनियस उसके खिलाफ हो गये और उसका प्रमोशन आर्डर फाड़ दिया। वह आदमी घूम रहा है। ऐसा ही लखीमपुर खीरी में भी हुआ है। सरकारी आदमी की वफादारी अब कहां है। उसको तो इन्जीनियर्स हरेस कर रहे हैं। जो लोग सरकार के लायक नहीं हैं वह लोग अपनी मांगें बढ़ाते जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि यदि सारा काम टेक्नोक्रेट्स पर छोड़ दिया जायगा तो मुझे उसके होने में शंका है। कहा जाता है कि बोर्ड आटोनामस बाडी है। अगर यही हाल है तो सरकार को सारी पावर्स ले लेनी चाहिए। ब्योरेक्रेट्स के बराबर इनको भी अधिकार मिलने चाहिए। वह भी बड़े अच्छे नागरिक हैं। वह हमारी रीढ़ की हड्डी है लेकिन उसमें हाथ-पैर और भी होना चाहिए। इसलिए वह संघष समाज में पैदा न कर। इससे नुक्सान होगा। इससे कोई समस्या का सामाधान नहीं निकलेगा।

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि वित्त मन्त्री जी ने अपने बजट भाषण में दो तीन बातों के बारे में कहा है। हमने जो अपनी व्यवस्था बनायी बिजली की वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम अडाप्ट किया। पहले किसान खेती करता था तो इन्द्र के भरोसे ही रहता था। हमने इन्द्र के भरोसे खेती करना गलत समझा और उसके लिए ट्यूबवेल निकाले, पम्पिंग सेट्स निकाले, बोरिंग किया और जो मानव कर सकता है वह किया। उसी तरह से हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम अडाप्ट किया और रिहंड बनाया, लेकिन हमने सेकेन्ड आल्टरनेट लाइन नहीं बनायी। रिहंड ने जितने बिजली के और सोर्स थे, थरमल स्टेशन्स थे उनको बेकार कर दिया। उससे गड़बड़ी हो गयी और एक प्लान में यह गड़बड़ी कहीं हो गयी। हम ऐसे हाथ में बन्ध गये हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक के कि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं।

इसलिए मेरा सुझाव है कि जहां हमारा यह हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है वहां बिजली उत्पादन के और भी छोटे-छोटे तरीके निकालने चाहिए। एक है कि गैस वाले तरीके से बिजली निकालना। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने शासन में समाजवाद के अन्दर अर्थ-व्यवस्था रखी है मिक्स्ड इकोनामी की। उसमें प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों का हक बराबरी का। जब दोनों को हक है तो क्यों नहीं हम बड़े-बड़ उद्योगपतियों को इन्टरेस्ट फ्री लोन दे देते ताकि वह बिजली के छोटे-छोटे पावर हाउसेज बैठायें और उनको अगर हम सुविधा दें तो पावर तैयार हो सकती है। यहां जब बिड़ला और कनौरिया का नाम आता है तो न जाने क्या-क्या कहा जाता है। जब आपने मिक्स्ड इकोनामी का तरीका अख्तियार किया है तो क्या हर्ज है और बड़े उद्योगपतियों को प्रोत्साहन दिया जाय। अगर हिंडालको नहीं चलता है तो कहां से बिजली के इन्सुलेटर और दूसरे सामान आपको मिलेंगे। तो अगर 5-10 वर्ष के लिए रेंट फ्री उनका लोन (ऋण) बिजली घर बैठाने के लिए दिया जाय तो क्या हर्ज है। शिवराज सिंह जी की जो प्रतिनिधित्व विधायन समिति की रिपोर्ट है पांचवीं विधान सभा का 19वां प्रतिवेदन है उसके पेज 17 पर आगे देखें। उन्होंने पूछा कि शासन ने 1960 में जब बिड़ला को बिजली दी तो क्या रेट था ? उन्होंने बताया कि 2.49 पैसा पर यूनिट था। फिर पूछा कि क्या रेट बढ़ाया गया या नहीं ? उन्होंन कहा कि यह चीज विभाग में नहीं थी, फिर भी 1963-64 में 4.62 पैसा प्रोडक्शन पर यूनिट हो गया, यानी दूना हो गया। कहने का मतलब यह है कि हमारी प्लानिंग गलत थी। हमने यह मानकर तय कर दिया कि 10 परसेंट हमारा कंजम्पशन और ज्यादा जायगा, जबकि वह फोर्थ प्लान के एन्ड तक दुगना हो गया, 50 परसेंट चला गया। तो कास्ट आफ प्रोडेक्शन बढ़ गया।

तो मैं मुख्य मन्त्री जी से और सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमको क्या गुरेज है जब हमने मान लिया है कि मिक्स्ड इकोनामी है तो क्यों नहीं बड़े-बड़े उद्योगपतियों का सहयोग हम लें ? हरियाणा और पंजाब की बात हो रही है और कैरों की बात कही जाती है। कैरों ने रिआयत करके छोटे-छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन दिया और उनको बैठाया और हरियाणा और पंजाब जो समृद्धिशाली बने। वह विभाजन से नहीं बने, बल्कि उनको सुविधा दी गयी। हमारे यहां वह सुविधा नहीं है। फाइनेंस कारपोरेशन यू0 पी0 का है। उद्योग विभाग उनके हाथ में है। गोरखपुर में बात खोली गयी। मुझे भी मौका मिला कि वहां एक उद्योग स्थापित करने के लिए लिखा-पढ़ी और बातचीत करने का। तो बार-बार जो साहब थे उनको देवरिया से कानपुर जाना पड़ता था। 4 बार गये और कोई पुरसां हाल नहीं है।

तो मेरा सुझाव है कि आप इसमें जोनल डिसेंट्रलाइजेशन करा दें। क्योंकि हर साधारण काम के लिए भी कानपुर जाना पड़ता है। कुछ काम तो गोरखपुर में हो सकता है,

कुछ कानपुर में हो जाय । तो कुछ भार वहां के अधिकारियों पर डालिए, नतीजा यह होगा कि दोनों साथ-साथ चीज चलेगी। जहां तक किसानों को लोन देने की बात है, अमरीका ऐसा समृद्धशाली और सबसे उन्नतिशील देश, जिसने लाखों, करोड़ों टन गेहूं रूस और दूसरे देशों को दिया है, वहां भी किसानों को लोन पर खाद देते हैं और बाद में वसूल करते हैं। हमारे यहां लिमिटेड लोगों को लोन पर मिलेगी और बाकी को कैश पर लेना होगा। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या सुविधा किसानों को दी जा सकती है।

एक बात और देख ल। 'मैन स्ट्रीम' एक मैगजीन है जो दिल्ली से निकलती है। यह 17 मार्च, 1973 की है। इसके पेज 10 पर एक बहुत बड़े अर्थ शास्त्री ने दिखाया है कि पावर क्राइसिस क्यों है। उन्होंने दुनियां के देशों में पर कैपिटा पावर कन्जम्शन क्या है यह दिखाया है। 1969 में यू0 एस0 ए0 में 7013 किलोवाट, यू0 के0 में 3,700 किलोवाट, यू0 एस0 एस0 आर0 में 2,628 किलोवाट, फ्रांस में 2,408 किलोवाट, यगोस्लाविया में 1,006 किलोवाट पर कैपिटा कन्जम्शन था और भारत में 1971 में केवल 90 किलोवाट पर कैपिटा पावर कन्जम्शन था। भारत में भी यू0 पी0 में 50 किलोवाट ही कन्जम्शन था। कहने का अभिप्राय यह है कि हमारी व्यवस्था में सुधार करना पड़ेगा। इसमें वह अर्थशास्त्री लिखते हैं—

"Almost all the States, with the possible exception of Madhya Bharat, Orissa, Mysore and Kerala, are experiencing power shortage, Punjab, Haryana and West Bengal are the worst affected."

सारे देश में 5 रीजनल एलेक्ट्रिसिटी बोडस हैं जिनमें यू0 पी0 भी एक है। लेकिन इन बोडस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। तो हमारे नियोजन में एक लिंक छूटी हुई है। बिजली के बारे में तीन चीजें खासतौर से है—ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट। इन अर्थशास्त्री का कहना है कि ट्रांसमिशन में अगर 1 परसेंट गड़बड़ी हो जाय तो 5 करोड़ रुपए सालाना का लास (हानि) होता है। भारतवर्ष में 25 परसेंट, यानी 1/4 ट्रांसमिशन डिफेक्टिव है। तो जब 1 परसेंट गड़बड़ी में 5 करोड़ सालाना का नुकसान होता है तो उस देश की क्या हालत होगी जहां 25 परसेंट गड़बड़ी हो ?

(इस समय 4 बजकर 14 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

डिस्ट्रिब्यूशन का जहां तक सवाल है और देशों में 5-6 परसेंट तक क्षम्य है। हमारे यहां 15-16 परसेंट तक डिस्ट्रिब्यूशन में गड़बड़ी है। तो इन टेक्नोक्रेट्स और आटोक्रेट्स, सबको मिला दिया जाय तो ये क्या करेंगे ? डिस्ट्रीब्यूशन में कहां खराबी है इसको देखना चाहिए। जो आदमी आपके यहां इस विभाग में काम कर रहे हैं या तो उनकी योग्यता में कुछ कमी है, या फिर वे जानबूझकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं। इस चीज को सरकार को देखना चाहिए।

मान्यवर, इसी किताब में डिटेल्स में इस चीज को भी लिखा गया है कि इस समस्या के हल के लिए हमको क्या करना चाहिए। इसमें एक मुख्य सुझाव यह भी दिया गया है कि हमको हाइडिल के अतिरिक्त कोई और सिस्टम निकालना चाहिए। जैसे एटोमिक इनर्जी आदि का इसके लिए प्रयोग किया जाना। जो अपने यहां एटोमिक इनर्जी प्लान्ट लग रहा है उसके लिये मैं अपने माननीय मुख्य मन्त्री तथा माननीय वित्त मन्त्री को बधाई

[श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी]

भी देना चाहता हूं। तो मैं यह कहने जा रहा था कि हमको हाइडिल के अतिरिक्त अन्य किसी सिस्टम पर भी विचार करना चाहिए।

मान्यवर, मैं एक बार भिलाई गया था। वहां रशियन इन्जीनियर्स काम कर रहे थ। मैंने देखा कि उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया बाद को नक्शे आदि बनाने का काम शुरू किया। हमारे यहां यदि कोई काम शुरू करना होता है तो 10-10 वर्ष नक्शे बनाने में ही लग जाते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर प्रायरिटी बेसिस पर हमें कोई काम करना है तो उसे तुरन्त शुरू कर देना चाहिये।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का जो यह वार्षिक विवरण 1969-70 है इसमें पृ0 69 पर आडिट ने लिखा है कि "उपभोक्ताओं से प्राप्त नकद प्रतिभूति निक्षेपों पर 3 प्रतिशत की दर से 1959-60 से 1967-68 तक का ब्याज देने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी।" विद्युत् परिषद् ये ब्याज लेता है, वह मिनिमम गारंटी भी फिक्स करता है, तो उसको जो सीक्योरिटी वह जमा करता है उस पर ब्याज क्यों नहीं दिया जाता है। उसको उस डिपाजिट पर सूद मिलना चाहिए। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इस आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ 70 पर यह भी लिखा है कि 2.15 करोड़ रुपया एक गैर सरकारी कम्पनी पर 1962-63 से बकाया है। उससे यह रुपया वसूल क्यों नहीं हुआ? इनसे आप रुपया वसूल नहीं करते, उधर किसान को उसके नकद प्रतिभूति निक्षेप पर कोई ब्याज नहीं देते, यह ऐसी चीजें हैं जिन पर सरकार को विचार करना चाहिए। और इतना अधिक धन प्राइवेट कम्पनीज का बकाया है जबकि आप किसानों की तो बिजली थोड़े बकाया पर ही काट देते हैं। उनसे भी सख्ती से आप क्यों नहीं वसूल करते हैं।

एक रिपोर्ट हमारे पास और है--"प्रगति के आंकड़े" नियोजन विभाग की उसके सम्बन्ध में मैं माननीय वित्त मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग को देखें। सारे भारत का तो 74.08 है और उत्तर प्रदेश का है 49.09, इसी तरह से आप देखें 165 है पंजाब का, महाराष्ट्र का 137, 115 है मध्य प्रदेश का, जम्मू-कश्मीर का है 67.06 यह भी हमसे कहीं ज्यादा है। हरियाना का 72.02 गुजरात का 56.02, बिहार का है 61.00। मान्यवर, कहने का अभिप्राय यह है कि कन्जम्शन इसका हमारे यहां कम है।

अब आप ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना देखिये, देश के सारे स्थानों का मिलाकर यानी पूरे भारतवर्ष का औसत 20.04 है और यह उत्तर प्रदेश में 19.05। अब आप देख लें, मान्यवर, हम गांवों में बिजली पहुंचाने के मामले में भी पीछे हैं। हमारे राज्य शासन ने स्वतन्त्रता की ही जयन्ती वर्ष में एक दिन में एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया था। किन्तु वह संकल्प पूरा नहीं हुआ। देवरिया में मैंने पूछा बड़ी मुश्किल से 150 से 175 गांवों में हुआ है। शासन जो कह चुका है, जो वचन दे चुका है, इलेक्ट्रीसिटी बोर्ड के दुर्भाग्य से पूरे नहीं हो पाते ह और इस तरह से जनता में असन्तोष और निराशा फैलती है। मैं कहूंगा कि बुलन्दशहर या मुजफ्फरनगर में इन्जीनियर्स अपने घरों में चैन से, आराम से बैठे हुए थे और स्ट्राइक चल रही थी। इस पर बिजली न मिलने से परेशान होकर किसान ने उनके घर जाकर देखा कि वह आराम से बिजली जलाये बैठे हुए थे। इस पर किसानों ने कहा तुम भी अपनी बिजली जलाना बन्द करो, नहीं तो तुम हमारे घर चलो ट्रैक्टर, ट्यूबवेल चलाओ और ऐसा नहीं करोगे तो यह तुम्हारा घर जलेगा और बच्चे जलेंगे। तो मैं भी एक चेतावनी देना चाहता हूं जनता अब इस तरीके से हाथ पर हाथ रखकर चुप नहीं बैठेगी। अधिक से अधिक वेतन लेना और काम करने से इन्कार करना, लापरवाही करना, इस रवैया को अब जनता अधिक दिनों

तक सहन नहीं करेगी । किसानों को उनकी फसल के समय उनकी बिजली रोक देना क्षम्य नहीं है। मैंने इसके लिए इस हाउस में भी कहा था जब चौधरी साहब उन इंजीनियर्स के हक में बोल रहे थे, मैंने कहा था यह उनकी घातक नीति है देश के लिए। जब देश सम्पन्न रहेगा तो धन का बटवारा हो जायगा, लेकिन देश में कंगाली रहेगी तो कंगाली तो बटेगी नहीं ?

मान्यवर, मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं सेल्स टैक्स की वसूली का जहां तक सम्बन्ध है यह तो एक प्रासेस है। जो छोटे-छोटे व्यापारियों पर ज्यादा बहीखाते रखने वाली व्यवस्था है, उनसे एक लमसम में साल में आप ले लिया करें तो अच्छा रहेगा। हमारे गोरखपुर में एक सेल्स टैक्स अफसर थे, मैं उनका नाम लेना तो नहीं चाहूंगा और मन्त्री जी भी शायद पसन्द नहीं करेंगे। वह शाम को घूमने बाजार जाते थे, तो सारी दुकान वाले दुकान बन्द करके चले जाते थे। वहां जाकर दो-चार के नाम नोटिस जारी करके रुपए वसूल लिया करते थे। जब आप इन अधिकारियों को च्वायस देंगे तो वह मनमानी और भ्रष्टाचार करेंगे, उनके लिए इसका रास्ता खुल जायगा। ऐसे अधिकारियों को जानबूझ कर रहने देना अच्छा नहीं होगा ।

एक बात मैं यह और कहना चाहता हूं कि हरिजन बस्तियों के विद्युतीकरण का जो चार्ज गांव सभाओं के पास है उससे लेकर यह चार्ज हरिजन विभाग को दिया जाय, यह मेरा सुझाव है। हरिजन विभाग को दें उसको । गांव सभा नहीं दे सकेगी । हरिजन विभाग उस बिजली के भार को वहन करे । हमारी तरफ मड़ाई हो रही है, मेरे पास कई लोगों की दरख्वास्तें आयी हैं, आप चौबीस घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे बिजली जरूर दीजिये ताकि किसान ठीक से मड़ाई कर सकें । वैसे ही फसल खराब हुई है, अगर वर्षा हो गई तो सारी नष्ट हो जायेगी । इन शब्दों के साथ माननीय वित्त मंत्री ने जो विभिन्न अनुदान मांगें हैं उनका मैं समर्थन करता हूं इन सुझावों के साथ ।

*श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

उपाध्यक्ष जी, आज वित्त मंत्री का बजट है जिसमें स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन, बिक्री-कर, पेंशन, भत्ते और बिजली, ये सारी बातें हैं । मान्यवर, मैं इसके पहले भी कह चुका हूं अभी दीप-नारायण जी बोल रहे थे, तो भाषण उन्होंने बिल्कुल विरोधी पक्ष का दिया। ठीक था। जो बात कहनी चाहिए थी उन्होंने उस बात को कहा। लेकिन अन्त में कह देते हैं कि अनुदान का समथन करता हूं। प्रसाद जी ने कहा है:—

प्रार्थना और तपस्या क्यों ?
पुजारी किसकी है यह भक्ति ?
डरा है तू जिन पापों से,
इसी से करता निज अपमान ।

यह जो पीछे बठे हुए हैं यह अपने पापों से डरे हुए हैं। सरकार की सबसे बड़ी अकर्मण्यता है, किसने लैंड सीलिंग और अरबन सीलिंग दोनों की बात कही थी ? जहां तक मुझे याद है माननीय वित्त मंत्री जी पार्लियामटरी अफेयर्स मिनिस्टर भी ह, उन्होंने कहा था कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री बंशीधर पांडेय]

इसको इसी सेशन म पास कर दें। आपको याद होगा। उसको पास करके आपने कितना रुपया नष्ट किया है और बड़े लोगों का अगर आप करते, तो छोटे लोगों की रजिस्ट्री वगरह जो सारा काम था सबको रोक रखा। मुझे मालूम हुआ है आपके विभाग द्वारा और दूसरे लोगों से, लैंड सीलिंग करने के बाद अरबन सीलिंग का ऐक्ट पास नहीं कर पाये। एक साल बीत गया। 40 फीसदी किसानों का लैंड सीलिंग किया। सीलिंग का कार्यक्रम खत्म हो गया।

दीवनारायण जी, इस देश का किसान गूंगा है और सरकार बहरी है तो काम कैसे चलेगा? प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि अपोजीशन सारे भारत क चरित्र को गिराने में लगा हुआ है। कल मैं एक पत्रकार को पढ़ रहा था। माननीय प्रधान मंत्री का नारा था गरीबी हटाओ। अब दूसरा नारा है अपोजीशन हटाओ। हिटलर ने यही कहा था। जब पार्लियामेंट का चुनाव हो गया तो बाद में हिटलर ने कहा---जेंटिलमेन यू कैन गो। अब आपका कोई काम नहीं है। सत्ता मरे हाथ में है। (व्यवधान) आपके लिये चेतावनी दे रहा हूं। जो पुरानी कांग्रेस के विरोध वाले लोग हैं उनके लिये एक चेतावनी है।

इंडिकेट में जो कांग्रेस की पुरानी बिरादरी के लोग हैं उनके लिये चेतावनी है कि कम्युनिस्ट रूपी प्राइम मिनिस्टर आज दो घोड़ों पर चढ़ रही हैं और यही कारण है कि 4 लाख आदमी बेटिकट दिल्ली पहुंच गये। यह सुविधा क्यों दी जा रही है? आपकी गर्दन नापी जाने वाली है। आप तब तक नहीं जान पायेंगे जब तक कि बलि का पशु बध नहीं हो जाता। (व्यवधान) आप बलि पशु की तरह बलि की वेदी पर चढ़ाये जाने वाले हैं। आपकी तानाशाही तथा भुट्टो की तानाशाही में क्या फर्क है? आप डेमोक्रेटिक डेक्टेटर हैं और भुट्टो फौजी तानाशाह लेकिन डिमोक्रेटिक डिक्टेटर ज्यादा खतरनाक होता है जैसे हिटलर ने अपने हाथ में सारी ताकत छीन ली थी और अपोजीशन को वाइप आउट कर दिया था।

श्री मैनेजर सिंह---

भाषण में आप जरूर भुट्टों को मात कर देंगे।

श्री बंशीधर पांडेय---

जो भाषण से ही कुछ नहीं कर सकता वह कर्म से क्या करेगा? मैं यह कहूंगा कि यह जो आप शहरी सम्पत्ति का बिल रोके हुए हैं इससे रजिस्ट्रेशन का बड़ा नुकसान हो रहा है। उस बिल को आप पास करें लेकिन आप पास इसलिये नहीं कर रहे हैं कि शहर में रहने वाले जो 10-15 फीसदी लोग हैं, वे पैसे वाले हैं ज्यादा ताकतवर हैं। देहात के सम्बन्ध में जो सीलिंग का बिल था उसको उदित नारायण जी ने दो दिन में पास कर दिया लेकिन शहरी सम्पत्ति की सीमा बांधने में उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। कार्य-मंत्रणा समिति में यह आया लेकिन संसदीय मत्री ने कभी यह नहीं कहा कि इसको पहले ले लिया जाय। कारण यह है कि किसान जो 80 फीसदी है जिसके वोट से हम यहां आए हैं वह संगठित नहीं है लेकिन 17 फीसदी शहरी सम्पत्ति वालों को जिनको आप 5 लाख की छूट भी देने जा रहे हैं उस पर सीलिंग का बिल नहीं ला रहे हैं और उससे रजिस्ट्रेशन का भी नुकसान हो रहा है।

बड़े कारखाने वालों को तो और भी अधिक छूट मिलेगी। उनका मकान आदि सभी चीजें फैक्ट्री के नाम लिखी हुई हैं। सिनेमा भी इंडस्ट्रियल प्रिमिसेज हैं। किसान पर सारे प्रतिबंध हैं क्योंकि वह संगठित नहीं है लेकिन शहरी सम्पत्ति का विधेयक यह सरकार नहीं ला रही है क्योंकि पूंजीपतियों का इस पर दबाव है। इस विधेयक के न आने से सरकार को काफी आर्थिक नुकसान भी रजिस्ट्रशन के रूप में भी हो रहा है और गरीबों को शहरी सम्पत्ति बांटने का काम होता है वह भी हल हो जाता है। आप दिल्ली में देखते हैं, वहां पर राजधानी है।

रोज झोपड़ियों म रहने वाले लोग निकाले जाते हैं। हर दिन 40-50 झोपड़ियां तोड़ी जाती हैं, रौंद दी जाती है। 15-20 दिन के बाद जब वे बेचारे फिर से किसी रूप से अपने रहने के लिए झोपड़ियां बनाते हैं तो फिर ये लोग चले जाते हैं और उनको रौंद जाते हैं।

इसकी दूसरी तरफ आप देखिए कि कोई मिनिस्टर शायद ही होगा जिसके पास 4 एकड़ से कम का बंगला हो। आप ऐडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमीशन की रिपोर्ट उठाकर पढ़ें तो उसमें मिलेगा कि 20-30 फ्लैट बनवा दिये जायं उनमें इनको रखा जाय। जब एक मिनिस्टर को 4–5 एकड़ का बंगला चाहिए तो बाकी किसको जमीन बचेगी। एक एकड़ की कीमत दिल्ली में क्या होगी, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं। उस एक बिल्डिंग को मल्टी-स्टोरीड बिल्डिंग बनाकर आप समस्या हल नहीं करना चाहते। तो मैं आप से कहता हूं कि इन झूठे और थोथे वायदों और बातों को करने से क्या प्रतिक्रिया हो सकती है। आप इस चीज को हल्के रूप में ले सकते हैं, किन्तु इस बारे में जरा सोचिये। मैं बुराई के लिये नहीं कह रहा हूं। इन झूठे आश्वासनों से आप जनता को लहरों में छोड़ रहे हैं। लेकिन अब जनता इन तरंगों में आने वाली नहीं है। आप देख ही रहे होंगे कि जहां भी प्राइम मिनिस्टर जाती हैं, वहीं लाठी, डंडा और पथराव होता है, लोग पकड़े जाते हैं। इसका एक यही कारण है कि आप जनता के सामने झूठे वायदे करके आते हैं और उन्हें पूरा नहीं करते हैं। इतने बड़े आश्वासन आप देते ह जो कि पूरे हो ही नहीं सकते।

मैं वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इनकी पांचवीं पंचवर्षीय योजना 7 हजार करोड़ की होगी। मैं आपको चुनौती देता हूं और नम्रतापूर्वक भी कहना चाहता हूं कि इन झूठे वायदों से क्या फायदा आपका होने वाला है? 7 हजार करोड़ रुपया जुटाना कोई आसान काम नहीं है। आप कुछ करिये, मर जाइये, इतना रुपया आपको नहीं मिल सकता है। सन् 1960–61 में फिजिकल अचीवमट था वह 50 हजार करोड़ का था। तब से आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि दाम आसमान को छू रहे हैं। 4 लाख का उस समय पुल बनता था तो वह 20 लाख का बनता है और जो 1 करोड़ का पुल बनता था वह 5 करोड़ का आज बनता है। तो मैं यह कह रहा हूं कि संसाधन को जुटा नहीं सकते हैं। बिक्री-कर के सिलसिले में मेरी अभी उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि इसके आगे बढ़ने की गुंजाइश है। मैं उनकी इस बात के लिये तारीफ करना चाहता हूं कि उन्होंने इसे आगे बढ़ाया भी है और कार्यक्रम को आगे चला रहे हैं लेकिन इसमें कुछ लूप होल्स भी हैं। मैं कहता हूं कि बिक्री-कर का रुपया क्यों बकाया रहता है। वह ऐसा कोई रुपया नहीं जिसे कि दुकानदार को अपनी तरफ से देना पड़ता हो। वह तो बिके हुए सामान पर टैक्स पड़ता है। उसका जो टैक्स वह सीधे रूप में जमा हो जाना चाहिए। आपकी दिनोंदिन बिक्री-कर की और स्टाम्प्स की रजिस्ट्रेशन की आमदनी घटती चली जा रही है क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है। रजिस्ट्रेशन रुका हुआ है दूसरे पूंजीपतियों के डर से आप उसे लेना भी नहीं चाहते हैं उसका कारण देते हैं कि एक आल-इंडिया पैटर्न आयेगा। इस तरह से आपने 2 क्लासेज कर दिये हैं एक शहर में रहने वाले जो कि 5 गुने अधिक से स्टार्ट करेंगे और दूसरे देहात में रहने वाले जो 5 गुने कम से स्टार्ट करेंगे।

बिजली की कमी के बारे में इस सदन में काफी दिनों से चर्चा चल रही है और यह एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय हो गया है। इस पर चर्चा भी हुई है और वित्त मंत्री जी पिछली बार जब बिजली का बजट पेश कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि पंचवर्षीय योजना में हर जगह सारे उत्तर प्रदेश में उजाला हो जायेगा, सब जगह बिजली हो जायेगी और सारा काम हो जायेगा। एक साल रबी की फसल ठीक हो गयी तो श्री फखरुद्दीन अहमद, फूड मिनिस्टर, भारत सरकार के भाषण में बड़ी तेजी आ गयी और अब भी वे भाषण दे रहे हैं। मैं नहीं समझता कि किस आधार

[श्री बंशीधर पांडेय]

पर उनका यह भाषण आधारित है जिस पर वे कहते हैं कि 'देयर इज गुड रबी क्राप'। पार-साल 24 घंटे बिजली मिलती थी जिससे नलकूप चलते थे और इस साल वह 6 घंटे चलने लगे, पार साल खाद जिस भाव मिलती थी उससे चौगुनी मंहगी हो गयी, बिजली का रट पहले से कई गुना बढ़ गया है फिर रबी का क्राप कैसे बढ़ सकता है ? मैंने तीन चार जगह देखा, अपने गांव में भी देखा कि जहां हाई ईल्ड वेराइटी गेहूं के लिये 5 पानी की आवश्यकता थी वहां केवल 2 पानी ही मिला और एक हवा ऐसी बह गयी कि जहां 8 पानी की आवश्यकता थी वहां दो पानी भी मश्किल से नहीं मिल पाया और खाद भी लोग मंहगा होने की वजह से नहीं दे पाये, जेटर टक्टर जो पहले 13 हजार रुपये का मिलता था वह 26 हजार रुपये का हो गया और बिजली का रेट भी पिछले तीन वर्ष में बढ़ कर दुगुना हो गया। इस तरह से कृषि के उपकरण तो सारे मंहगे, बिजली मंहगी और बिजली का एक सबसे बड़ा नमूना देखिए।

हमारे पूरब की तरफ देहातों में एक कहावत है—"जबरा मारै और रोने भी न दे"। उसी तरह से इस सरकार न 3 रुपये हार्स पावर पर टैक्स बढ़ा दिया और तीन पैसे फी यूनिट बढ़ा दिया जबकि किसानों के लिये इतना फ्रीडम होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक पानी का इस्तेमाल करके अपनी खेती के उत्पादन को बढ़ा सकें। एक तरफ तो तीन रुपया हार्स पावर टैक्स बढ़ा दिया, तीन पैस यूनिट बिजली का रेट बढ़ा दिया और दूसरी तरफ जहां पहले 24 घंट पानी मिलता था वहां उसे घटा कर 6 घंटे ही कर दिया। जब कोई टैक्स अदा करता है तो टैक्स लेने वाले की यह मोरल ड्यूटी होती है, कानूनी ड्यूटी होती है कि उसको बिजली का उपयोग करने के लिये पूरी छूट दे। लेकिन यहां तो आपने 24 घंट के स्थान पर 6 घंटे ही पानी देना शुरू कर दिया, बिजली में कटौती कर दी, और दूसरी तरफ बिजली का रेट बढ़ा दिया। साथ ही किसानों से जो बिजली के मीटर का चार्ज किया जाता है उसमें भी बड़ी गड़-बड़ी होती है। अभी मैं जिला सीतापुर के एक गांव में गया था। यह निकला था कि बिजली में 25 प्रतिशत की कटौती होगी। किसानों को तो यह तो मालूम था नहीं कि 25 प्रतिशत की कटौती कैसे होगी, क्या होगी लेकिन कलक्टर ने यह कह कर कि आपने चूंकि 25 प्रतिशत बिजली की कटौती का पालन नहीं किया, सैकड़ों आदमियों का कनेक्शन डीजल पम्पिग सेट्स, ट्यूबवेल्स का काट दिया। और इसके लिये कहा गया कि तब तक 25 प्रतिशत कटौती को रिस्टोर नहीं किया जायगा जब तक कि वह कटौती पूरी न हो जायगी।

आपके यहां बिजली की चोरी होती है। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक चोरी बिजली की हिन्दुस्तान में होती है और यहां के प्रान्तों में सबसे अधिक चोरी उत्तर प्रदेश में होती है यानी 26–28 प्रतिशत तक उत्तर प्रदेश में बिजली का लास है। यह लास कैसे हो रहा है, यह कहा गया कि बहुत रुपया डम्प हो गया लाइन खींचने में/प्रतिनिहित विधायन समिति की जो रिपोर्ट है वह बहुत लम्बी है उसको मैं पढ़ना नहीं चाहता लेकिन उसमें कहा गया है कि किसानों से चार्ज ले लिया गया लाइन का और जो लाइन एक्जेम्टेड थी, उसी ट्रांसफार्मर से 3–4 किसानों को बिजली देनी शुरू हो गयी।और 4/5 साल बीत गये फिर भी किराया लेते चले जा रहे हैं। यह नहीं कि उसको माफ कर दें। इस किराये को माफ कर देना चाहिए। यह बात कमेटी की रिपोर्ट में भी लिखी है और विद्युत परिषद् के अध्यक्ष ने भी इसके लिये एग्री किया है। बिजली के बारे में लोगों को शिकायत है और जो लोग चालू होते हैं वे अपने मीटर को पीछे करा लेते हैं और 100/200 रुपये देकर 1000/500 रुपये का फायदा कर लेते हैं। आपकी बिजली की चोरी बराबर हो रही है और वह आपके कर्मचारी करा रहे हैं।

दूसरे आप कहते हैं कि पंचवर्षीय योजना में बिजली की कैपेसिटी 6100 मेगावाट हो जायेगी। आपका हाल तो यह हो गया है कि एक साल रबी की फसल अच्छी हो गयी तो आप कहने लगते हैं कि अनाज के मामले में हमारा देश सैल्फ सफीशियेंट हो गया है और अगर किसी साल बाढ़ आ जाती है तो कहने लगते हैं कि अनाज के लिये हम अमेरिका वगैरा का मारकेट

खोज रहे हैं। लोग अपने यहां एवरेज लगा लेते हैं सूखा वगैरा का और फिर खेती की बात करते हैं। आप बिजली के कार्यक्रम को देखिए। किसानों की जो बिजली की कटौती हो रही है उससे जितनी फसल चौपट हो सकती थी वह हो गई है। मैं कहता हूं कि इस बार आपने किसानों से 3 रुपये प्रति हार्स पावर चार्ज किया और तीन पैसे प्रति यूनिट दाम भी बढ़ा दिये हैं फिर भी किसानों को बिजली बहुत कम देते हैं। उनको पूरी छूट होनी चाहिए। आप इन सारी चीजों को देखकर बिजली का इन्तजाम करें। आप विद्युत् परिषद् का गठन करने जा रहे हैं। पता नहीं उसका क्या होगा ?

बनारस शहर में मार्टिनबर्न की प्राइवेट कम्पनी है वहां 24 घंटे बिजली आ रही है। हमारे यहां बिजली की कटौती बराबर हो रही है। प्राइवेट कम्पनी का परफारमेंस ऐसा है कि शहर में 24 घंटे बिजली रहती है। आप बिजली देने में असमर्थ हैं। कहीं-कहीं 24 घंटे बिजली चल रही है और कहीं केवल 6 घंटे चलती है। देहात में तो 3/4 दिन बाद बिजली आती है और वह भी एक साथ नहीं दी जाती है। इस तरह से होता है कि एक घंटे के लिये बिजली आती है, चली जाती है फिर दो घंटे के लिये आती है। इस तरह से आती है। ट्यूब वेल से पानी चलता है वह एक फर्लांग जाकर बन्द हो जाता है बिजली कट जाती है तो पानी सूख जाता है। बिजली का वोल्टेज लो कर देते हैं तो मशीनरी चलती नहीं है। आज आपकी सारी फसल धराशायी हो गई है फिर आप कैसे कहते हैं कि हमारी फसल अच्छी होगी।

आपने कह दिया पंचम पंचवर्षीय योजना में 6,100 मैगावाट की हमारी बिजली की क्षमता हो जायगी और हमारा काम चल जायेगा। बिजली की कोई कमी नहीं रह जायेगी। अगर आपके प्रशासन का यही रवैया रहा और इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया तो ठीक नहीं होगा। आपकी बिजली की क्षमता 600 मैगावाट से ज्यादा नहीं है। इंस्टाल्ड कैपेसिटी भले ही आपकी 6,100 मैगावाट हो। यह आपके दिवालियपन का द्योतक है। आप 80 प्रतिशत किसानों को भी बिजली 24 घंटे नहीं देते हैं जिनसे आपने 3 रुपये प्रति हार्स पावर चार्ज किया और 3 पैसे प्रति यूनिट बिजली के दाम बढ़ा दिये तो उनको बिजली देने की कृपा करें।

*श्री राज नाथ सिंह (जिला गाजीपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री जी एवं विद्युत् मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक विद्युत् का सम्बन्ध है यह विकास कार्यों के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। आज तो सारे विकास के कार्य चाहे उद्योग-धन्धे हों, कृषि के कार्य हों या संचार साधन हों सभी विद्युत् पर अवलम्बित है। इसलिये विकास कार्यों को उन्नति करने के लिये यह आवश्यक होगा कि प्रदेश की विद्युत् की उत्पादन क्षमता बढ़ाई जाय। इस संदर्भ में माननीय विद्युत् मंत्री जी ने कुछ आंकड़े प्रस्तुत किये हैं और कुछ आवश्यक साधनों की चर्चा की है और उनसे विद्युत् के उत्पादन के बढ़ने की सम्भावना है यह एक प्रगतिशील कदम है और इसके लिये मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई दूंगा। साथ ही विद्युत् क्षमता बढ़ाने के लिये जहां आपने बुलन्दशहर में एटामिक रिएक्टर की स्थापना की है वहां मैं अनुरोध करूंगा कि ऐसे एक रिएक्टर की स्थापना आप पूर्वान्चल में भी करें। उसके बाद हमें पूर्ण विश्वास है कि विद्युत् का उत्पादन और क्षमता बढ़ेगी और फिर प्रदेश में बिजली की कमी नहीं रहेगी। इसकी चर्चा इस बजट में नहीं की गई है लेकिन अगली पंचवर्षीय योजना में एक रिएक्टर का पूर्वान्चल में भी प्रबन्ध करें।

साथ ही विद्युत् विभाग के सम्बन्ध में भी मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप कल जारी रखें। हमको इसके हिसाब से ऐसा लगता है कि जिन अनुदानों पर एजेंडा के अनुसार विवाद नहीं होना है उन पर वोट ले लिया जाय।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

कल ही सब एक साथ ले लें, यही परम्परा पिछले साल भी अपनायी गई थी।

श्री बंशीधर पांडेय—

कल ही वोट हो जाय, इसमें क्या हर्ज है।

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, कल ही ले लेंगे।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। एक श्री नित्यानन्द स्वामी की है, पर्वतीय विकास परिषद् द्वारा गठित पर्वतीय निगम के अध्यक्ष श्री परिपूर्णानन्द पेन्यूली को निगम के अध्यक्ष पद से हटाये जाने के विषय में, इसे मैंने वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। दूसरी श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी व श्री मोहन लाल कपूर की सूचना है उत्तर प्रदेश नगरपालिका शिक्षक संघ द्वारा अपने मांगों के सम्बन्ध में राज्य व्यापी आन्दोलन तथा क्रमिक अनशन के बारे में। इस विषय को बजट में उठाया जा सकता है, इससे स्वीकार नहीं किया है।

श्री मोहनलाल कपूर (जिला मेरठ)—

नगरपालिका शिक्षक संघ के लोग अपनी मांगों को लेकर राज्य व्यापी आन्दोलन कर रहे हैं और आमरण अनशन की भी धमकी दी गई है इसे आप वक्तव्य के लिये स्वीकार कर लें।

श्री कल्याण सिंह (जिला अलीगढ़)—

इसमें आत्मघात की धमकी दी गई है। न मालूम स्वायत्त शासन की मांगें कब आयेंगी। आप सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिये इस पर वक्तव्य करा दें तो बड़ी कृपा होगी। बड़े महत्व का यह विषय है। उन्होंने आत्मघात की धमकी दी है और घोषणा कर दी है। आप वक्तव्य करा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

यह 3 को रखा है, कल और परसों यह उपवेशन होगा और उसके बाद छुट्टी होगी और 3 को शिक्षा है।

श्री कल्याण सिंह—

तीसरी को शिक्षा का अनुदान है लेकिन यह तो स्वायत्त शासन में आता है, इस पर आप वक्तव्य करा दें।

श्रीमन्, इससे पूरे प्रदेश के शिक्षकों का सम्बन्ध है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसके बारे में अल्पसूचित प्रश्न कर लें। अगर 3 से पहले आ जाय तो आपको उसका लाभ मिलेगा अन्यथा आपको सूचना मिल जायगी।

श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इसको आप स्वीकार कर लें ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इसमें अल्प सूचित प्रश्न कर लें। आपने लिखा है कि वे मरने वाले हैं।

श्री रूपनाथ सिंह यादव—

जिलाधीश को दरखास्त दी गयी थी लेकिन आज तक कोई ऐक्शन नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो जुर्म से सम्बन्ध रखने वाली चीज है, इसको कार्यवाही के लिय भेज देता हूं।

अब एक माननीय जायसवाल जी की एक सूचना है कि दिनांक 23 मार्च, 73 की गाय जबह करने की झूठे बहाने की आड़ लेकर पुलिस द्वारा श्री मुन्ने अंसारी, नवाबगंज, बाराबंकी के घर की तलासी से उत्पन्न स्थिति। आप इसके अल्पसूचित प्रश्न कर लें क्योंकि यह एक का मामला है ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

श्रीमन्, एक का नहीं है। इस समय आपको ऐसा लग रहा है, इससे तो हिन्दुओं और मुसलमानों का दंगा ही हो गया था।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ?

अब एक माननीय सूरेन्द्र विक्रम जी की सूचना है कि पुलिस अधीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायत। जब पुलिस के बजट पर बहस हो तो आप कह सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

जो भी मैंने लिखा है, वह तो कम से कम सामने आना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आपने लिखा है, वह सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। मान लीजिए कि वह गलत है। इस के लिए आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें? राजनीतिक पेंशन उसको मिल गयी है, 100 रुपया प्रति माह।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

तो आप अल्पसूचित की ही इजाजत दे दीजिए ?

श्री उपाध्यक्ष—

ठीक है, आप अल्पसूचित प्रश्न कर लें ?

श्री मोहनलाल कपूर—

श्रीमन्, नियम 52 में मैंने भी एक सूचना दी है।

श्री उपाध्यक्ष—

उसे हम इस समय नहीं लेते हैं ।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, मैंने भी एक प्रश्न किया था, आपने उसे छोड़ दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने प्रश्न पूछा था। जवाब आ गया था।

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

खैर आप मुझे बोलने का अवसर दे दीजिये।

पायरिला कीट के आक्रमण से जिला देवरिया की गेहूं की फसल की बरबादी के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत चर्चा

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जनवरी के महीने में जो पायरिला कीड़ा है बड़ी तेजी से उसकी ग्रोथ हुई है और गन्ने की फसल से उठकर गेहूं की फसल पर जाकर बैठ गया और गेहूं की डंठल पर बैठ कर नीचे का सारा रस चूस लिया जिसके कारण गेहूं की फसल भी नष्ट हो गयी है और अकाल की स्थिति पैदा हो गयी है। हाटा और पड़रौना तहसीलों में किसान जब फसल को पीटते ह तो बहुत पतला-पतला अनाज निकल रहा है। हाटा और पड़रौना में भी अकाल को स्थिति हो गयी है। अभी से अन्न संकट उत्पन्न हो गया है। गेहूं को फसल को तो इस कोड़े ने बरबाद कर ही दिया है लेकिन अब गेहूं की फसल से उठकर फिर गन्ने की जो नयी फसल है, उस पर बैठना आरम्भ कर दिया है। एक-एक पेड़ पर एक-एक हजार कीड़े बै दिखाई देते हैं और जो पेड़ी है, उसको उन्होंने नष्ट कर दिया है और जो गन्ना अब जमना आरम्भ हुआ है, उसको भी बरबाद कर रहे हैं।

इनके कृषि रक्षा विभाग की जो रिपोर्ट आई है सदन के सामने, वह निराधार है, असत्य से भरी है। शुरू में कृषि रक्षा विभाग ने दवा छिड़की होती तो गेहूं की फसल इतनी ज्यादा नष्ट नहीं हुई होती। कृषि रक्षा विभाग आज भी ध्यान नहीं दे रहा है। जब मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था तो मैंने स्पष्टरूप से पूंछा था कि हाटा और पड़रौना तहसील के किन-किन गांवों में छिड़काव हुआ है। लेकिन मंत्री जी का कोई उत्तर नहीं आया उस सम्बन्ध में। मैं बड़े अदब से मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि आज भी उन गांवों का नाम वे बतला दें जहां कि छिड़काव कराया है। मान्यवर, छिड़काव नहीं हुआ। अगर छिड़काव होता तो देवरिया जिले की फसल इतना ज्यादा बरबाद न होती। आज भी, इनका जो कहना है कि छिड़काव हो रहा है, मेरा निवेदन है कि कहीं कोई छिड़काव नहीं हो रहा है। गन्ने की फसल पर कोई छिड़काव नहीं जारी किया गया है। इनका जो कृषि रक्षा विभाग है, वह बैठा है।

मैं एक बात मुख्य मंत्री जी से और कृषि मंत्री जी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे चेचक, हैजा और महामारी आ जाती है, तो एक आदमी की तो दवा हो सकती है, लेकिन अगर जिला का जिला उससे ग्रस्त हो जाय तो सरकार का फर्ज हो जाता है कि वह मुफ्त दवा बांटे। इस तरह से जब बड़े पैमाने पर पायरिला कीट का प्रकोप हो गया है तो कृषि मंत्री जी का यह कहना उचित नहीं है कि किसान पैसा देकर दवा खरीदे। सरकार को चाहिए कि बड़े पमाने पर छिड़काव करये। अगर गन्ने को फसल पर छिड़काव नहीं होता है तो देवरिया जिले में बिल्कुल गन्ना नहीं पैदा हो सकेगा। इसलिए मैं आज कृषि मंत्री जी से और मुख्य मंत्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि अन्न संकट कुछ ऐसी जगह है, जहां आज से ही प्रारम्भ हो गया है। सरकार का वक्तव्य आया है कि कुछ स्पेशलिस्ट लोग वहां गये हैं। शुरू में स्पेशलिस्ट लोग कहते थे कि पायरिला कीड़ा गेहूं पर नहीं बैठता है।

मान्यवर, केवल गेहू की फसल ही नहीं नष्ट हुई, बल्कि जहां भोहरी पत्तियां हैं—जैसे शीशम के पेड़, आम के बौर, केले के पत्ते, यह रोग बड़े पैमाने पर फैल गया

है देवरिया जिले में। मेरा निवेदन है कि बड़े पैमाने पर हवाई जहाज से गन्ने की फसल पर छिड़काव यदि नहीं होगा, तो गन्ने की फसल नहीं होगी। मैं चैलेंज करता हूं कृषि मंत्री जी को कि सरकार के जो आंकड़े और रिपोर्ट हैं, वह गलत है, बिल्कुल निराधार है। इनका कृषि रक्षा विभाग कहीं भी किसी गांव में नहीं गया। कोई प्रचार-कार्य नहीं हुआ। कहीं भी छिड़काव नहीं हुआ। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस सरकार से, कृषि मंत्री जी से और मुख्य मंत्री जी से कि आज ही से अन्न की व्यवस्था वहां करनी पड़ेगी। हाटा तहसील के ब्लाक, गांव और न्याय पंचायतें ऐसी हैं, जहां आज ही से अन्न संकट शुरू हो गया है। खिरगोड़ा, अहिरौली और नौका-छपरा न्याय पंचयातों में आज ही से अन्न संकट शुरू हो गया है। अन्त में मैं पुनः सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि गन्ने की फसल को जो बड़े पैमाने पर पायरिला कीड़ा विनष्ट कर रहा है, उसको समूल नष्ट करने के लिये बड़े पैमाने पर यदि हवाई जहाज से दवा के छिड़काव की तत्काल व्यवस्था नहीं की जाती है, तो गन्ने की फसल देवरिया जिले में बिल्कुल समाप्त हो जायेगी। इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

कृषि मंत्री (श्री रामलखन)—

माननीय, जैसाकि मैंने अपने वक्तव्य में बतला दिया था, जैसे ही विभाग को पायरिला रोग के बारे में मालूम हुआ, विभाग से दवा की व्यवस्था पूरी तरह से करके किसानों को बटवा दी गयी और उनको इस्तेमाल करने के लिये मशीनरी की जितनी आवश्यकता थी सब व्यवस्था कर दी गयी। जैसा अभी माननीय सदस्य ने कहा कि पायरिला का प्रकोप गन्ने की फसल पर हो रहा है, तो हमने इस पर विचार किया और यह निर्णय लिया है कि गन्ने की फसल को बचाने के लिये तथा दूसरी और फसलों को बचाने के लिये क्या इफेक्टिव कदम उठाए जा सकते हैं और जो भी फसल को बचाने के लिये प्रयास होगा उसमें शासन की तरफ से कोई कोताही नहीं की जायेगी।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि यह देखकर कि पायरिला के कीड़ा से उत्पन्न बीमारी से खड़ी फसल को नुकसान हो रहा है और यह देखकर कि किसान 25 रु0 और 35 रु0 फी एकड़ खर्च करके जल्दी दवा का इस्तेमाल नहीं कर रहा है और उससे सुरक्षा का कार्य ठीक से नहीं हो रहा है, तो सरकार ने अपने खर्च से सुरक्षा का कार्य क्यों नहीं किया?

श्री रामलखन—

मान्यवर, पहले ही यह बता दिया है कि शासन की नीति पहले यह थी जिसके अनुसार शासन को स्वयं खरीदना पड़ता था। अब शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार करके यह निर्णय लिया है कि गन्ने की फसल तथा जायद की फसल को नुकसान न पहुंचे, इसलिये शासन छिड़काव करने की व्यवस्था कर रही है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

मान्यवर, यह नियम 52 के अन्तर्गत विवाद हो रहा है या 49 के अन्तर्गत?

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

मान्यवर, हो सकता है गल्ती से छप गया हो। ढाई घण्टे की चर्चा होनी चाहिए।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हम तो यही सोचकर आये थे, इसलिये यहां बैठे हुए हैं।

श्री बंशीधर पाण्डेय (जिला वाराणसी)—

यह ढाई घण्टे की चर्चा है।

श्री उपाध्यक्ष—

हम देख रहे हैं। वैसे माननीय अध्यक्ष जी ने 52 में किया है।

श्री राजमंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, लगता ऐसा है कि विभाग को जितनी तत्परता से इस सम्बन्ध में कार्यवाही करनी चाहिए थी उतनी तत्परता के साथ नहीं की और कार्यवाही जबकी, जबकि काश्तकारों का सब कुछ बरबाद हो गया और उसके बाद भी अगर सरकार 50 प्रतिशत सब्सिडी देकर ऐसा करें तो यह अनुचित बात होगी। मैं माननीय मुख्य जी से चाहूंगा कि सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करने के लिये तैयार हो।

श्री रामलखन—

मान्यवर, जैसे ही बीमारी का पता चला कृषि रक्षा विभाग ने पूरी तत्परता के साथ काम करना शुरू कर दिया। किसानों ने जहां-जहां दवा ली उनके लिये मशीनरी की पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई।

श्री उपाध्यक्ष—

अध्यक्ष जी ने पत्रावली में जो आदेश किये हैं वह यह है कि "बहुत से सदस्यों ने इस पर स्पष्टीकरण वक्तव्य के बाद प्राप्त किया है। सम्भव है उत्तर समाधानकारक न हो। ऐसी अवस्था में चर्चा किसी मंगलवार को करा दी जाय आधा घंटे की।"

श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

यह जो पायरिला.....

श्री राजमंगल पाण्डेय—

मान्यवर, अगर सारा का सारा खर्चा सरकार वहन करे तो चर्चा का विषय ही समाप्त हो जायगा।

श्री उपाध्यक्ष—

हां, यह है। असल में मैंने भी देखा है। मैं भी देवरिया गया था। मुख्य चीज यह मालूम पड़ी कि साढ़े 6 पया किसान को देना है और चौदह या पन्द्रह रुपया सरकार देती है। किसान कहता है कि यह साढ़े छः रुपया भी उसे न देना पड़े। यही मुख्य मांग है।

श्री दीप नारायण मणि त्रिपाठी (जिला देवरिया)—

मांग यही नहीं है। जुलाई और अगस्त में छिड़काव नहीं हुआ गन्ने पर तो वह कीड़े आ गये। नका ब्रीडिंग सीजन है। एक-दो महीने यह चुप हो जायेंगे और जुलाई में फिर आ जायेंगे। मान्यवर, यह एक महामारी है।

श्री उपाध्यक्ष—

जो आप कह रहे हैं उससे अधिक वहां के अधिकारियों ने बतलाया है

श्री दीपनारायण मणि त्रिपाठी—

पूरे जिले में ही व्यवस्था हो जाय।

(व्यवधान)

श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

यह बीमारी ऐसी है कि आगे भी फैलती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी आपको समय नहीं दिया है। बिना हिसाब से काम करने से कीड़े कहां कम होंगे।

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने सदन को सूचित किया है कि आपको जिलाधिकारियों ने वहां की विषम परिस्थिति बतलाई जबकि मंत्री जी को सूचना अधिकारियों ने दी है उससे वहां स्थिति खराब नहीं है। कौन सी सूचना को सही माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मुझे विवाद में न घसीटिये। छिड़काव जरूर हुआ लेकिन जहां छिड़काव होता था वहां से कीड़े दूसरी जगह चले जाते थे। अब उसको छोड़िये। राजमंगल पांडेय जी ने कहा वही बात है कि हवाई जाहज से छिड़काव हो जाय और सारा सरकार खर्चा वहन करे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

जैसा कि राजमंगल पांडेय और उपाध्यक्ष जी ने कहा और माननीय सदस्यों की भी भावना है कि किसानों को जो राहत देने की बात है, उनका कोई दोष भी नहीं था, उसमें इस बात का आश्वासन दें कि उन्हें वांछित राहत देंगे और साथ ही यह भी बतलायें कि गेहूं के ऊपर जब पायरिला कीड़े का अटैक हुआ तो तुरन्त कार्यवाही नहीं हुई इसकी भी जांच करायेंगे?

मुख्य मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

किसानों के ति मेरी सहानुभूति और मेरे दल की सहानुभूति आपके समान ही है। अगर अधिक नहीं है तो कम किसी कदर भी नहीं है। जो मांग की गयी है तो हम इस मामले को देख रहे हैं। भारत सरकार से भी हम मांग कर रहे हैं। सुना है बहुत काफी पैसा सर्वे खर्च होगा। अभी तक तो वह सिर्फ हवाई जहाज का पैसा देने के लिये कहते हैं। यह बात तो सही है और हम स्वीकार करते हैं कि किसानों की हालत रबी की फसल खराब हो जाने से सोचनीय हो गयी। और उनसे कुछ वसूल किया जाये तो वे बेचारे कहां स देंगे। हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं और विचार करके जसी आपकी भावना है, उसका यथासम्भव पालन करन के लिए कोई न कोई उपाय निकालेंगे।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

मैंने जांच के लिए भी कहा है।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री जी को एक सूचना देना चाहता हूं। सन् 1967–68 में इसी तरह से झांसी कमिश्नरी में बड़ी तेजी से गेहूं की फसल में बीमारी फली थी और बड़ा नुकसान होना शुरू हुआ था। उस वक्त भी यही सवाल था। यह सोचा गया था कि अगर किसान के लिए प्रतीक्षा की गयी तो सारी कमिश्नरी के गेहू की फसल नष्ट हो जायगी। इसलिए उस वक्त फैसला किया गया कि सरकार अपन खर्चे से वहां पर सुरक्षा कार्य कराए और गवर्नमेंट आफ इण्डिया स मांग की जाए कि वह उसम मदद कर। 62 लाख रुपय क लिए प्रस्ताव भेजा गया था और गवर्नमेंट आफ इन्डिया न 62 लाख रुपये ही मंजूर कर दिए। 12 लाख

[श्री जयराम वर्मा]

रुपये खर्च हुए और 50 लाख रुपये वापस कर दिए। तो यह तो यहां की कमी मालूम पड़ती है, नहीं तो भारत सरकार से पूरा का पूरा रुपया मिल गया होता।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

भारत सरकार से मांग की गयी थी। आपको विश्वास है भारत सरकार पर इतना इसके लिए कृतज्ञ हूं। मुझे भी पूरा भरोसा है कि रुपया मिल जाएगा।

श्री जयराम वर्मा—

उस वक्त की सरकार पर भरोसा था। अगर कुछ करेंगे तो भरोसा मालूम पड़ेगा।

*श्री रामधारी शास्त्री (जिला देवरिया)—

आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से इतना कह देना चाहता हूं कि जनवरी के महीने में गेहूं पर कीड़े आने प्रारम्भ हो गये थे। उस वक्त देवरिया में फसल बरबाद होनी शुरू हो गयी थी। कमिश्नर की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी जिसमें कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर भी गये थे। सरदार अमर सिंह ने यह राय दी कि पायरिला गेहूं को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने सारे विभाग को पैरेलाइज कर दिया। कमिश्नर की रिपोर्ट आयी होगी। कृषि विभाग पंग बना बैठा रहा। देवरिया की अधिकांश फसल 60 प्रतिशत और कहीं-कहीं पर 85 प्रतिशत नष्ट हो गयी है। मैं अपने खेत में गया था और कीड़ों को गिनना शुरू किया। एक पत्ती पर 250-300 कीड़े लगे हुए थे। उसके बाद हमने गिनना बन्द कर दिया। हट्टा से कोदरवार—कीड़े आसानी से जा सकते हैं और पिपराई 50 मील दूर जा सकते हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि सरकारी आफिसर इतनी लापरवाही दिखाते हैं। अगर उनके दिमागे शरीफ में यह बात आ गयी होती तो 60 से 80 प्रतिशत फसल नष्ट न होती। मैं मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे गैर-जिम्मेदार आफिसरों को, जो ऊंची कुर्सियों पर बैठते हैं और मीटिंगों में यह कह देते हैं कि पाइरिला से गेहूं की फसल नष्ट नहीं होगी, अपने पद से तुरन्त हटा दिया जाना चाहिए। कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कहा—

"हम क्या कर सकते हैं—हमारे कृषि विभाग के एडिशनल डायरेक्टर ने यह कहा है।"

गोरखपुर और देवरिया जिलों में यह बीमारी फैल गयी है और अखबार में आया है कि बस्ती में भी फैल गयी है। गेहूं की फसल के बरबाद होने के जिम्मेदार सरदार अमर सिंह हैं। उन्होंने ऐसी राय जाहिर की जिसकी वजह से सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी रही। अगर सौ फीसदी गेहूं की फसल की बरबादी होने से बचाना है तो अगले 15 दिन के अन्दर दवाई छिड़कवाने की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं तो गन्ने की फसल भी बरबाद हो जायेगी। आप अपने एक्सपर्ट को भेजकर दिखवा लीजिए। मैं आपसे नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सारी फसल नष्ट हो जायेगी और फिर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेंगे। यही मुझे निवेदन करना था।

श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या कृषि मंत्री जी निश्चित रूप से सदन को बतलायेंगे कि देवरिया जिले में पायरिला के प्रकोप से गेहूं की फसल को क्षति पहुंची है या नहीं ?

श्री रामलखन—

क्षति तो पहुंची है और इसीलिये छिड़काव की व्यवस्था की गई है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

हानि कितने की पहुंची है ?

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

गेहूं में कितने रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया है ?

श्री रामलखन—

रामकोला क्षेत्र में 6,325 एकड़ पर प्रभाव पड़ा है।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

यह जवाब ठीक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप प्रश्न दोहरा दें।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

मैं पूछना चाहता हूं कि पायरिला कीड़े से गेहूं की फसल को नुकसान कितना हुआ है ?

श्री राम लखन—

इसमें कितने की क्षति हुई है इसके आंकड़े नहीं हैं। केवल एकरेज के आंकड़े मौजूद हैं।

श्री सुरेन्द्र विक्रम—

वही बतला दें।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो लिखा हुआ है।

श्री दीप नारायणमणि त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पायरिला कीड़ा जुलाई-अगस्त में गन्ने से शुरू हुआ था, तो क्या गन्ना विभाग से पूछा गया कि गन्ने के प्रोडक्शन पर उसका कितना प्रभाव पड़ा है और गेहूं का कितना नुकसान हुआ है, और आने वाली फसल पर जो प्रकोप हो रहा है उसके लिये क्या व्यवस्था की जा रही ह कि उसको रोका जा सके। इसके लिये किसान को क्या करना पड़ेगा और सरकार क्या करेगी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री बांकेलाल—

क्या यह बात सही है कि जो डारेक्टर अमर सिंह हैं, उन्होंने जाकर कमिश्नर और कलेक्टर से कहा कि यह पायरिला कीड़ा गेहूं पर नहीं जा सकता है, तो उनके ऊपर क्या कार्यवाही की गई है कि उन्होंने सारे कृषि रक्षा करने वाले अधिकारियों को रोक दिया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

जो बात मंत्री जी के वक्तव्य में आई है और जो प्रश्नोत्तर हुये हैं उससे यह सिद्ध होता है कि यह कीड़ा पिछले जाड़े में गन्ने से शुरू हुआ था। गन्ने को नुकसान पहुंचाकर गेहूं पर पहुंच गया था और अब इसमें कोई शंका नहीं रह गई ह कि यह कीड़ा अब फिर गन्ने की ओर जा रहा है

[श्री अनन्तराम जायसवाल]

और मान्यवर, जो अनुमान दिया गया है क्षति का एकरेज में, उसी को देखा जाय तो लाखों रुपये गेहूं को और गन्ने को करोड़ों रुपय की क्षति पहुंची है, देवरिया क माननीय सबस्य बता रहे हैं। तो ऐसी हालत में जब यह नुकसान हो रहा ह और जनता की तरफ से, माननीय प्रतिनिधियों की तरफ से और विभाग की तरफ से सूचना मिल रही ह तो कहीं शक नहीं ह। तो यह प्लांट प्रोटेक्शन विभाग किस प्रयोजन के लिए हैं? वर्मा जी न कहा कि ऐसी ही संकट की घड़ी के लिए यह विभाग हैं, उसी के लिए उसका सारा कार्यकलाप और गतिविधि होती हैं। भारत की सरकार भी अपना अनुदान देती ह, फिर भी आप आश्वासन नहीं दे रहे हैं कि वह विभाग इस कीड़े की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही करेगा। तो इस फेलयोर के लिए, जो विफलता रही है आप उन अधिकारियों को दोषी समझ करके जिन्होंने कुछ काम नहीं किया, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे या नहीं? दूसरे, अब इसका आगे प्रकोप रोका जाय, इसके लिए कार्यवाही करेंगे या नहीं?

श्री रामलखन—

जहां तक अधिकारियों और कर्मचारियों की शिथिलता का सवाल है, मैंने निवेदन किया है कि जैसे ही बीमारी की सूचना मिली तुरन्त ही रक्षा का काय प्रारम्भ कर दिया। अगर फिलहाल कहीं देखते हैं कि शिथिलता हुई तो जांच करा लेंगे और जो दोषी पाया जायगा तो कार्यवाही की जायगी।

श्री बांकेलाल—

अमर सिंह ने देवरिया जिला तबाह कर दिया और आप कहते हैं कि तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई। कोई कार्य नहीं हुआ, न छिड़काव हुआ। यह सब झूठ कहा जा रहा है। कृषि रक्षा विभाग बैठा रहा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अमरसिंह को निकाल देना चाहिए, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है हम लोगों को।

श्री रामलखन सिंह (जिला बस्ती)—

मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश की फसल को कीड़ों ने बरबाद कर दिया ह और दवरिया जिल की बात तो हो ही रही है, तो पूरे प्रदेश में इंक्वायरी कराकर दवाई छिड़कवाने की कृपा करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो व्यापक कर दिया।

श्री राजमंगल पांडेय (जिला देवरिया)—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित। उत्तर से ऐसा आभास हो रहा था कि मंत्री जी इस बीमारी की सीरियसनेस को शायद आंक नहीं पा रहे हैं। तो इतने लोगों की भावनाओं को देखते हुए क्या मैं मंत्री जी से आशा करूं कि वार-लेबिल पर वह कायवाही करेंगे और 15 दिन का तो बहुत ज्यादा वक्त है। सब कीड़ा गेहूं खा गया और अब सब गन्ना सूखता जा रहा है, तो 15 दिन क्या उसके पहले तात्कालिक कदम उठायेंगे? क्योंकि फारेन एक्सचेंज तो क्या कमायेंगे, कम से कम जो आस-पास का एरिया एनफेक्टेड होने वाला है वह बचाया जा सके, ऐसे कदम उठाने का आश्वासन देंगे?

खाद्य तथा रसद राज्य मंत्री (श्री यादवेन्द्र सिंह)—

मंत्री जी से जो अभी प्रश्न पूछा गया तो मुझे ऐसा लगा कि शायद कृषि मंत्री जी के बयान को पढ़ा नहीं गया। उसमें तो साफ-साफ लिखा है कि तात्कालिक कार्यवाही की जा चुकी है। जहां तक पेस्टीसाइड्स का सवाल है ....।

श्री बांकेलाल---

बिल्कुल असत्य भाषण हो रहा है। चैलेंज करता हूं इसे। अगर असत्य न हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। कोई कार्यवाही किसी किस्म की नहीं हुई, बिल्कुल गलत है।

श्री यादवेन्द्र सिंह---

कार्यवाही नहीं हुई, यह तो बांकेलाल जी जानें।

(व्यवधान)

मेरा ख्याल है कि जल्दी से जल्दी पूरे गोरखपुर और देवरिया के उस क्षेत्र में जिसमें पायरिला से एफेक्टेड गन्ने की बात की जाती है स्प्रेइंग का काम शुरू हो जायगा। दवाई का आर्डर पहले से कर दिया गया है और हवाई जहाज की बात कर ली जायगी।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)---

जैसा कि भाई राजमंगल पांडेय जी ने कहा कि विभाग ने ध्यान नहीं दिया, स्वयं माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से भी स्पष्ट है, उन्होंने कहा है कि जनवरी के मध्य में इस रोग का प्रारम्भ हुआ देवरिया में और फरवरी के पिछले सप्ताह तक केवल 1,360 हेक्टेयर में प्रकोप बढ़ा था जिसमें से 560 हेक्टेयर में छिड़काव हुआ। यह स्पष्ट करता है कि विभाग ने उपेक्षा से काम किया। पूरे एक महीने में 1,360 हेक्टेयर में बीमारी बढ़ी और उसमें भी छिड़काव नहीं हुआ और आश्चर्यजनक बात है कि फरवरी के अन्त में प्रकोप व्यापक रूप से बढ़ा। यदि एक महीने की अवधि में विभाग की तरफ से छिड़काव की तात्कालिक व्यवस्था की गयी होती तो जैसा कि माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से स्पष्ट है फरवरी के अन्त म यह बीमारी बढ़ती नहीं। तो जैसा कि मेरे भाई बांकेलाल जी ने और दूसरे सदस्यों ने कहा, एडिशनल डायरेक्टर एग्रीकल्चर ने शायद यह राय जाहिर की थी कि पायरिला रोग का आक्रमण केवल ईख पर होगा, गेहूं पर नहीं होगा इसलिये एक महीने तक कार्यवाही नहीं हुई, यदि यह बात सत्य है तो ऐसे अतिरिक्त कृषि निदशक के विरुद्ध आप कोई दण्डात्मक कार्यवाही करेंगे जिसके कारण सारे जनपद की फसल चौपट हो गयी?

श्री रामलखन---

जहां तक अतिरिक्त निदेशक के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य ने बतलाया कि गोरखपुर में कमिश्नर की अध्यक्षता में अधिकारियों की कोई मीटिंग हुई थी वहां पर उन्होंने ऐसी बात कही थी। तो अगर कमिश्नर यह लिख कर भेजेंगे तो जरूर उनके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

श्री रामधारी शास्त्री---

मुझे जानकारी है, सरकार को उन्होंने लिख कर भेजा है कि यह राय है एडिशनल डायरेक्टर की--यह राय है कि इस कीट का प्रकोप अन्य निकटवर्ती जिले में फैलने का डर नहीं है। इसके फैलने की सीमा 5 मील हो सकती है। लेकिन 50 मील तक तो वह फैल गया है।

श्री रामलखन---

50 नहीं 100 मील तक फैलेगा, लेकिन कहा गया है कि यह गन्ने की फसल का रोग है और गन्ने के आसपास के एरिया में उसका प्रकोप हुआ। लेकिन जहां गन्ना है वहीं पर हुआ, जहां गन्ना नहीं है वहां पर उसका फैलाव नहीं हुआ। उसका मतलब यह है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राशन कार्ड पर गेहूं मिलना बिल्कुल बन्द हो जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

*श्री नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)--

श्रीमन्, प्रदेश में राशन की सस्ते गल्ले की दुकानों की जो हालत है वह मैं नहीं समझता किसी से भी छिपी होगी। प्रदेश के लगभग सभी जिलों से जो सूचनायें हम लोगों को मिलती हैं और माननीय खाद्य मन्त्री जी को मिलती होंगी उनमें दो तीन ऐसी शिकायतें हैं जिन पर आज गौर करना आवश्यक है।

आपके द्वारा बार-बार यह बयान दिया गया कि अगर सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट की कि केन्द्र से जितना अनाज हमको मिलना चाहिये उतना नहीं मिल रहा है। जिलाधिकारियों से जब बात की जाती है तो भी यही बात कहते हैं कि हमारे लिये जितना आवंटन होता है उतना हमें नहीं मिलता। आप अगर 25 परसेंट कम देते हैं तो वे 50 प्रतिशत कम बताते हैं और वह अनाज ब्लैक में चला जाता है। आप कहते हैं कि हम माह में प्रति यूनिट कुलमिला कर 6 किलो अनाज देते हैं। आप यह नहीं कहते हैं कि देने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि आप कहते ह कि दे रहे हैं। इसका बड़ा गलत असर जनता पर पड़ता है। 6 किलो के स्थान पर मुश्किल से आधा अंश ही मिल पाता है। मैं देहरादून जिले की बात जानता हूं, आप सभी जिलों से सूचना मंगा कर देख लीजिये, मुश्किल से 50 प्रतिशत अनाज मिल रहा है। दूकानदारों को यह बहाना मिल जाता है कि साहब हमको कम मिल रहा है। इसके कारण आज जनता में बड़ा रोष है। आज बाजार में चीजों के दाम बड़े महंगे हैं। सस्ते गल्ले की दुकानें सब्सीडाइज्ड रेट्स पर इसीलिये खोली जाती हैं ताकि जनता को राहत मिले। लेकिन जनता को आज राहत नहीं मिल रही ह। केन्द्र जो कम देता है उसके कारण तो परेशानी है ही, लेकिन दुकानदार जो परेशानी पैदा कर रहा है उसके कारण बहुत तकलीफ है। आपने एक-एक दूकान पर 4 हजार यूनिट्स निर्धारित कर रहे ह जब कि आप कहते यह हैं कि हमने 3,000 यूनिट्स के लिये आर्डर किये हैं।

मेरे यहां एक दुकान पर 4,600 यूनिट्स, 4,500 यूनिट्स तक हैं। एक पर तो 1,200 ही यूनिट्स ह। किसी पर हजार और किसी पर 4 हजार यह कहां तक उचित है। फिर यह भी तो सोचने की बात है कि एक कर्मचारी, मजदूर, अध्यापक या व्यापारी एक दुकान पर कितनी देर खड़े रह सकता है? एक-एक दुकान पर 250 आदमियों की लम्बी कतार लगी रहती है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद उसको राशन मिलता है और वह भी पूरा नहीं मिलता। जिस आदमी को दफ्तर जाना है वह कैसे दो घंटा लाइन में खड़े रह सकता है। इसी प्रकार एक अध्यापक जिसे स्कूल भी जाना है कैसे लाइन में इतनी देर तक खड़े रह सकता है। महिलायें भी ज्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकतीं। व्यापारी को भी अपनी दुकान पर जाना है, वह भी अधिक देर तक नहीं खड़ा रह सकता। मजदूर को भी मजदूरी करने के लिये जाना होता ह। इनको लाभ पहुंचाने की जो आपकी नीयत है वह पूरी नहीं हो पाती। इसके लिये चाहिये तो यह कि आप अधिक से अधिक 2,000 यूनिट्स एक दुकान पर कर दीजिये। इससे मार्जिन आफ प्राफिट कम हो जायेगा, लेकिन तमाम दरख्वास्तें आपके पास दुकानों के लिये आ जायेंगी। उससे आप चेक भी कर लेंगे। आपके डी0 एस0 ओ0 आपकी मशीनरी अच्छी तरह से दुकानों की चेकिंग करेंगे और देख सकेंगे कि उनमें से कितने बोगस हैं और कितने असली हैं। इससे दुकानों पर लम्बी-लम्बी लाइनें भी नहीं लगेंगी।

पहले सरकार ने बड़े अभिमान से कहा था कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, हमारी दूसरों पर निर्भरता समाप्त होगी, किन्तु अब वह बात तो समाप्त हो गई है। अब तो विदेशों से अनाज मंगाया जा रहा है, तो जो जहाज आ रहे हैं उनमें से एक पंडित जी अपने यहां सीधे-सीधे क्यों

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

न मंगा लें, क्या पंडित जी का उन पर इतना भी असर नहीं है। मैं समझता हूं आप केन्द्र से मंगाने में संकोच करते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूं जो हमें रुपया मिलना चाहिए, अनाज मिलना चाहिए वह मिलता नहीं है। यह सोचा जाता है कि उत्तर प्रदेश की प्रधान मंत्री हैं तो कोई यह न कह दे कि उत्तर प्रदेश की प्रधान मंत्री हैं, इसलिए यह दिया जाता ह। जो हमारा अधिकार है, 9 करोड़ आदमियों के पेट भरने की, जो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, उसको भरने के लिए आपको कारगर उपाय करना चाहिए। जो मंत्री जी ने पोथा हम लोगों के लिए पिजेनहोल में रखा दिया है, उसको पढ़ने से तो किसी का पेट भरेगा नहीं, अनाज दुकानों पर पहुंचा देंगे तो लोगों का पेट भरेगा।

राशन बांटने की प्रक्रिया भी आपको सरल करनी होगी। दुकानें अधिक से अधिक समय तक खुलनी चाहिए। आज जो होता है सुबह दो घंटे दुकान खुली और शाम को दो-ढाई घंटे खुल गई और शेष दिन बन्द रही यह ठीक नहीं है। दुकानें ज्यादा समय तक खुलनी चाहिए और विभिन्न लोगों के लिए समय बांट देना चाहिए। हफ्ते में एक दिन दुकान बन्द करते हैं, उसको भी रोका जाय। जितना सुभीता आप दे सकते हैं उतना आपको देना चाहिए। जनता में जो परेशानी है उसका आपको मुकाबला करना है। आप यह नहीं आज करते हैं तो जो बड़ी-बड़ी योजनाएं और आपकी घोषणाएं हैं, उसका कोई असर नहीं होगा, वे कागज पर रह जाएंगी। जनता आज बहुत परेशान है। जो हम लोग दफ्तरों में बैठे हुए हैं, यहां डी0 एस0 ओ0 की बात सुना देते हैं वास्तविकता तक इस तरह से आप नहीं पहुंच पाते हैं। देहरादून में 9,890 क्विंटल गेहूं मांगा गया किन्तु केवल 2 हजार 230 क्विंटल मिला, जो कि एक चौथाई से भी कम है। इसी तरह से चावल 9,240 क्विंटल मांगा गया जब कि वह 4,620 क्विंटल हमें मिला यानी आधा मिला। आटा 18,790 क्विंटल मांगा गया और वह 12,695 क्विंटल मिला। गेहूं एक चौथाई हमें दिया जाए हमारी मांग का तो वह क्या बांटेंगे।

एक बात और मैं कहना चाहता हूं खराब आटे के सम्बन्ध में मंत्री जी ने दुकान का जो नाम पूछा था, उसके बारे में कहना चाहता हूं मैंने तो जहां-जहां देखा सब जगह ऐसा ही है, सब जगह एक समान है। एक जगह का मैं क्या नाम लूं जब सब जगह समान हालत है। आप सरप्राइज रेड्स क्यों नहीं करते हैं। यदि आप जनता को न्याय दे रहे हैं तो लोगों को मालूम भी होना चाहिए कि आप उसे न्याय दे रहे हैं। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं, ये जो राशन कार्ड्स हैं और उनमें जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स की संख्या घटाई जा सकती है। जो हाइली पेड आदमी हैं, उन लोगों को यदि आप राशन से आटा और गेहूं न दें, तो इस तरह से एक बड़ी मात्रा में गेहूं की बचत की जा सकती है और इस गेहूं से गरीब आदमी को दें और उसकी मात्रा बढ़ा दें, अच्छा रहेगा। मात्रा बढ़ा दें और साथ-साथ सब्सीडाइज्ड रेट्स पर दें तो और अच्छा रहेगा।

आप जो कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाते हैं, उसके सम्बन्ध में आप लगातार कहते हैं कि इससे इन्फ्लेशन होता है--तनख्वाहें जितनी बढ़ाइये उतना ही इन्फ्लेशन होता है। क्या प्रदेश में एक एक्सपेरीमेंट यह नहीं कर सकते कि राशन की हम ऐसी दूकानें मुकर्रर करें जिसमें हम लोगों को सस्ता अनाज दे दें। कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाने की मांग अपने आप खत्म हो जायगी क्योंकि जितना आप उनको सस्ता देंगे उतना उनको लाभ होगा। पांच रुपये तनख्वाह बढ़ती है, महंगाई बीस गना बढ़ जाती है। तो आप सब्सीडाइज करके सस्ता अनाज दें और यूनिट्स दो हजार रखें। उसके ज्यादा न रखें। अगर इन चीजों पर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं खाद्य समस्या में कुछ थोड़ी सी राहत हमको मिल सकती है।

खाद्य तथा रसद मंत्री (श्री बेनी सिंह)--

माननीय, नित्यानन्द स्वामी जी का लम्बा भाषण तो हुआ ही। यह बात सही है कि हमारे प्रदेश में अन्न की उतनी उपलब्धता नहीं है जितनी हमको चाहिए। हमारे पास था। हम

[श्री बेनी सिंह]

आश्वस्त थे। लेकिन जब दूसरे प्रदेशों को देखा तो उनको मुसीबत में थोड़ा सा सहारा देना पड़ा और वह कमी हो गयी।···(व्यवधान) कोई भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं है जो न चाहे कि अपने भाई का दर्द दूर हो। हमारा कल्चर यह है कि अगर भूखा दरवाजे पर आ जाय और थाली परोसी हो तो भूखे को दे दो। लेकिन यह तो तुम जानते ही नहीं हो। इसका आपको सऊर नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

दो-चार दिन भूख से पीड़ित होते तब मालूम होता।

श्री बेनी सिंह—

यह बात भी ठीक है, जितना अन्न हम गवर्नमेंट आफ इंडिया से मांगते हैं उतना मिलता भी नहीं। पहले हम ज्यादा तादाद में देते थे, 8 किलो देते थे। एक समय था कि चाहे जितना उठा लो। अब हम 6 किलो देते हैं। 6 किलो पूरा देते हैं। उसमें गेहूं भी हो सकता है, कभी आटा ज्यादा हो जायगा, कभी चावल ज्यादा हो जायगा, कभी मोटा अनाज ज्यादा हो जायगा, सब मिलाकर प्रयास कर रहे हैं कि 6 किलो दें। किसी-किसी जगह पर न भी मिलता हो, यह भी सम्भव है। लेकिन यह भी सम्भव है कि हम एक-दो-चार जगह पर देख कर जनरलाइजेशन कर देते हों। स्वामी जी ने कहा कि असत्य बोलने और वादा करने की आदत पड़ गयी है। अगर मैं यह कहूं कि आप तिल का ताड़ बनाने के आदी हो गये हैं तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। हम यूनिट्स को कम करने जा रहे हैं। दो हजार आप कह रहे हैं। हम उस जगह पर शकर देने के बाद,उसको गेहूं देना चाहते हैं और चीजें देना चाहते हैं ताकि वायबिल यूनिट बन जाय। लेकिन इसमें आपका सहयोग चाहिये। (व्यवधान)···बात तो सुन लें।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, निवेदन यह है कि मंत्री जी, जिस प्रक्रिया में बहस चल रही है, उसके नियमों को जानते नहीं हैं, ज्यादा से ज्यादा दो मिनट या पांच मिनट बहस के लिए चाहिए बाकी सवालों के लिए वक्त देना चाहिए।

श्री बेनी सिंह—

मैं उस प्रक्रिया को बिल्कुल फालो कर रहा हूं। मैं दो तीन मिनट से ज्यादा नहीं बोलता लेकिन स्वामी जी ने 15–20 मिनट ले लिये। हम दस मिनट नहीं लेंगे। जो सुझाव आप के आयेंगे उन पर हम विचार करेंगे। मैं आपको बतला सकता हूं कि किस जिले में कितना राशन दिया है।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

देवरिया जिले में कितना बांटा था?

श्री बेनी सिंह—

अगर सभी देवरिया जिले को बांट देते तो बलिया वाले क्या करेंगे? आप जो इंक्वायरी करना चाहते हैं वह कर लें। हम आपके सुझाव चाहते हैं, आपकी इमदाद चाहते हैं। आप क्रिटिसिज्म करें लेकिन ऐसा न करें जिससे मामला बिगड़ जाय। ईमानदारी के साथ में आपके हर क्रिटिसिज्म को देखूंगा और बिना भेदभाव के आपकी बात को मानूंगा लेकिन आप हमारी मदद करें।

श्री बंशीधर पांडेय (जिला वाराणसी)—

आप हमको बुलाइये?

श्री बेनी सिंह---

मैं बुलाने वाला भी हूं।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

आपने खाद्यान्नों के संकट को देखते हुए कटौती कब की, कटौती के पहले कितना गेहूं तथा चावल मिलता था और कटौती के बाद कितना गेहूं तथा चावल मिलता है ?

श्री बेनी सिंह---

दिसम्बर से हमने घटाना शुरू किया, 8 किलो से 6 किलो कर दिया और अब 6 किलो कुल मिला कर गल्ला हम देते हैं। इससे गरीब का पूरा नहीं हो पाता, थोड़ा बाजार से लेगा तो उसका पूरा पड़ेगा।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

मन्त्री जी ने बतलाया कि दिसम्बर, 1972 से कटौती का निर्णय लिया। मैंने यह पूछा था कि कटौती के पहले प्रति व्यक्ति गेहूं कितना मिलता था और बाद में कितना मिल रहा है और इस बीच गेहूं के दाम कितने बढ़े ?

श्री बेनी सिंह---

जैसा अर्ज किया जून-जुलाई, 1972 में हमने किया था। उससे पहले तो यह था जितना चाहें गेहूं ले लो, चाहे जितना चावल ले लो।

श्री राम कृष्ण द्विवेदी (जिला गोरखपुर)---

जितना चाहें गेहूं अथवा चावल ले लें यह डिस्ट्रीब्यूशन आपने किस आधार पर किया था और फिर यह प्रणाली दोषपूर्ण कैसे हो गयी कि एकायक अकाल पड़ गया और कमी हो गयी ? क्या योजनागत कार्य प्रणाली से व्यवस्था नहीं की गयी थी ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह प्रगतिशीलता का विवेचन हो गया उसको छोड़िये। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दें।

(मन्त्री जी द्वारा उत्तर न देने पर)

श्री बांके लाल---

यह किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। यह तैयार नहीं हैं। इस्तीफा दे दें।

श्री अनन्तराम जायसवाल---

यह बहुत अहम प्रश्न है। मन्त्री जी कोई सूचना या तो विभाग के जरिये से मिली नहीं अथवा वह तैयार होकर नहीं आये हैं। आज उनके कई विधेयक उस हाउस में भी थे, यहां भी हैं। वह ज्यादा परेशान मालूम होते हैं। तो मान्यवर, ऐसा कर दें कि इसको आज स्थगित कर दें। कल या परसों जब सुविधा हो तब इस पर विचार हो जाय क्योंकि यह लोगों की खूराक का मामला है, रोटी का मामला है।

इस पर चर्चा करवा दीजिये, मान्यवर, यह रोटी और भोजन का सवाल है।

श्री बांकेलाल---

इसको स्थगित कर दें।

श्री उपाध्यक्ष—

4 के पहले तो नहीं हो सकता है। 4 और 5 तारीख अप्रैल को खाद्य और रसद विभाग का बजट है....

श्री नित्यानन्द स्वामी—

इस पर ढाई घंटे की चर्चा करवा दीजिये। कल शाम को ही हम लोग बैठ जायेंगे।

श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद—)

जब मन्त्री जी के पास सूचना ही नहीं है तो किस आधार पर उत्तर दे सकेंगे और प्रश्न पूछे जा सकेंगे ।

खाद्य तथा रसद राज्य मन्त्री (श्री यादवेंद्र सिंह)—

इसका उत्तर मैं दे रहा हूं ।

श्री बांकेलाल—

मन्त्री जी थक गये, अब आप बोलने खड़े हुए ।

श्री यादवेन्द्र सिंह—

21 अगस्त, 1972 तक गेहूं असीमित मात्रा में हम दिया करते थे। उस पर कोई चेक नहीं था। नवम्बर 1972 तक जसे स्टाक में कमी हुई, 8 किलो (4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल और 3 किलो आटा) दिया गया। जनवरी 1973 में अनफारमली राशनिंग.....

मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अंग्रेजी में बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ने इसके बारे में अपना निर्णय दिया है कि....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ठीक बोल रहे हैं।

यादवेंद्र सिंह—

गेहूं 3 किलो, चावल 1 किलो और दो किलो आटा यानी कुल 6 किलो दिया जा रहा था। जनवरी 1973 से खाद्य सीमा घटी और दो किलो गेहूं, 2 किलो आटा और दो किलो चावल दिया जाने लगा। अब आगे यही चल रहा है। जहां पर इसकी कमी पड़ती है वहां पर मोटा अनाज सप्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन 6 किलो की तादाद वही है ।

श्री जगन्नाथ खन्ना (जिला सहारनपुर)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा है कि 6 किलो राशन पूरा का पूरा लगभग दिया जा रहा है। मैं सूचना देना चाहता हूं कि हो सकता है वह गलत हो। लेकिन इसकी वह जांच कर लें कि 4 किलो भी राशन नहीं दिया जा रहा है और दूसरे जो विभागीय अधिकारी आपको यह गलत सूचना देते हैं कि 6 किलो बराबर दिया जा रहा है उनके विरुद्ध आप क्या कार्यवाही करेंगे ।

श्री बेनीसिंह—

अगर आप बता देंगे तो अवश्य जांच कर ली जायेगी। इसके अलावा यदि हम पायेंगे कि हमें गलत सूचना दी गई है तो हम अवश्य उन लोगों को सजा देंगे। लेकिन जनरल वे में हम कैसे कर पायेंगे। आप निश्चित आदमी का नाम-पता बता कर हमें दें। हम जांच करवा लेंगे ।

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिस दिन यह प्रश्न आया था उसी दिन और जिलों में भी गल्ला न मिलने की चर्चा हुई थी और उसमें बलिया की भी चर्चा थी। तो उस प्रश्न पर चर्चा के बाद क्या और जिलों की स्थिति की जांच रिपोर्ट आपने मंगाई। क्योंकि आज स्थिति ऐसी है कि जिलों में गल्ला कम हो गया है जिसके परिणाम स्वरूप राशन कार्ड में गल्ला कम दिया जाता है। साथ ही शहरी क्षेत्र और देहाती क्षेत्र का गल्ला अलग-अलग नहीं जाता है और अक्सर देहाती क्षेत्र का गल्ला शहरी क्षत्र में बांट दिया जाता है और एक-एक महीने तक देहाती क्षेत्र के लोगों को गल्ला नहीं मिल पाता है। जिला पूर्ति अधिकारी शहरी क्षेत्र वालों को अधिक गल्ला देते हैं और देहाती क्षत्र के लोगों को कम देते हैं। यही हालत चीनी की भी है। महीनों तक देहाती क्षत्रों को चीनी न देकर शहर वालों को चीनी दी जाती है। साथ ही राशन कार्ड भी जाली बने हुए हैं। चूंकि गल्ले की कमी हो गयी है इसलिए जिला पूर्ति अधिकारी देहाती क्षेत्र का गल्ला भी शहरी क्षेत्र वालों को दे देते हैं। मैं आपको बताऊं कि बलिया में होली के मौके पर भी जिस मिल वाले को आटा देने का आदेश था उसने बलिया जिले को आटा नहीं दिया और गोरखपुर के आपके अधिकारी अकर्मण्य से बैठे रहे तो क्या आप इसकी जांच करायेंगे कि गोरखपुर के उस आटा मिल वाले ने होली के मौके पर बलिया जिले को आटा क्यों नहीं सप्लाई किया ?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया ।)

श्री राजमंगल पांडेय—

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि 6 किलो राशन किसी न किसी रूप में आटा, गेहूं या चावल की शक्ल में हर व्यक्ति को मिलता रहा है। तो क्या माननीय मन्त्री जी आइन्दा के लिये ऐसी कोई व्यवस्था करने का प्रबन्ध करेंगे जिससे जो कुछ भी सरकार की तरफ से एलाटेड कोटा हो हर आदमी को मिले और जो भी एजेंसी या दुकानदार इसमें बाधक हो या भ्रष्ट हो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाय ताकि किसी को गल्ला मिलने में किसी तरह की तरद्दुद व तकलीफ न हो ?

श्री बेनी सिंह—

यह तो सही है कि आज तक जो वितरण की व्यवस्था है, वह उस हद तक हम पूरा नहीं कर पाते जिस हद तक हम चाहते हैं। उसमें कुछ परिवर्तन भी करना चाहते हैं। खाद्य समिति को भी कुछ अधिकार देना चाहते हैं, ब्लाक प्रमुखों को भी कुछ अधिकार देना चाहते हैं, मुहल्ले-मुहल्ले समिति भी बनाना चाहते हैं कि वे भी उसको देख लें, इस तरह एक नया प्रयोग करना चाहते हैं लेकिन इसमें कुछ देर तो लगेगी ही बनाने में, बजट सेशन में भी कुछ सुझाव आप लोगों के आवेंगे, अभी भी आपके कुछ सुझाव आये हैं और मीटिंग जो करेंगे उसमें भी कुछ सुझाव आवेंगे उन सब को इकट्ठा करके तब उसके आधार पर कोई रास्ता निकालेंगे.... (व्यवधान)

श्री मैनेजर सिंह—

मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिलवा दें कि होली के मौके पर भी आटा मिल वाले ने बलिया जिले को आटा क्यों नहीं सप्लाई किया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम प्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि हर व्यक्ति को 6 किलो गल्ला मिलता है। क्या माननीय मन्त्री जी को ज्ञात है कि कहीं-कहीं न गल्ला मिलता है, न आटा मिलता है और न चावल मिलता है और आप के पास इसकी बहुत सी शिकायतें भी आ चुकी हैं जैसे लखनऊ में ही हुसैनगंज क्षेत्र से यह शिकायत आयी है कि जो आटा मिलता है उसमें चोकर मिला हुआ होता है? मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि जो आटा जाता है क्या उसकी जगह गेहूं दिलाने की कृपा करेंगे?

श्री बेनीसिंह—

लखनऊ के आटा मिल वाले हमारे पास आये थे होली के जमाने में (व्यवधान) मैं पिछली बात भी बताये देता हूं और आज की भी बताये देता हूं। वह क्या चाहते हैं यह हमारी समझ में नहीं आता है। एक बात यह है कि मेरे स्पष्ट आदेश हैं (व्यवधान) कि अगर किसी दुकानदार ने कोटा नहीं उठाया और लोगों को अनाज वितरण नहीं किया तो रिपोर्ट आने पर उस दुकान को कैंसिल कर दिया जायेगा। अगर आपको सूचना हो और आप 2-4 नाम देंगे तो आपकी सूचना के आधार पर ही दुकान कैंसिल हो जायेगी।

श्री मोतीलाल देहलवी—

मैं नाम ले रहा हूं.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 9 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
28 मार्च, 1973।

नत्थी "क"

(देखिये नियम तारांकित प्रश्न संख्या 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1160 पर)

सूचना

निर्माणाधीन कुल 10 पम्प नहरों के निर्माण पर 28.30 लाख रुपया व्यय हो चुका है तथा निम्नलिखित पम्प नहरें उनके सामने अंकित दिनांक से सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा रही हैं—

क्रम-संख्या	पम्प नहर का नाम	दिनांक जब से सिंचाई करते हैं
1	बेला-मऊ पम्प नहर	15-6-72
2	लखनपुर पम्प नहर	21-12-72
3	गोकुलपुर पम्प नहर	5-1-73
4	मानिकपुर पम्प नहर	25-1-73
5	नीमसार पम्प नहर	25-1-73
6	रहीमाबाद पम्प नहर	25-1-73
7	पीरनगर पम्प नहर	25-1-73

इनसे 255 एकड़ भूमि की सिंचाई की जा चुकी है।

महमूद अली खां,
सिंचाई मंत्री।

नत्थी "ख"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1260 पर ।)

सूचना

जिला हमीरपुर तथा बांदा में मैलानी--जसपुरा--सुमरेपुर मार्ग के निर्माण की स्थिति निम्नवत् है--

	जिला हमीरपुर	जिला बांदा
1--निर्माण कब शुरू हुआ ..	मई, 1970 ..	सितम्बर, 1970
2--अनुमानित लागत	20.22 लाख रुपए	26.48 लाख रुपए
3--अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है।	11 लाख रुपए	3.60 लाख रुपए
4--कार्य की प्रगति ..	(1) 11 कि0मी0 में टाप-कोट हो चुका है।	(1) 14.20 कि0मी0 में मिट्टी का कार्य हो चुका है।
	(2) 2 कि0मी0 में पेंटिंग का कार्य किया जा चुका है।	(2) 4.70 कि0मी0 में निचली सतह का एकत्रीकरण हो चुका है।
	(3) 4.75 कि0मी0 भाग में में मिट्टी तथा गिट्टी एकत्रीकरण का कार्य प्रगति पर है।	
5--कार्य की स्थिति	कार्य प्रगति पर है	कार्य प्रगति पर है
6--सड़क कब तक पूर्ण रूप से बनकर तैयार होने की सम्भावना है।	मार्च, 1975	मार्च, 1975
7--मार्ग निर्माण में कठिनाइयां	मार्ग के कुछ भाग में संरेखण विवादग्रस्त होने के कारण निर्माण-कार्य देर से प्रारम्भ हुआ।	सड़क केन नदी के दूसरी ओर है। केन नदी के दूसरी ओर सड़क नहीं है तथा नदी पर पुल भी नहीं है। अत: निर्माण सामग्री आदि लाने में कठिनाई होती है और कार्य वर्ष में केवल 6 माह ही होता है।

नत्थी "ग"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 1168 पर)

क्रम-संख्या	सड़क का नाम	शासन द्वारा स्वीकृत लागत (रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4
		रु0	
1	अमरोहा–कांठ मार्ग ..	18,30,000	..
2	ठाकुरद्वारा–जसपुर मार्ग (मुरादाबाद तथा नैनीताल जिलों में) ..	15,50,000	..
3	फजुल्लागंज से दादूवाला तक नहर की सड़क। (मुरादाबाद तथा नैनीताल जिलों में)	5,91,400	..
4	मुख्य सड़क (मुरादाबाद–सम्भल–बहजोई) से उम्मीदपुर तक मार्ग।	1,90,000	..
5	पाठकपुर––फरीदपुर मार्ग	6,14,000	
6	पाठकपुर––सादतबाड़ी मार्ग		
7	ठाकुरद्वारा–भोजपुर जगतपुर–अलीगंज–काशीपुर मार्ग।	36,51,000	..
8	सम्भल–जोया मार्ग ..	18,85,000	..
9	हसनपुर बाईपास ..	3,34,000	..
10	दौराहा–डिलारी–करनपुर मार्ग ..	10,61,000	..
11	हसनपुर–रहरा–गवां मार्ग (छूटा भाग)	15,17,000	..
12	अमरोहा–धनौरा मार्ग ..	3,64,000	इन धनराशियों के आगणन मुख्य अभियन्ता सा0 नि0 विभाग द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।
13	धनौरा–शरपुर मार्ग का भाग	3,50,000	
14	अझारी–आदमपुर मार्ग का भाग ..	3,50,000	

नत्थी "घ"

(देखिये पीछे पृष्ठ 1174 पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 159 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973 में किये गये शाब्दिक संशोधन का विवरण ।

विधेयक की अनुसूची के स्तम्भ 3 में पृष्ठ 1 व 2 पर शब्द "निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक," के नीचे कोष्ठक और शब्द "(सहस्त्रों में)" बढ़ा दिये गये हैं ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—22एल० ए०—1974—835